वस्तुओं की खरीद
के लिए
संविदा की सामान्य शर्तें
[संशोधन.1]
गेल (इंडिया) लिमिटेड

संविदा की सामान्य शर्तें – वस्तुएं [संशोधन 1]

विषय-सूची

खंड शीर्षक

1.	संविदा दस्तावेजों की परिभाषाएं, व्याख्याएं और प्राथमिकता
2.	आपूर्तिकर्ता को सूचना देना
3	आवेदन-पत्र
4.	मूल देश
5.	संविदा का कार्यक्षेत्र
6.	मानक
7.	निर्देश, दिशा और पत्राचार
8.	संविदा की बाध्यताएं
9.	संविदा में आशोधन
10.	संविदा दस्तावेजों और सूचना का उपयोग
11.	पेटेंट अधिकार, दायित्व और विनियमों का अनुपालन
12.	संविदा निष्पादन प्रतिभूति
13.	निरीक्षण, परीक्षण और शीघ्रता
14.	समय-सारिणी और प्रगति की रिपोर्टिंग
15.	वितरण एवं दस्तावेज और प्रेषण अनुसूची
16.	मार्गस्थ जोखिम बीमा
17.	पैकिंग एवं शिपिंग निर्देश और परिवहन
18.	आकस्मिक सेवाएं
19.	अतिरिक्त पुर्जे, रखरखाव उपकरण आदि।
20.	गारंटी
21.	भुगतान की शर्तें
22.	कीमतें
23.	उप-भाड़ा और कार्य
24.	संविदा को समय पर पूरा करने का महत्व
25.	आपूर्तिकर्ता के निष्पादन में विलंब
26.	विलंब से हुई डिलीवरी के लिए मूल्य कटौती अनुसूची (पीआरएस)

27. अस्वीकृति, खराब उपकरण को हटाना और बदलना
28. संविदा की समाप्ति
29. अप्रत्याशित घटना
30. विवाद समाधान प्रणाली
31. अधिशासी भाषा
32. नोटिस
33. कर एवं शुल्क
34. पुस्तकें और रिकॉर्ड
35. परमिट और प्रमाण-पत्र
36. सामान्य
37. आयात लाइसेंस
38. फॉल क्लॉज
39. प्रचार और विज्ञापन
40 रिपीट ऑर्डर
41 देयता की सीमा

अस्वीकरण: व्याख्या और कानूनी पहलुओं के लिए अंग्रेजी और उसके हिंदी अनुवाद में किसी भी विसंगति के मामले में, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

42 पूर्णता प्रमाणपत्र और निष्पादन प्रमाणपत्र
43 वापस खरीद मदों के लिए प्रावधान
44 गोपनीयता
45 बौद्धिक संपदा अधिकार
46 भ्रष्ट/धोखाधड़ी/मिलीभगत/बलपूर्वक आचरण और खराब निष्पादन के मामले में कार्रवाई
47 विक्रेता निष्पादन मूल्यांकन

परिशिष्ट-I: भ्रष्ट/धोखाधड़ी/मिलीभगत/बलपूर्वक आचरण के मामले में कार्रवाई की प्रक्रिया
परिशिष्ट-II: विक्रेता/आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार/परामर्शदाता के निष्पादन के मूल्यांकन की प्रक्रिया
परिशिष्ट-III: "संविदा निष्पादन प्रतिभूति / प्रतिभूति जमा राशि" के लिए "बैंक गारंटी" का प्रोफार्मा

1.0 संविदा दस्तावेजों की परिभाषाएं, व्याख्याएं और प्राथमिकता

1.1 परिभाषाएं

इस दस्तावेज़ में, संविदा की सामान्य शर्तों (जीसीसी-वस्तुएं) में शब्दों के निम्नलिखित संबंधित अर्थ होंगे:

1.1.1 "अनुमोदित" का अर्थ लिखित में पूर्व अनुमोदन है।

1.1.2 "बोली" या "निविदा" "प्रस्ताव" का अर्थ है प्रस्ताव के साथ-साथ क्रेता द्वारा विचार/स्वीकृति के लिए बोलीदाता द्वारा अधिसूचना प्रदान करने से पहले प्रस्तुत किए जाने वाले सहायक दस्तावेज।

1.1.3 "बोलीदाता" व्यक्ति(यों) या कानूनी इकाई/ फर्म/ कंपनी/ कॉर्पोरेशन/ संगठन, और इसके कानूनी प्रतिनिधियों, उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशितियों को नामित करता है जिन्होंने क्रेता के साथ संविदा पूरा करने के उद्देश्य से एक प्रस्ताव या बोली/ निविदा/ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

1.1.4 "परामर्शदाता" या "पीएमसी" [यदि नियुक्त हैं] का अर्थ होगा मैसर्स .... जिसका पंजीकृत कार्यालय ....में है और जो इस संविदा के लिए क्रेता के परामर्शदाता हैं। परामर्शदाता शब्द में मैसर्स......... के उत्तराधिकारी, समनुदेशिती शामिल हैं।

1.1.5 "संविदा" का अर्थ क्रय आदेश (पीओ) के अनुसार सेवाओं के निष्पादन (यदि कोई हो) और उसके बाद के संशोधनों, यदि कोई हो, के अनुसार वस्तुओं की आपूर्ति के लिए क्रेता और आपूर्तिकर्ता के बीच सहमत सभी दायित्व, प्रतिबद्धताएं, वादे होगा।

1.1.6 "संविदा मूल्य" या "क्रय आदेश मूल्य" का अर्थ संविदा में स्वीकृत कुल राशि या संविदा में स्वीकृत कीमतों के अनुसार गणना की गई कुल राशि है जो संविदा के तहत अपने संविदात्मक दायित्वों के पूर्ण और उचित निष्पादन के लिए आपूर्तिकर्ता को देय है। संविदा मूल्य/ क्रय आदेश मूल्य, मूल्य में कमी अनुसूची खंड के अधीन है।

1.1.7 "समापन तिथि" का अर्थ उस तिथि से होगा जिस दिन आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति किए गए सामान का सफलतापूर्वक उपयोग किया जाता है और क्रेता को सौंप दिया जाता है।

"डिलीवरी की तारीख" वह तारीख होगी जिस पर संविदा की डिलीवरी शर्तों के अनुसार आपूर्तिकर्ता द्वारा वस्तुओं की आपूर्ति की जाती है।

1.1.8 "वाणिज्यिक संचालन" का अर्थ उस संचालन की स्थिति से होगा जिसमें संविदा के तहत कवर किए गए पूर्ण सामान/ उपकरण को आधिकारिक तौर पर क्रेता द्वारा विभिन्न लोड पर और निर्धारित क्षमता सहित सतत संचालन के लिए उपलब्ध होने की घोषणा की जाती है।

1.1.9 "दिवस" का अर्थ मध्यरात्रि से मध्यरात्रि तक 24 घंटे का एक दिन होगा, भले ही उस दिन कितने भी घंटे काम किए गए हों।

1.1.10 "डिलीवरी" का अर्थ संविदा में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार आपूर्तिकर्ता से क्रेता को माल का हस्तांतरण होगा।

डिलीवरी की शर्तों की व्याख्या इनकोटर्म्स के वर्तमान संस्करण के अनुसार की जाएगी, जिसे इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा बोली जमा करने की नियत तारीख से पहले प्रकाशित किया गया है।

1.1.11 "ड्राइंग" का अर्थ होगा और इसमें आशोधनों और/या संशोधनों के साथ-साथ संविदा के संबंध में योजनाओं, धाराओं और उन्नयनों को दर्शाने वाली इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, रेखाचित्र शामिल होंगे।

1.1.12 "इंजीनियर" या "इंजीनियर प्रभारी" का अर्थ क्रेता/परामर्शदाता द्वारा समय-समय पर नामित व्यक्ति से होगा और इसमें वे लोग शामिल होंगे जो इस संविदा के संचालन के लिए क्रेता/परामर्शदाता के लिए और उनकी ओर से कार्य करने के लिए स्पष्ट रूप से अधिकृत हैं।

1.1.13 "स्वीकृति का फैक्स" का अर्थ सफल बोलीदाता/आपूर्तिकर्ता को क्रेता/परामर्शदाता द्वारा फैक्स/पत्र/ईमेल के माध्यम से अधिसूचना प्रदान किए जाने से संबंधित सूचना देनी होगी कि निविदा/बोली/प्रस्ताव उसमें निहित प्रावधानों के अनुसार स्वीकार कर लिया गया है।

1.1.14 "अंतिम स्वीकृति" का अर्थ है समापन तिथि को/ तत्पश्चात् निष्पादन और गारंटी परीक्षण के सफल समापन के बाद, क्रेता द्वारा आपूर्ति किए गए सामान और संविदा के तहत किए गए कार्यों/ सेवाओं की लिखित स्वीकृति।

1.1.15 "सामान" का अर्थ संविदा को पूरा करने और उसमें संशोधन(नों) के लिए सेवाओं (यदि कोई हो) सहित आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं, सामग्री, उपकरण, मशीनरी, उपकरण, स्टोर, डिज़ाइन और ड्राइंग, डेटा और अन्य संपत्ति से होगा।

1.1.16 "निरीक्षक" का अर्थ क्रेता/ परामर्शदाता द्वारा नामित किसी भी व्यक्ति या तीसरे पक्ष की एजेंसी से होगा जो संविदा की शर्तों के अनुसार, प्रेषण से पूर्व आपूर्तिकर्ता के कार्यों पर और/या साइट पर माल की प्राप्ति का चरण-वार और साथ ही अंतिम निरीक्षण करेगा।

1.1.17 "प्रारंभिक प्रचालन" का अर्थ सेवा में या सेवा के लिए उपलब्ध उप-प्रणालियों और सहायक उपकरण(णों) के साथ संविदा के तहत कवर किए गए पूर्ण माल का पहला अभिन्न प्रचालन होगा।

1.1.18 "क्रय आदेश" का अर्थ है संविदा दस्तावेज/ आर्डर सामूहिक रूप से निविदा दस्तावेज, डिजाइन, ड्राइंग, विशिष्टता, मात्रा का बिल, दरों की अनुसूची के साथ-साथ इसका विवरण (यदि कोई हो), फैक्स द्वारा स्वीकृति (यदि कोई हो), सहमत भिन्नताएं और संशोधन (यदि कोई हो) और ऐसे अन्य दस्तावेज जिसमें निविदा और उसकी स्वीकृति शामिल हो।

1.1.19 "क्रेता" का अर्थ है गेल (इंडिया) लिमिटेड (गेल) जिसका पंजीकृत कार्यालय 16, भीकाजी कामा प्लेस, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066 (भारत) में है। क्रेता शब्द में गेल के उत्तराधिकारी, समनुदेशित शामिल हैं।

1.1.20 "निष्पादन और गारंटी परीक्षण" का अर्थ क्रय आदेश में निर्दिष्ट क्षमता, दक्षता और परिचालन विशेषताओं को निर्धारित और प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक सभी परिचालन जांच और परीक्षण होगा।

1.1.21 "परियोजना" एक या अधिक आपूर्तिकर्ताओं/ ठेकेदारों द्वारा प्रदान की जाने वाली वस्तुओं और/या सेवाओं के योग को निर्दिष्ट करती है।

1.1.22 "मात्राएं/ मात्रा के बिल" मात्रा की गणना को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट करते हैं जब यह गणना विस्तृत या निर्माण ड्राइंगों से या वास्तव में किए गए कार्य से की जाती है, तथा माल और/ या सेवाओं के संयुक्त रूप से किए गए सहमत विश्लेषण के अनुसार प्रस्तुत की जाती है।

1.1.23 "आपूर्तिकर्ता" का अर्थ उस सफल बोलीदाता से होगा जिसकी बोली क्रेता द्वारा माल और आकस्मिक सेवाओं (यदि कोई हो) की आपूर्ति के लिए स्वीकार कर ली गई है। आपूर्तिकर्ता शब्द विक्रेता और वेंडर/ ठेकेदार का पर्यायवाची है और इसमें इसके उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती भी शामिल हैं।

1.1.24 "सेवा" का अर्थ माल की आपूर्ति के लिए सहायक सेवाओं से होगा, जैसे परिवहन और बीमा और कोई अन्य आकस्मिक सेवाएं जैसे कि निर्माण, स्थापना, परीक्षण, चालू करना, तकनीकी सहायता का प्रावधान, प्रशिक्षण और संविदा के तहत शामिल आपूर्तिकर्ता के ऐसे अन्य दायित्व।

1.1.25 "साइट" का अर्थ है भूमि और अन्य स्थान, जिस पर, उसके तहत या अंदर या उसके पार/ जिसके माध्यम से माल और/या सेवाओं की आपूर्ति, निर्माण, संयोजन, समायोजन, परीक्षण, व्यवस्था और/या कमीशन किया जाना है।

1.1.26 "विनिर्देशों" के अर्थ में संविदा करने से पहले प्रकाशित सभी परिशिष्ट/ शुद्धिपत्र सहित अनुसूचियों, ब्यौरा, विवरण, तकनीकी डेटा, निष्पादन विशेषताओं, मानकों (भारतीय और/ या अंतर्राष्ट्रीय) का विवरण तथा संविदा में लागू और निर्दिष्ट अनुसार मानक विनिर्देश शामिल होंगे।

1.1.27 "उप-संविदा" का अर्थ संविदा के किसी भी भाग के लिए आपूर्तिकर्ता द्वारा दिया गया आर्डर, आवश्यक सहमति और क्रेता के पूर्व लिखित अनुमोदन के बाद होगा, जब तक कि संविदा में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया हो।

1.1.28 "उप-ठेकेदार" का अर्थ व्यक्ति(यों)/फर्म/संगठन/कंपनी (आपूर्तिकर्ता के अलावा) और उसके कानूनी प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती हैं जिनका नाम माल या सेवा के किसी भी भाग की आपूर्ति के लिए संविदा में दिया गया है या जिसे संविदा के किसी भी भाग को आपूर्तिकर्ता द्वारा परामर्शदाता/ क्रेता की लिखित पूर्व सहमति से उप-किराए पर दिया गया है, जब तक कि संविदा में अन्यथा स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया हो।

1.1.29 "स्टार्ट-अप" का अर्थ संविदा के तहत कवर किए गए सामान को निष्क्रिय स्थिति से लाने के लिए आवश्यक समयावधि से होगा, जब निर्माण अनिवार्य रूप से परीक्षण संचालन के लिए तत्परता की स्थिति में पूरा हो गया हो। स्टार्ट-अप अवधि में प्रारंभिक निरीक्षण और माल और सहायक उप-

प्रणालियों की जांच, आवश्यक परीक्षण-पूर्व ऑपरेशन डेटा प्राप्त करने के लिए संविदा के तहत कवर किए गए पूर्ण माल का प्रारंभिक संचालन, अंशांकन और सुधारात्मक कार्रवाई, परीक्षण संचालन अवधि से पूर्व शटडाउन निरीक्षण और समायोजन शामिल होगा।

1.1.30 "परीक्षण" का अर्थ आपूर्तिकर्ता द्वारा की जाने वाली ऐसी प्रक्रिया या प्रक्रियाओं से होगा जैसा कि संविदा में निर्धारित किया गया है या क्रेता या उसके प्रतिनिधि द्वारा माल या उसके भाग की गुणवत्ता, कर्म-कौशल, निष्पादन और दक्षता का पता लगाने के लिए आवश्यक माना जाता है।

1.1.31 "कार्य-समापन पर परीक्षण" का अर्थ है क्रेता द्वारा सभी वस्तुओं और सेवाओं का अधिग्रहण करने से पहले ऐसे परीक्षण जैसा कि आपूर्तिकर्ता द्वारा किए गए हैं और संविदा में निर्धारित किए गए हैं।

1.1.32 "सप्ताह" का अर्थ किसी भी लगातार सात दिनों की अवधि से होगा।

1.2 संविदा दस्तावेजों की व्याख्या और प्राथमिकता

1.2.1 संविदा के दस्तावेजों को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए और इसकी एक दूसरे के साथ परस्पर व्याख्यात्मक रूप में व्याख्या की जानी चाहिए। यदि विशिष्ट दायित्वों में प्रत्यक्ष असंगति है, तो व्याख्या के प्रयोजनों के लिए, और जब तक संविदा में अन्यथा प्रदान नहीं किया जाता है, संविदा दस्तावेजों की प्राथमिकता निम्नलिखित अनुक्रम के अनुसार होगी:

(i) क्रय आदेश
(ii) फैक्स द्वारा स्वीकृति
(iii) विशिष्ट तकनीकी विशिष्टता/कार्य विनिर्देश (आपूर्ति के दायरे से संबंधित)
(iv) ड्राइंग
(v) विशेष क्रय शर्तें (एसपीसी)/ संविदा की विशेष शर्तें (एससीसी)
(vi) सामान्य तकनीकी विनिर्देश (यदि लागू हो)
(vii) बोलीदाताओं को निर्देश (आईटीबी)
(viii) संविदा की सामान्य शर्तें (जीसीसी)
(ix) संविदा का हिस्सा बनने वाला कोई अन्य दस्तावेज

औपचारिक संविदा पर हस्ताक्षर करने के बाद क्रय आदेश में किए गए संशोधन को औपचारिक संविदा और उसके अनुबंधों के संबंधित खंडों पर वरीयता दी जाएगी।

किसी असंगति से निपटने के लिए आवश्यक सीमा तक ही उच्च प्राथमिकता वाली व्याख्या को अपनाया जाएगा। जिन विशिष्ट शर्त(र्तों) पर सहमत हुई है, उन्हें सामान्य विवरण(णों) की तुलना में प्राथमिकता दी जाएगी और बाद की तारीख में संविदा दस्तावेज़ में दर्ज शर्तें पूर्व संविदा दस्तावेज़ की शर्तों को अधिशासित करेंगी। ऊपर उल्लिखित के अध्यधीन, ऊपर निर्धारित दस्तावेजों के समूहों की शर्तों का उनके समूह के भीतर समान महत्व है।

1.2.2 शीर्षक और हाशिए पर की गई टिप्पणियाँ: संविदा की इन सामान्य शर्तों या विशिष्टताओं या किसी अन्य निविदा दस्तावेज़ के सभी शीर्षक और हाशिए की टिप्पणियां केवल संक्षिप्त संकेत देने के लिए हैं, न कि इसकी सामग्री का सार, और उन्हें कभी भी इसका हिस्सा नहीं माना जाएगा या संविदा की व्याख्या में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

1.2.3 एकवचन और बहुवचन: संविदा दस्तावेज़ों में जब तक कि अन्यथा विशेष रूप से न कहा जाए, एकवचन में बहुवचन और इसके विपरीत शामिल होगा जहां भी संदर्भ के अनुसार अपेक्षित होगा।

1.2.4 व्याख्या: 'व्यक्ति(यों)/पार्टी(पार्टियों)' शब्दों के अर्थ में संबंधित कॉर्पोरेट कंपनियां/ पंजीकृत संघ/ व्यक्तियों का निकाय/ पार्टनरशिप फर्म' और कानूनी क्षमता वाली कोई भी फर्म/संगठन, जैसा भी मामला हो, शामिल होगा।

1.2.5 जेंडर: जहां संदर्भ अपेक्षित होगा, पुलिंग वाले शब्दों में स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग और इसके विपरीत भी शामिल होंगे।

1.2.6 पृथक्करणीयता: यदि इस संविदा के किसी भी प्रावधान को अमान्य, अवैध या अन्यथा किसी भी न्यायालय द्वारा लागू करने योग्य नहीं पाया जाता है, तो ऐसे निष्कर्ष इसके शेष प्रावधानों को प्रभावित नहीं करेंगे और वे संबंधित पार्टियों के लिए बाध्यकारी रहेंगे।

1.2.7 अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक शर्तें:

(i) किसी भी व्यापार शब्द का अर्थ और उसके तहत पार्टियों के अधिकार और दायित्व इनकोटर्म्स® 2020 या इसके नवीनतम संस्करण द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

(ii) ईएक्सडब्ल्यू, एफओबी, एफसीए, सीआईएफ, सीआईपी और सीपीटी और अन्य समान शर्तें, इनकोटर्म्स® 2020 या इसके नवीनतम संस्करण में निर्धारित नियमों द्वारा शासित होंगी, जो

इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा प्रकाशित की गई हैं, और बोली प्रस्तुत करने की नियत तारीख पर लागू होती हैं।

2.0 **आपूर्तिकर्ता को सूचना देना**

2.1 यह माना जाएगा कि आपूर्तिकर्ता ने अपनी पूरी संतुष्टि के लिए सभी संविदा दस्तावेजों को अच्छी से पढ़ लिया है। जानकारी का अभाव किसी भी तरह से आपूर्तिकर्ता को संविदा के तहत अपने दायित्व को पूरा करने की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करेगा।

3.0 आवेदन-पत्र

3.1 संविदा की ये सामान्य शर्तें (जीसीसी-वस्तुएं) इस तरह से लागू होंगी कि वे संविदा के अन्य हिस्सों के प्रावधानों से प्रभावित न हों।

4.0 मूल देश

4.1 संविदा के तहत आपूर्ति की गई सभी वस्तुओं और सेवाओं की उत्पत्ति बोलीदाता द्वारा उद्धृत और क्रेता द्वारा स्वीकृत होगी।

4.2 इस खंड के प्रयोजनों के लिए "उत्पत्ति" का अर्थ उस स्थान से है जहां वस्तुओं का खनन, विकास या उत्पादन किया गया था, या जहां से सेवाओं की आपूर्ति की जाती है। सामग्रियों का उत्पादन तब किया जाता है, जब घटकों को विनिर्माण, प्रोसेसिंग या पर्याप्त और बड़े पैमाने पर जोड़कर, व्यावसायिक रूप से मान्यता-प्राप्त नया उत्पाद बनाया जाता है जो मूल विशेषताओं या उद्देश्य या उपयोगिता में इसके घटकों से काफी भिन्न होता है।

4.3 विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के साथ संविदा के मामले में, संबंधित चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र, जो मूल देश को निर्दिष्ट करता है, शिपिंग/प्रेषण दस्तावेजों का हिस्सा होगा।

4.4 वस्तुओं और सेवाओं की उत्पत्ति आपूर्तिकर्ता की राष्ट्रीयता से भिन्न है।

4.5 माल के अंतिम उपयोग या अंतिम उपयोगकर्ता के संबंध में प्रस्तावित/ आपूर्ति किए गए सामान पर

बोलीदाता के मूल देश/ मूल देश द्वारा किसी भी निर्यात/ पुन: निर्यात नियंत्रण प्रतिबंध लगाया जाता है, तो बोलीदाता अपने प्रस्ताव में इसकी सूचना देगा। ऐसे मामले में, ऐसे बोलीदाता की बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने के अधिकार पर क्रेता द्वारा अपने विवेक पर निर्णय लिया जाएगा।

5.0 संविदा का कार्यक्षेत्र

5.1 संविदा का कार्यक्षेत्र क्रय आदेश/संविदा दस्तावेज(जों) और उसके संविदा में परिभाषित अनुसार होगा।

5.2 वस्तुओं और सेवाओं की पूर्णता आपूर्तिकर्ता की जिम्मेदारी होगी। कोई भी उपकरण, फिटिंग और सहायक उपकरण जिसका विशेष रूप से कार्यक्षेत्र, विनिर्देशों या ड्राइंगों में उल्लेख नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो सामग्री की संतोषजनक कार्यप्रणाली के लिए सामान्य या आवश्यक है (अर्थात् उपकरण का सफल प्रचालन और कार्य पद्धति आपूर्तिकर्ता की जिम्मेदारी है) को आपूर्तिकर्ता द्वारा बिना किसी अतिरिक्त लागत के प्रदान किया जाएगा।

5.3 आपूर्तिकर्ता विनिर्देशों में किसी भी चूक के बावजूद वस्तुओं/ उपकरणों के निर्माण में उत्कृष्ट इंजीनियरिंग प्रक्रियाओं का पालन करेगा। इन दस्तावेजों का सही आशय और अर्थ यह है कि आपूर्तिकर्ता सभी तरह से डिजाइन, इंजीनियर, निर्माण और आपूर्ति कारीगरी की तरह करेगा तथा क्रेता की पूर्ण संतुष्टि के लिए निर्धारित समय में इसकी आपूर्ति करेगा।

5.4 आपूर्तिकर्ता तकनीकी दस्तावेजों की अंग्रेजी भाषा में तीन (3) प्रतियां, अंतिम ड्राइंग्स, संरक्षण निर्देश, प्रचालन और रखरखाव नियमावली, परीक्षण प्रमाण-पत्र, क्रेता को सभी उपकरणों के अतिरिक्त पुर्जों का कैटलॉग प्रदान करेगा। आपूर्तिकर्ता उपरोक्त को कंप्यूटर में पढ़ने योग्य सॉफ्ट कॉपी में पीडीएफ प्रारूप में या इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी प्रदान करेगा।

5.5 आपूर्तिकर्ता द्वारा एक बार प्रस्तुत किए गए दस्तावेज सुनिश्चित और अंतिम होंगे और बाद में इनमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा जब तक कि क्रेता द्वारा लिखित रूप में स्पष्ट रूप से सहमति न दी जाए। गलत डेटा/ ड्राइंग प्रस्तुत करने के कारण क्रेता/ परामर्शदाता को होने वाली किसी भी हानि के लिए आपूर्तिकर्ता जिम्मेदार होगा।

5.6 सभी आयाम और वजन मीट्रिक प्रणाली में होने चाहिए।

5.7 आपूर्ति किए जाने वाले सभी उपकरण और संविदा के तहत किए जाने वाले कार्य संबंधित विनियमों/ अधिनियमों (राज्य सरकार या केंद्र सरकार) के प्रावधानों के अनुरूप और अनुपालन में होंगे, जैसा कि

उपकरण के प्रकार/ किए गए कार्य और आवश्यक प्रमाणपत्रों पर लागू हो सकता है, को प्रस्तुत किया जाएगा।

5.8 आपूर्तिकर्ता अतिरिक्त पुर्जों की संख्या और उनके स्थान की पहचान करने के लिए, जहां भी लागू होगा, क्रॉस सेक्शनल ड्रॉइंग प्रदान करेगा।

5.9 निविदा दस्तावेज/ आरएफक्यू और संविदा के साथ आपूर्तिकर्ता को जारी किए गए विनिर्देशों, डिजाइन और ड्राइंगों को बेचा या दिया नहीं जाता बल्कि उधार दिया जाता है। ये क्रेता/परामर्शदाता या उसके समनुदेशितियों की संपत्ति बने रहेंगे और क्रेता/ परामर्शदाता द्वारा इन्हें वापस लिया जा सकेगा। आपूर्तिकर्ता और उसके कर्मचारी संविदा के तहत निर्माण के अलावा किसी भी समय किसी भी उद्देश्य के लिए ड्राइंगों, विनिर्देशों और तकनीकी जानकारी का उपयोग नहीं करेंगे और क्रेता/ परामर्शदाता की पूर्व लिखित अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति, फर्म या कॉर्पोरेट निकाय को इसका खुलासा नहीं करेंगे। ऐसे सभी विवरण गोपनीय रखे जाएंगे।

5.10 आपूर्तिकर्ता संविदा में दिए गए निर्देशों के अनुसार उपकरण को पैक, संरक्षित, चिह्नित और भेजने की व्यवस्था करेगा।

5.11 आपूर्तिकर्ता अपनी ओर से और उप-ठेकेदार(रों) की ओर से एतद्द्वारा प्रतिनिधित्व करता है कि दोनों के पास उपकरण/ सामग्री के स्वामित्व को क्रेता को हस्तांतरित करने का पूर्ण कानूनी अधिकार, शक्ति और अधिकार है।

6.0 मानक

6.1 संविदा के तहत आपूर्ति की गई वस्तुएं तकनीकी विशिष्टताओं में उल्लिखित मानकों, या ऐसे अन्य मानकों के अनुरूप होंगे जो समान या उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं, और जब किसी लागू मानक का उल्लेख नहीं किया जाता है, तो माल के मूल देश के लिए उपयुक्त आधिकारिक मानक और ऐसे मानक संबंधित संस्थान(नों) द्वारा जारी नवीनतम मानक होंगे।

7.0 अनुदेश, निर्देश और पत्राचार

7.1 संविदा में वर्णित माल की आपूर्ति मानकों, डेटा शीट, तालिका, विनिर्देशों और उससे संबद्ध ड्राइंगों और/ या संविदा के साथ संलग्न, स्वयं और सभी शर्तों के अनुसार, संविदा के साथ संलग्न सामान्य

और विशिष्ट दोनों के अनुसार की जानी चाहिए, जब तक कि उनमें से किसी एक या सभी को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से लिखित रूप में संशोधित या रद्द न कर दिया गया हो।

7.2 आपूर्तिकर्ता को सभी निर्देश और आदेश, यहां प्रदान किए गए को छोड़कर, क्रेता/ परामर्शदाता द्वारा दिए जाएंगे।

7.3 वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के सभी प्रावधान क्रेता/ परामर्शदाता के निर्देशन और संतुष्टि के तहत किए जाएंगे।

7.4 तकनीकी/ व्यावसायिक स्पष्टीकरण और/या टिप्पणियों सहित सभी संचार क्रेता/ परामर्शदाता को संबोधित किए जाएंगे और हमेशा क्रय आदेश संख्या के संदर्भ में होंगे।

7.5 संविदा के खिलाफ भुगतान संबंधी चालान क्रेता को संबोधित किया जाएगा।

7.6 क्रय आदेश संख्या सभी चालानों, संचार, पैकिंग सूचियों, कंटेनरों और लदान के बिलों आदि पर दर्शाई जाएगी।

8.0 संविदा की बाध्यताएं

8.1 संविदा प्रदान करने के मामले में क्रेता एकमात्र निर्णय लेने वाला होगा तथा क्रेता का निर्णय अंतिम और आपूर्तिकर्ता पर बाध्यकारी होगा।

निविदा/ बोली की स्वीकृति की सूचना सफल बोलीदाता को क्रेता द्वारा संविदा प्रदान करने की अधिसूचना के माध्यम से या तो फैक्स/ई-मेल/पत्र या इसी तरह के माध्यम से दी जाएगी, जिसे फैक्स की स्वीकृति (एफओए) के रूप में परिभाषित किया गया है। संविदा उसके प्रदान किए जाने की अधिसूचना की तारीख से लागू होगी तथा यह क्रेता और आपूर्तिकर्ता पर बाध्यकारी होगा।

8.2 यदि संविदा प्रदान करने के बाद, आपूर्तिकर्ता एफओए/ पीओ की प्राप्ति की पावती नहीं देता है या निर्धारित समय-सीमा के भीतर संविदा निष्पादन प्रतिभूति प्रदान करने में विफल रहता है, तो क्रेता को संविदा को रद्द करने और इस संविदा की निबंधन एवं शर्तों के तहत उपलब्ध सभी उपायों को

लागू करने का अधिकार होगा।

8.3 एक बार जब कोई संविदा लागू हो जाती है, तो उसमें निहित निबंधन एवं शर्तें आपूर्तिकर्ता की बोली और पिछले सभी पत्राचारों पर वरियता से लेंगी।

8.4 आपूर्तिकर्ता की जिम्मेदारियां

8.4.1 आपूर्तिकर्ता सभी वस्तुओं और आकस्मिक सेवाओं की आपूर्ति क्रय आदेश की निबंधन एवं शर्तों के अनुसार उसमें उल्लिखित वितरण और समापन अनुसूची के अनुसार करेगा।

8.5 क्रेता की जिम्मेदारियां

8.5.1 जब कभी भी वस्तुओं और आकस्मिक सेवाओं की आपूर्ति के लिए यह आवश्यक होता है कि आपूर्तिकर्ता स्थानीय सार्वजनिक प्राधिकारियों से परमिट, अनुमोदन, और आयात तथा अन्य लाइसेंस प्राप्त करें, तो क्रेता, यदि आपूर्तिकर्ता द्वारा ऐसा अपेक्षित हो, ऐसी आवश्यकताओं को समय पर और शीघ्रता से पूरा करने के लिए इसके अनुपालन में आपूर्तिकर्ता की सहायता करने के लिए अपना हर संभव प्रयास करेगा।

8.6 संयुक्त और विविध जिम्मेदारी:

8.6.1 जहां आपूर्तिकर्ता की वस्तुओं/ उपकरण(णों) या उसके किसी भाग का उपयोग किसी अन्य निर्माता(ओं) द्वारा आपूर्ति किए गए अन्य उपकरण(णों) के साथ संयुक्त रूप से किया जाना है, वहां ऐसे निर्माता(ओं) का नाम अलग से आपूर्तिकर्ता को सूचित किया जाएगा, क्रेता/ परामर्शदाता विनिर्देश में निर्धारित तकनीकी और यांत्रिक विशेषताओं के संबंध में पूरे समूह या उपकरण के किसी हिस्से के सही संचालन के लिए आपूर्तिकर्ता और निर्माता को संयुक्त रूप से और पूर्ण रूप से जिम्मेदार ठहराएगा। ऐसी जिम्मेदारी में यांत्रिक संबद्धता के साथ-साथ क्रियाशील और शुरुआती समयावधि भी शामिल होगी।

8.6.2 परिणामस्वरूप, आपूर्तिकर्ता सभी संबंधित डेटा और सूचनाओं का आदान-प्रदान सुनिश्चित करने के लिए क्रेता/ परामर्शदाता द्वारा दर्शाए जाने वाले निर्माता के साथ सभी आवश्यक संपर्क स्थापित करेगा और बनाए रखेगा।

9.0 संविदा में आशोधन

9.1 डिलीवरी की शर्तों सहित तकनीकी और/या वाणिज्यिक पहलुओं के संबंध में संविदा में परिवर्तन करने वाले सभी संशोधनों को केवल तभी मान्य माना जाएगा जब संविदा में संशोधन जारी करके क्रेता/परामर्शदाता द्वारा लिखित रूप में स्वीकार किया जाए। ऐसे मामलों में स्वीकृति या अन्यथा जारी करना सहमत डिलीवरी तारीख को बढ़ाने का कोई आधार नहीं होगा और संविदा में संशोधन के माध्यम से पारस्परिक रूप से सहमत अवधि को छोड़कर किसी भी तरह से संविदा के निष्पादन को प्रभावित नहीं करेगा।

9.2 आवश्यकता के आधार पर, क्रेता/परामर्शदाता को संविदा की मांग-सूची के उद्देश्य को बदले बिना मात्रा, विनिर्देश, ड्राइंगों आदि को लिखित रूप में बदलने का अधिकार होगा। यदि ऐसे परिवर्तनों से आपूर्ति के लिए आवश्यक कीमत या समय में वृद्धि या कमी होती है, तो आपूर्तिकर्ता क्रेता/परामर्शदाता द्वारा संविदा में परिवर्तन आदेश/ संशोधन की समीक्षा और कार्रवाई के लिए 7 दिनों के भीतर दस्तावेजी साक्ष्य/ बैक-अप दस्तावेजों/ गणनाओं का प्रभाव दर्शाते हुए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। संविदा में संशोधन प्राप्त होने पर, आपूर्तिकर्ता परिवर्तन आदेश को लागू करेगा।

9.3 क्रेता/ परामर्शदाता आपूर्तिकर्ता के बोली प्रपत्रों में किसी भी मुद्रित शर्तों या प्रावधानों या संविदा की पावती, चालान, पैकिंग सूची और अन्य दस्तावेजों से बाध्य नहीं होंगे, जिसका आशय संविदा के विपरीत हो या पूरक के लिए किसी भी शर्त को लागू करना हो।

10.0 संविदा दस्तावेजों और सूचना का उपयोग

10.1 आपूर्तिकर्ता, क्रेता/ परामर्शदाता की पूर्व लिखित सहमति के बिना, संविदा के निष्पादन में आपूर्तिकर्ता द्वारा नियोजित व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को संविदा या उसके किसी प्रावधान, या उसके संबंध में क्रेता द्वारा या उसकी ओर से प्रस्तुत किसी विनिर्देश, योजना, ड्राइंग, पैटर्न, नमूना या जानकारी का खुलासा नहीं करेगा। ऐसे किसी भी नियोजित व्यक्ति के समक्ष गोपनीयता के साथ किया जाएगा और ऐसे निष्पादन के उद्देश्य के लिए जितना आवश्यक हो, उतना ही उल्लेख किया जाएगा।

10.2 आपूर्तिकर्ता, क्रेता की पूर्व लिखित सहमति के बिना, संविदा के निष्पादन के उद्देश्य को छोड़कर, खंड सं. 10.1 में उल्लिखित किसी भी दस्तावेज़ या सूचना का उपयोग नहीं करेगा।

11.0 पेटेंट अधिकार, दायित्व और विनियमों का अनुपालन

11.1 आपूर्तिकर्ता एतद्द्वारा वारंट करता है कि इसके तहत डिलीवर की गई सामग्री के उपयोग या बिक्री से ऐसी सामग्री को कवर करने वाले किसी भी पेटेंट के दावों का उल्लंघन नहीं होगा और आपूर्तिकर्ता ऐसे किसी भी कथित पेटेंट उल्लंघन के कारण क्रेता के खिलाफ सभी मुकदमों और कार्यवाही के लिए जिम्मेदार होगा और पूरी तरह अपने खर्च पर बचाव करने के लिए सहमत होगा, तथा सभी लागतों, खर्चों और नुकसान का भुगतान करेगा जो क्रेता और/या परामर्शदाता को ऐसे किसी भी मुकदमे या कार्यवाही के कारण भुगतान करना पड़ सकता है या वहन करना पड़ सकता है।

11.2 आपूर्तिकर्ता, वकील की फीस और व्यय सहित किसी भी प्रकृति के किसी भी और सभी मुकदमों, कार्यों या प्रशासनिक कार्यवाही, दावों, मांगों, हानि, नुकसान, लागतों और खर्चों से क्रेता/ परामर्शदाता और उसके कर्मचारियों और अधिकारियों को क्षतिपूर्ति करेगा और सुरक्षित रखेगा, जो क्रेता/ परामर्शदाता को किसी भी पेटेंट, उपयोगिता मॉडल, पंजीकृत डिजाइन, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, औद्योगिक डिजाइन अधिकार या अन्य बौद्धिक संपदा अधिकार पंजीकृत या अन्यथा के किसी भी उल्लंघन या कथित उल्लंघन के परिणामस्वरूप भुगतना पड़ सकता है।

(क) उस देश में जहां साइट स्थित है, माल या उसके किसी भाग की स्थापना या उपयोग; और
(ख) किसी भी देश में उत्पादों की बिक्री (जो माल के उपयोग से उत्पन्न होती है)।

11.3 आपूर्तिकर्ता संविदा का निष्पादन करते समय अपने कामगारों/ कर्मचारियों या उनके उत्तराधिकारियों, आश्रितों, प्रतिनिधियों, आदि या किसी अन्य व्यक्ति(यों) या कंपनी(यों) आदि से किसी भी दावे या भूल-चूक के लिए क्रेता की पूरी तरह से रक्षा और क्षतिपूर्ति करेगा।

11.4 आपूर्तिकर्ता कानूनों के तहत सभी आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा और किसी भी उल्लंघन से उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे/ जुर्माने से पूरी तरह से क्रेता की रक्षा और क्षतिपूर्ति करेगा।

12.0 संविदा निष्पादन प्रतिभूति (सीपीएस):

12.1 आपूर्तिकर्ता एफओए के प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर, परिशिष्ट-III में संलग्न प्रारूप में तैयार माल पर या निविदा दस्तावेज/ एफओए में उल्लिखित राशि पर जीएसटी को छोड़कर कुल क्रय आदेश मूल्य के निर्धारित प्रतिशत के बराबर राशि (निविदा/ एफओए में उल्लिखित) का डिमांड

ड्राफ्ट/ ऑनलाइन प्रत्यक्ष हस्तांतरण/ बैंक गारंटी के रूप में प्रस्तुत करेगा।

12.2 सीपीएस की आय को क्रेता द्वारा संविदा के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में आपूर्तिकर्ता की विफलता के परिणामस्वरूप बिना किसी अधिकार या सुधार के किसी भी नुकसान के मुआवजे के रूप में विनियोजित किया जाएगा, जिसके लिए क्रेता संविदा की निबंधन एवं शर्तों के अनुसार पात्र हो सकता है। इस सीपीएस की आय संविदात्मक वारंटी/ गारंटी की पूरी अवधि के दौरान वस्तुओं और सेवाओं के सफल निष्पादन को भी नियंत्रित करेगी।

संविदा निष्पादन प्रतिभूति / प्रतिभूति जमा की जब्ती के मामले में, जब्त की गई राशि को कर सहित माना जाएगा और गेल द्वारा कर चालान जारी किया जाएगा। जब्त की गई राशि आदेश/ संविदा की अन्य निबंधन एवं शर्तों के आधार पर गेल के अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

12.3 सीपीएस को संविदा की मुद्रा में नामित किया जाएगा।

12.4 सीपीएस परिशिष्ट-III के रूप में संलग्न प्रारूप के अनुसार दावा अवधि के साथ वारंटी/ गारंटी अवधि की समाप्ति तक की अवधि के लिए वैध होगा। क्रेता द्वारा संविदा के तहत किसी भी वारंटी/ गारंटी दायित्वों सहित आपूर्तिकर्ता के सभी दायित्वों की समाप्ति की तारीख से 3 महीने के भीतर बैंक गारंटी डिस्चार्ज की जाएगी।

12.5 इस संविदा की शर्तों के तहत आपूर्तिकर्ता द्वारा क्रेता/ परामर्शदाता को देय सभी मुआवजे, दावे या अन्य राशियों को उनकी संविदा निष्पादन प्रतिभूति के पर्याप्त भाग को भुनाकर या बिक्री से या किसी भी राशि से काटा या भुगतान किया जा सकता है जो किसी भी कारण से, जो कोई भी हो, क्रेता/ परामर्शदाता द्वारा आपूर्तिकर्ता के लिए देय है या देय हो सकता है और ऐसी किसी भी कटौती या बिक्री के कारणों से उसकी सीपीएस के कम होने की स्थिति में, आपूर्तिकर्ता इसके दस दिनों के भीतर बैंक ड्राफ्ट/ पूर्वोक्त के रूप में बैंक गारंटी कोई भी राशि या रकम जो उसके सीपीएस, या उसके किसी भाग की बिक्री से काटी या वसूल की गई हो, की पूर्ति करेगा। आपूर्तिकर्ता क्रेता/परामर्शदाता को मांग पर शेष बकाया राशि का भुगतान करेगा। सीपीएस के रूप में जमा की गई राशि पर क्रेता/ परामर्शदाता द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा और इस संबंध में किसी भी दावे पर क्रेता द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

13.0 निरीक्षण, परीक्षण और शीघ्रता

13.1 क्रेता या उसके प्रतिनिधि को संविदा विनिर्देशों के अनुसार माल की पुष्टि करने के लिए निरीक्षण और/या परीक्षण करने का अधिकार होगा। संविदा की विशेष शर्तें और/या तकनीकी विनिर्देश निर्दिष्ट करेंगे कि क्रेता को किन निरीक्षणों और परीक्षणों की आवश्यकता है और उन्हें कहाँ आयोजित किया जाना है। क्रेता इन उद्देश्यों के लिए रखे गए किसी भी प्रतिनिधि(यों) की पहचान को लिखित रूप में आपूर्तिकर्ता को सूचित करेगा।

13.2 निरीक्षण और परीक्षण आपूर्तिकर्ता या उसके उ-ठेकेदार के परिसरों में, डिलीवरी के बिंदु पर और/या माल के अंतिम गंतव्य स्थल पर आयोजित किए जा सकते हैं। जब इसे आपूर्तिकर्ता या उसके उप-ठेकेदार(रों) के परिसर में आयोजित किया जाता है, तो निरीक्षकों को सभी उचित सुविधाएं और सहायता प्रदान की जाएंगी, जिसमें ड्राइंग्स और उत्पादन डेटा तक पहुंच शामिल होगी, और क्रेता से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

13.3 यदि कोई निरीक्षण या परीक्षण की गई माल विनिर्देशों के अनुरूप नहीं है, तो क्रेता उन्हें अस्वीकार कर सकता है और आपूर्तिकर्ता या तो अस्वीकृत माल को बदलेगा या क्रेता को मुफ्त में विनिर्देशों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक सभी परिवर्तन करेगा।

13.4 क्रेता के देश में माल के आगमन के बाद क्रेता के निरीक्षण, परीक्षण और जहां आवश्यक हो, माल को अस्वीकार करने के अधिकार को किसी भी तरह से सीमित या इस कारण से नकारा नहीं जाएगा क्योंकि मूल देश से माल के शिपमेंट से पहले माल का क्रेता, या उनके प्रतिनिधि द्वारा पहले निरीक्षण, परीक्षण और पारित किया गया था।

13.5 निरीक्षक यह सुनिश्चित करने के लिए संविदा के तहत माल के निर्माण की प्रगति का जायजा ले सकता है कि संविदा में उल्लिखित आवश्यकताओं का अनुसूची और गुणवत्ता के अनुसार विचलन नहीं किया जा रहा है। आपूर्तिकर्ता निरीक्षक को काम के घंटों के दौरान, संविदा की वैधता की पूरी अवधि के दौरान संविदा के निष्पादन से संबंधित कार्यशालाओं का दौरा करने की अनुमति देगा।

13.6 संविदा के दायरे में आने वाली कोई भी सामग्री/ माल, जो निरीक्षक द्वारा निरीक्षण की प्रक्रिया के दौरान, निर्माण/ संरचना के किसी भी चरण और बाद के चरणों में, प्रेषण से पहले, क्रय आदेश की आवश्यकताओं/ विनिर्देशों के अनुसार नहीं पाई जाती है, तत्काल अस्वीकृत कर दी जाएगी। आपूर्तिकर्ता बिना किसी अतिरिक्त लागत के स्वीकार्य सामग्री के साथ ऐसी सामग्री को तत्काल

बदलने के लिए जिम्मेदार और उत्तरदायी होगा या क्रेता की वितरण अनुसूची को प्रभावित करेगा।

13.7 क्रेता के प्रतिनिधियों को समय पर प्रवेश वीज़ा प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए, आपूर्तिकर्ता मुख्य उपकरण के संयोजन, परीक्षण और पैकिंग से दो महीने पहले क्रेता को सूचित करेगा। यदि अनुरोध किया जाता है, तो आपूर्तिकर्ता कम से कम संभव समय में वीजा प्राप्त करने में क्रेता के प्रतिनिधियों की सहायता करेगा (केवल विदेशी आदेश के मामले में लागू)।

13.8 आपूर्तिकर्ता, निरीक्षक को माल के निरीक्षण और/या परीक्षण के लिए आवश्यक सभी टूल, उपकरण और अन्य उपकरण निःशुल्क उपलब्ध कराएगा। निरीक्षक को ऐसे माल और/या सामग्रियों के उपयोग और प्रेषण को प्रतिबंधित करने का अधिकार है जो परीक्षण और निरीक्षण के दौरान माल के लिए अपेक्षित विशेषताओं के अनुरूप नहीं हैं।

13.9 आपूर्तिकर्ता निरीक्षण कार्यक्रम में किसी भी विलंब के बारे में जल्द से जल्द लिखित रूप में सूचित करेगा, जिसमें विलंब के कारणों और प्रस्तावित सुधारात्मक कार्रवाई का विस्तार से वर्णन होगा।

13.10 सामान्य तौर पर सभी जांच और परीक्षण, जिनमें आपूर्तिकर्ता द्वारा निर्मित नहीं की गई सामग्री के लिए किए जाने वाले परीक्षण भी शामिल हैं, निरीक्षक द्वारा देखे जाएंगे। इसलिए, आपूर्तिकर्ता कम से कम 30 दिनों का नोटिस देकर निरीक्षण की सही तारीख के बारे में फैक्स या ई-मेल द्वारा क्रेता को पुष्टि करेगा। आपूर्तिकर्ता परीक्षण के लिए तैयार माल और मात्रा को निर्दिष्ट करेगा और यह बताएगा कि प्रारंभिक या अंतिम परीक्षण किया जाना है या नहीं।

13.11 यदि इस नोटिस की प्राप्ति पर क्रेता परीक्षण देखने के अधिकार को छोड़ देता है, तो तदनुसार समय पर सूचना दी जाएगी।

13.12 परीक्षण, रिपोर्ट तैयार करने और योग्य प्रयोगशालाओं द्वारा किए गए विश्लेषण, आवश्यक तकनीकी दस्तावेज, परीक्षण दस्तावेज और ड्राइंग के संबंध में किए गए कोई भी और सभी खर्च आपूर्तिकर्ता की कीमत पर होंगे। तकनीकी दस्तावेजों में निर्माण में उपयोग किए गए मानकों के संदर्भ और संख्याएं शामिल होंगी और जहां-कहीं भी निरीक्षक द्वारा व्यावहारिक समझा जाएगा, ऐसे मानकों की प्रति रखी जाएगी।

13.13 खंड-13 में कुछ भी इस संविदा के तहत आपूर्तिकर्ता को किसी वारंटी/ गारंटी या अन्य दायित्वों से किसी भी तरह से मुक्त नहीं करेगा।

13.14 भारतीय सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा अपेक्षित और तकनीकी विशिष्टताओं में निर्दिष्ट सभी निरीक्षणों की व्यवस्था आपूर्तिकर्ता द्वारा की जाएगी।

13.15 परेषितियों द्वारा सामग्री का निरीक्षण और अस्वीकृति

जब परेषिती द्वारा सामग्री को अस्वीकार कर दिया जाता है, तो आपूर्तिकर्ता को ऐसी अस्वीकृत सामग्री के विवरण तथा उसकी अस्वीकृति के कारणों के साथ-साथ उस स्थान का उल्लेख किया जाएगा जहां ऐसी सामग्री आपूर्तिकर्ता के जोखिम और लागत पर पड़ी है। आपूर्तिकर्ता को या तो सामग्री को हटाने के लिए या 14 दिनों के भीतर उनका निपटान करने के लिए निर्देश देने तथा खतरनाक, संक्रमित और खराब होने वाली सामग्री के मामले में लिखित सूचना की तारीख से 48 घंटे के भीतर बदलने के लिए कहा जाएगा, अन्यथा परेषिती/ क्रेता भुगतान करने के लिए या तो माल आपूर्तिकर्ता को माल भाड़े पर लौटाएगा या अन्यथा आपूर्तिकर्ता के जोखिम और लागत पर उनका निपटान करेगा। क्रेता भी खंड सं. 27.4 के अनुसार रखरखाव और भंडारण शुल्क वसूल करने का पात्र होगा।

14. समय-सारिणी और प्रगति की रिपोर्टिंग

14.1 समय-सारिणी नेटवर्क/ बार चार्ट

14.1.1 संविदा की पुष्टि के साथ, आपूर्तिकर्ता क्रेता को माल के प्रलेखन, निर्माण, परीक्षण, आपूर्ति, निर्माण और कमीशनिंग के बारे में अपनी समय-सारिणी प्रस्तुत करेगा।

14.1.2 समय-सारिणी एक नेटवर्क या बार चार्ट के रूप में होगी जिसमें दस्तावेज़ीकरण, कच्चे माल की आपूर्ति, निर्माण, परीक्षण, वितरण, निर्माण और कमीशनिंग के संबंध में सभी मुख्य या महत्वपूर्ण घटनाओं को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा।

14.1.3 आपूर्तिकर्ता की मूल मुद्दे और समय-सारिणी में बाद में किए गए संशोधन क्रेता को भेजे जाएंगे।

14.1.4 समय-सारिणी नेटवर्क/ बार चार्ट को कम से कम हर दूसरे महीने या क्रेता के साथ सहमति के अनुसार अद्यतन किया जाएगा।

14.2 प्रगति रुझान चार्ट/ मासिक रिपोर्ट

14.2.1 आपूर्तिकर्ता, संविदा के निष्पादन की प्रगति और टाइम बार चार्ट में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति पर, क्रेता को मासिक रिपोर्ट करेगा।

14.2.2 प्रगति प्रतिशत में व्यक्त की जाएगी जैसा कि समय अनुसूची विनिर्देश से जुड़े प्रगति रुझान चार्ट में दिखाया गया है।

14.2.3 प्रगति रुझान चार्ट का पहला अंक संविदा की पुष्टि के साथ टाइम बार चार्ट के साथ अग्रेषित किया जाएगा।

14.2.4 क्रेता/ परामर्शदाता के प्रतिनिधियों को आपूर्तिकर्ता के समय-सारिणी दस्तावेज़ के आधार पर संविदा निष्पादन की वास्तविक प्रगति का मूल्यांकन करने की दृष्टि से आपूर्तिकर्ता के परिसर का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

14.2.5 ऐसे निरीक्षण के बावजूद, आपूर्तिकर्ता क्रेता को प्रति देते हुए परामर्शदाता को प्रगति में किसी भी प्रत्याशित विलंब की यथाशीघ्र संभावित तिथि के बारे में सूचित करेगा।

14.3 उपर्युक्त के बावजूद, यदि विभिन्न चरणों में संविदा के निष्पादन की प्रगति समय-सारणी के अनुसार नहीं है और क्रेता/ परामर्शदाता की राय में संतोषजनक नहीं है, जो निर्णायक होगा या आपूर्तिकर्ता उचित विचार-विमर्श और तत्परता के साथ संविदा को निष्पादित करने की उपेक्षा करता है या संविदा के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो क्रेता/ परामर्शदाता शिकायत में उल्लिखित विफलता, उपेक्षा या उल्लंघन को ठीक करने के लिए आपूर्तिकर्ता को लिखित रूप में इसकी सूचना दे सकता है। यदि आपूर्तिकर्ता क्रेता/ परामर्शदाता द्वारा उचित मानी गई अवधि के भीतर इस तरह के नोटिस का अनुपालन करने में विफल रहता है तो क्रेता/परामर्शदाता के पास संविदा को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से रद्द करने का विकल्प और अधिकार होगा तथा आपूर्तिकर्ता के जोखिम और लागत पर आवश्यकताओं को प्राप्त करने और संविदा को पूरा करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे, तथा आपूर्तिकर्ता से इस कारण से क्रेता द्वारा वहन की गई अतिरिक्त लागत की वसूली करेंगे। ऐसी स्थिति में क्रेता/ परामर्शदाता किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा जो आपूर्तिकर्ता को हो सकती है और आपूर्तिकर्ता किसी भी लाभ का पात्र नहीं होगा। इसके अलावा, क्रेता/ परामर्शदाता को संविदा निष्पादन प्रतिभूति को पूर्ण या आंशिक रूप से भुनाने का अधिकार होगा।

15. वितरण एवं दस्तावेज और प्रेषण अनुसूची

15.1 माल की डिलीवरी आपूर्तिकर्ता द्वारा संविदा में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार की जाएगी, और डिलीवरी पूरी होने तक सामान आपूर्तिकर्ता के जोखिम पर रहेगा।

15.2 डिलीवरी की गई समझी जाएगी:

(i) यदि एफओबी/एफसीए, सीएफआर/सीपीटी और सीआईएफ/सीआईपी संविदाओं के मामले में, जब माल को जहाज/उड़ान पर लदान के निर्दिष्ट बंदरगाह पर रखा गया है और लदान/एयरवे बिल का एक स्पष्ट बिल प्राप्त किया जाता है। लदान बिल/ एयरवे बिल की तारीख को डिलीवरी की तारीख माना जाएगा।

(ii) एफओटी प्रेषण बिंदु संविदा (भारतीय बोलीदाता के लिए) के मामले में, इस साक्ष्य पर कि माल को वाहक पर लोड किया गया है और माल रसीद की एक प्राप्य प्रति प्राप्त की गई है। एलआर/जीआर की तारीख को डिलीवरी की तारीख माना जाएगा।

(iii) एफओटी साइट (भारतीय बोलीदाताओं के लिए) संविदा के मामले में, निर्दिष्ट साइट(टों) पर क्रेता/ परामर्शदाता द्वारा माल की प्राप्ति की तारीख को डिलीवरी की तारीख माना जाएगा।

(iv) सेवाओं से संबद्ध संविदाओं के लिए, संविदा में उल्लिखित ऐसी सेवाओं के लिए डिलीवरी/ समापन अवधि शून्य तारीख से शुरू होगी जैसा कि क्रेता/ परामर्शदाता द्वारा लिखित रूप में सूचित किया गया है या जैसा कि एससीसी या अन्य जगहों पर उल्लेख किया गया है।

15.3 सुपुर्दगी की शर्तें बाध्यकारी और अनिवार्य हैं और परिणामस्वरूप, क्रेता/ परामर्शदाता के लिखित अनुमोदन के बिना किसी भी विलंब की अनुमति नहीं है। विलंब से संबंधित कोई भी अनुरोध तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि क्रेता/ परामर्शदाता द्वारा संविदा में संशोधन के माध्यम से इसे स्वीकार नहीं किया जाता है।

15.4 सुपुर्दगी समय में अनुमोदन के लिए ड्राइंग प्रस्तुत करने का समय, टिप्पणियों, यदि कोई हो, को

शामिल करने और क्रेता/परामर्शदाता द्वारा ड्राइंगों की अंतिम स्वीकृति शामिल होगी।

15.5 सुपुर्दगी में विलंब की स्थिति में, खंड-26 में निर्धारित मूल्य कटौती अनुसूची लागू होगी। संविदा तब तक लागू रहेगी जब तक संविदा की समाप्ति के लिए क्रेता से आपूर्तिकर्ता को माल की सुपुर्दगी नहीं कर दी जाती या लिखित सूचना नहीं दे दी जाती।

15.6 यह नोट किया जाए कि यदि इस निविदा के परिणामस्वरूप उच्च बोली लगाने वाले को संविदा दी जाती है, तो सबसे कम स्वीकार्य प्रस्ताव को प्राथमिकता देते हुए, पहले की डिलीवरी पर विचार करते हुए, आपूर्तिकर्ता निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट और संविदा में शामिल की गई डिलीवरी की तारीख के भीतर ऐसी संविदा के अनुसार गेल को संविदा दर और आपूर्ति को पूरा करने में विफल रहने पर न्यूनतम स्वीकार्य बोलीदाता द्वारा उद्धृत दर के बीच के अंतर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। यह संविदा की शर्तों के तहत गेल के लिए उपलब्ध अन्य अधिकारों और उपचारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

15.7 प्रलेखन, अंग्रेजी भाषा में, उचित समय में, उचित रूप में और संविदा में निर्दिष्ट अनुसार आवश्यक संख्या में प्रतियों को वितरित किया जाएगा।

15.8 अंतिम ड्राइंगों और निर्देशों की अतिरिक्त प्रतियों को माल के पैकेज में शामिल किया जाएगा, ठीक से कवर और संरक्षित किया जाएगा।

15.9 आपूर्तिकर्ता को पैकिंग, मार्किंग और शिपिंग दस्तावेज़ के विनिर्देशों का पालन करना चाहिए।

15.10 **प्रेषण अनुसूची**

15.10.1 **भारतीय बोलीदाता:**

यदि क्रय आदेश एफओटी (ट्रक पर नि:शुल्क)/एफओआर (रेल पर नि:शुल्क) परियोजना स्थल के आधार पर जारी किया जाता है, तो माल भाड़ा प्रीपेड और डोर डिलीवरी के आधार पर गंतव्य स्थान पर वितरित किया जाएगा और उन मामलों के लिए जहां आदेश(शों) को पूर्व-कार्य आधार पर में अंतिम रूप दिया जाता है, वहां परिवहन की व्यवस्था आपूर्तिकर्ता/ गेल द्वारा 'माल भाड़ा भुगतान' के आधार पर की जाएगी और भाड़े का भुगतान गंतव्य स्थल पर किया जाएगा।

आपूर्तिकर्ता क्रय आदेश के अनुसार नामित प्राधिकारी को अधिसूचना देने से 15 दिनों के भीतर माल/ कार्गो का निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करेगा:

(i) शिपमेंट अनुसूची
(ii) पैकेज का आयाम विवरण
(iii) कैटलॉग के साथ विस्तृत तकनीकी विवरण (यदि लागू हो)
(iv) कोई अन्य दस्तावेज/ विवरण, यदि क्रय आदेश में उल्लिखित है

कानून/ अधिनियम के अनुसार, जहां-कहीं भी आवश्यक हो, माल को ई-वे बिल के साथ ट्रांसपोर्टर को सौंपा जाना चाहिए। यदि ऐसा ई-वे बिल गेल द्वारा जारी किया जाना अपेक्षित है, तो संबंधित नामित आदेश जारी करने वाले प्राधिकारी से इस संबंध में संपर्क किया जा सकता है। खेप भेजने से पहले ई-वे बिल से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना आपूर्तिकर्ता की जिम्मेदारी होगी और इस संबंध में अनुपालन न करने के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी वित्तीय प्रभाव को आपूर्तिकर्ता के नामे डाला जाएगा।

सामग्री के प्रेषण पर तुरंत सूचना भेजने की जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता की होगी ताकि साइट पर आवश्यक व्यवस्था की जा सके। इसके कारण होने वाले विलंब के लिए केवल आपूर्तिकर्ता जिम्मेदार होगा।

15.10.2 विदेशी बोलीदाता:

जहां आपूर्तिकर्ता को संविदा के तहत सीएफआर या सीआईएफ पर माल की डिलीवरी की आवश्यकता होती है, वहां माल को डिस्चार्ज वाले बंदरगाह या गंतव्य स्थल के देश में ऐसे अन्य बिंदु पर ले जाने, जैसा कि संविदा में निर्दिष्ट किया जाएगा, के लिए व्यवस्था की जाएगी और इसके लिए आपूर्तिकर्ता द्वारा भुगतान किया जाएगा और उन मामलों के लिए जहां एफओबी या एफसीए के आधार पर आदेश(शों) को अंतिम रूप दिया जाता है, वहां परिवहन की व्यवस्था गेल द्वारा की जाएगी।

आपूर्तिकर्ता क्रय आदेश के अनुसार नामित प्राधिकारी को अधिसूचना प्रदान करने से 15 दिनों के भीतर माल/ कार्गो का निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करेगा:

(i) शिपमेंट अनुसूची

(ii) पैकेज का आयाम विवरण

(iii) कैटलॉग के साथ विस्तृत तकनीकी विवरण (यदि लागू हो)

(iv) कोई अन्य दस्तावेज/ विवरण, यदि क्रय आदेश में उल्लिखित है।

सामग्री के प्रेषण के तुरंत बाद सूचना और मूल शिपिंग दस्तावेज भेजने की जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता की होगी ताकि गंतव्य बंदरगाह स्थल पर आवश्यक व्यवस्था की जा सके। इसके कारण होने वाले विलंब के लिए केवल आपूर्तिकर्ता जिम्मेदार होगा।

मार्गस्थ/ समुद्री जोखिमों के लिए गेल द्वारा सभी उपकरणों/ सामग्रियों का बीमा किया जाएगा, जब तक कि अन्यथा क्रय आदेश में परिवहन आदि के दौरान नुकसान को कवर करने के लिए निर्दिष्ट न किया गया हो ।

परिवहन के दौरान ऐसे किसी भी नुकसान को तुरंत बीमाकर्ता के साथ-साथ ट्रांसपोर्टर को सूचित किया जाएगा, ताकि मार्ग में होने वाले नुकसान की वसूली के लिए आगामी आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

भेजे गए/ भेजने वाले माल के मार्गस्थ/ समुद्री बीमा की व्यवस्था करने के उद्देश्य से, विक्रेताओं को पॉलिसी संख्या आदि के साथ प्रेषण का पूरा विवरण देते हुए बीमा कंपनी को प्रेषण/ शिपिंग विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है।

16 मार्गस्थ जोखिम बीमा

16.1 संविदा के तहत आपूर्ति की गई सभी वस्तुओं का निर्माण या अधिग्रहण, परिवहन, भंडारण और वितरण के दौरान होने वाले आकस्मिक नुकसान या क्षति के खिलाफ मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में पूर्ण बीमा किया जाएगा।

16.2 क्रेता अंतर्देशीय परिवहन के दौरान जोखिम और क्षति को कवर करने के लिए, जब तक कि क्रय आदेश में अन्यथा निर्दिष्ट न हो, स्वदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति किए गए सामान के लिए मार्ग में होने वाले जोखिम के लिए बीमा की व्यवस्था करेगा। इसके अलावा, जहां डिलीवरी एफओबी/ एफसीए या सीएफआर/ सीपीटी आधार पर होती है, वहां समुद्री बीमा क्रेता की जिम्मेदारी होगी।

परिवहन के दौरान ऐसे किसी भी नुकसान को तुरंत बीमाकर्ताओं के साथ-साथ ट्रांसपोर्टर को सूचित

किया जाएगा, ताकि परेषिती को सूचित किया जा सके और मार्ग में होने वाले नुकसान की वसूली के लिए आगामी आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

16.3 बीमा आवश्यकताएँ:

स्वदेशी आपूर्तिकर्ता: एफओटी प्रेषण बिंदु से आगे के लिए मार्गस्थ जोखिम बीमा की व्यवस्था गेल द्वारा की जाएगी और इसका वहन किया जाएगा तथा जब तक कि क्रय आदेश में अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो।

शिपमेंट के तुरंत बाद, आपूर्तिकर्ता क्रेता के बीमा एजेंट और क्रेता/ परामर्शदाता को एलआर संख्या और तारीख, चालान संख्या और मूल्य के साथ तारीख, पैकेजों/ मामलों की संख्या, सकल/शुद्ध वजन, माल का मूल्य और खरीद के बारे में शिपमेंट का विवरण, प्रेषण बिंदु से परेषिती के साइट/गोदाम तक मार्ग में होने वाले जोखिम के लिए खेप के बीमा की व्यवस्था करने के लिए बीमा पॉलिसी संख्या के साथ आदेश संख्या दर्शाते हुए सूचना देगा।

विदेशी आपूर्तिकर्ता: इनकोटर्म्स के अनुसार ईएक्सडब्ल्यू, एफओबी/ एफसीए, सीएफआर/ सीएंडएफ ऑर्डर के मामले में क्रेता के देश में समुद्री बीमा के साथ-साथ मार्गस्थ बीमा की व्यवस्था गेल द्वारा की जाएगी और उसका खर्च वहन किया जाएगा।

शिपमेंट के तुरंत बाद, आपूर्तिकर्ता क्रेता के बीमा एजेंट और क्रेता/परामर्शदाता को पोत का नाम, बी/एल या एडब्ल्यूबी संख्या और तारीख, चालान संख्या के बारे में शिपमेंट का विवरण, आवश्यक बीमा की व्यवस्था के लिए पैकेज/मामलों की संख्या और सकल/शुद्ध वजन, माल का मूल्य और क्रय आदेश संख्या और तारीख, ईटीडी और बंदरगाहों पर पोत के ईटीए के साथ-साथ मूल्य, पैकिंग विवरण सहित तारीख और बीमा पॉलिसी संख्या दर्शाते हुए सूचना देगा।

आपूर्तिकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि माल के प्रभावी प्रेषण में, सुरक्षित आवाजाही के लिए वाहक की प्राथमिक जिम्मेदारी हमेशा बनी रहे ताकि क्रेता के हितों की पूरी तरह से रक्षा हो और किसी भी तरह से जोखिम में न पड़े। आपूर्तिकर्ता प्रत्येक उपकरण के लिए सामग्री की लागत प्रस्तुत करेगा।

क्रेता का बीमा एजेंट और बीमा पॉलिसी सं.:

[बीमा एजेंट का नाम और पता और बीमा पॉलिसी सं. निविदा दस्तावेज/ क्रय आदेश में उल्लेख किया जाएगा]

17. **पैकिंग एवं शिपिंग अनुदेश और परिवहन**

17.1 **पैकिंग और मार्किंग:**

आपूर्तिकर्ता सामग्री को योग्य/समुद्र योग्य/वायु योग्य पैकिंग में भेजेगा जो हवाई/महासागर/भूमि यात्रा के लिए लागू पैकिंग/निर्धारित मानकों के अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप हो और मार्ग में कार्गो की सुरक्षा सुनिश्चित करें और सामग्री को अंतिम गंतव्य स्थल तक अच्छी स्थिति में पहुंचाए। यदि खतरनाक/जोखिम सामग्री वाले कार्गो को अन्य सामग्री के साथ ऑर्डर किया जाता है, तो एक विशेष आपूर्ति आदेश के तहत, खतरनाक/ जोखिम सामग्री वाले कार्गो को एक अलग पहचान योग्य बॉक्स में पैक किया जाना चाहिए ताकि अतिरिक्त भाड़े के भुगतान और निकासी में विलंब से बचा जा सके। आपूर्तिकर्ता के गोदाम से अंतिम पारेषिती के गोदाम के आधार पर आपूर्तिकर्ता के दायरे में मार्गस्थ बीमा के साथ संविदा के मामले में आपूर्तिकर्ता द्वारा सभी जोखिमों के खिलाफ खेप का व्यापक रूप से बीमा किया जाएगा और प्रत्येक मामले/ पैकिंग में इसके बाहरी हिस्से पर अंग्रेजी में अमिट स्याही में निम्नलिखित लिखा जाएगा:

(i) क्रय आदेश संख्या और तारीख

(ii) मूल देश (विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के लिए लागू)

(iii) आपूर्तिकर्ता का नाम

(iv) मामला संख्या (बॉक्स की कुल संख्या पर क्रम-वार संख्या)।

(v) प्रत्येक बॉक्स पर किलोग्राम में कुल और शुद्ध वजन।

(vi) पैकेज का आयाम

(vii) गंतव्य स्थल का बंदरगाह (विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के लिए लागू)

(viii) परेषिती

(ix) ऊपरी हिस्सा/उल्टा न करें/सावधानीपूर्वक देखभाल करें (जैसा लागू हो)

(x) जिन उपकरणों को पैक नहीं किया जा सकता है, उन पर धातु के टैग लगे होने चाहिए, जिस पर उपरोक्त चिह्न अंकित हों। प्रत्येक बॉक्स में अंग्रेजी में पैकिंग सूची और सामग्री सुरक्षा डेटा शीट (यदि लागू हो) की एक प्रति लगी होनी चाहिए।

खतरनाक रसायनों/ सामग्रियों के मामले में बोलीदाता कोटेशन के साथ-साथ सामग्री भेजते समय भी सामग्री सुरक्षा डाटा शीट प्रदान करेगा। बोलीदाता खतरनाक रसायनों की प्रत्येक पैकिंग पर विशेष जोखिम पहचान चिह्न/ चिह्न भी उपलब्ध कराएगा।

आपूर्तिकर्ता दोषपूर्ण या अपर्याप्त पैकिंग के साथ-साथ अपर्याप्त सुरक्षा के कारण जंग के कारण माल के सभी नुकसान या टूट-फूट के लिए जिम्मेदार होगा। पैक किए गए उपकरण या सामग्री जो खोलने के समय गलत ढंग से की गई पैकिंग सामग्री या पैकिंग प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप क्षति, दोष या कमी दर्शाती हैं या छिपी हुई क्षति या कमी दर्शाती है, को आपूर्तिकर्ता के नामे डाला जाएगा।

17.2 **शिपिंग के लिए अनुदेश:**

आपूर्तिकर्ता क्रेता/ परामर्शदाता और सभी संबंधितों को सूचित करेगा और साथ ही बंदरगाह के साथ-साथ अंतिम परेषिती को लदान बिल/ एयरवे बिल नंबर एवं तारीख, जहाज/ उड़ान का नाम, जहाज घोषणापत्र, प्रस्थान की तारीख, जहाज/उड़ान, लदान और गंतव्य का बंदरगाह, सामग्री का संक्षिप्त विवरण, कुल/शुद्ध वजन और पैकेजों की कुल संख्या, मात्रा, मूल्य और क्रय आदेश संख्या और तारीख जहाज के प्रस्थान से 2 दिनों के भीतर या 24 घंटे के भीतर लोडिंग के बंदरगाह से उड़ान का प्रस्थान ई-मेल द्वारा सूचित करेगा।

17.3 प्रेषण दस्तावेजों की प्रतियां क्रेता/परामर्शदाता के पास अग्रिम में पहुंच जानी चाहिए, अन्यथा प्रेषण दस्तावेज के विलंब से/प्राप्त न होने/माल के गलत प्रेषण के कारण किए गए किसी भी विलंब शुल्क/घाट शुल्क आदि की वसूली आपूर्तिकर्ता से की जाएगी। बैंक के माध्यम से दस्तावेजों के मामले में, यह नोट किया जाए कि दस्तावेजों को तभी बंद किया जाएगा जब क्रय आदेश की शर्तों के अनुसार प्रेषण कियागया हो।

17.4 जहां आपूर्तिकर्ता को एफओबी/ एफसीए आधार पर माल की डिलीवरी करने की आवश्यकता होती है, वहां डिलीवरी होने तक माल की ढुलाई, अर्थात् माल का जहाज पर लदान होने तक, जिसमें लदान के निर्दिष्ट बंदरगाह पर निर्यात वाहन स्थल शामिल है, को आपूर्तिकर्ता द्वारा व्यवस्थित और भुगतान किया जाएगा तथा उसकी लागत को क्रय आदेश मूल्य में शामिल किया जाएगा।

17.5 जहां आपूर्तिकर्ता को संविदा के तहत गुडसन सीएफआर/सीपीटी या सीआईएफ/सीआईपी आधार पर डिलीवरी की आवश्यकता होती है, वहां आपूर्तिकर्ता द्वारा माल की ढुलाई के बंदरगाह या गंतव्य देश में ऐसे अन्य बिंदु पर ढुलाई की व्यवस्था की जाएगी और इसके लिए भुगतान किया जाएगा तथा इसकी लागत को क्रय आदेश मूल्य में शामिल किया जाएगा।

17.6 जहां आपूर्तिकर्ता को संविदा के तहत एफओटी गंतव्य स्थल आधार पर माल डिलीवर करना आवश्यक है, वहां गंतव्य बिंदु तक माल की ढुलाई को संविदा में निर्दिष्ट किया जाएगा और आपूर्तिकर्ता द्वारा इसकी व्यवस्था की जाएगी और भुगतान किया जाएगा तथा इसकी लागत को क्रय आदेश मूल्य में शामिल किया जाएगा।

17.7 "सड़क मार्ग द्वारा वहन अधिनियम, 2007" की धारा 3 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति सामान्य वाहक के व्यवसाय में तब तक संलग्न नहीं हो सकता जब तक कि ऐसा करने के लिए पंजीकरण प्रमाण-पत्र न दे दिया जाए और गैर-पंजीकृत सामान्य वाहक के माध्यम से माल की ढुलाई करना अवैध है। तदनुसार, माल की ढुलाई केवल पंजीकृत सामान्य वाहकों के माध्यम से ही की जानी चाहिए।

18. **आकस्मिक सेवाएं**

18.1 आपूर्तिकर्ता को निम्नलिखित में से कोई भी या सभी सेवाएं प्रदान करने की आवश्यकता हो सकती है:

18.1.1 साइट पर असेंबली करने और/या आपूर्ति किए गए सामानों के स्टार्ट-अप का निष्पादन या पर्यवेक्षण

करना:

18.1.2 आपूर्ति किए गए सामान की असेंबली करने और/या रखरखाव के लिए अपेक्षित उपकरण प्रदान करना:

18.1.3 पार्टियों द्वारा सहमत समय अवधि के लिए आपूर्ति किए गए सामान का निष्पादन या पर्यवेक्षण या रखरखाव और/या मरम्मत करना, बशर्ते कि यह सेवा संविदा के तहत किसी भी वारंटी/गारंटी दायित्वों से आपूर्तिकर्ता को मुक्त नहीं करेगी।

18.1.4 आपूर्तिकर्ता के परिसर में और/या साइट पर, असेंबली करने, स्टार्ट-अप संचालन, रखरखाव और/या आपूर्ति किए गए सामान की मरम्मत पर क्रेता के कर्मियों का प्रशिक्षण बिना किसी अतिरिक्त लागत के होगा। तथापि, क्रेता प्रशिक्षुओं के ठहरने, रहने और व्यक्तिगत खर्च वहन करेगा।

18.2 पूर्ववर्ती आकस्मिक सेवाओं के लिए आपूर्तिकर्ता द्वारा ली जाने वाली कीमतें, समान सेवाओं के लिए आपूर्तिकर्ता द्वारा अन्य पार्टियों से ली जाने वाली प्रचलित दरों से अधिक नहीं होंगी।

18.3 जब आवश्यक हो, आपूर्तिकर्ता पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर क्रेता द्वारा निर्दिष्ट अवधि के लिए साइट पर पर्यवेक्षण और/या सामान/उपकरणों के निर्माण के लिए आवश्यक कर्मचारियों को नियुक्त करेगा। क्रेता द्वारा दिए गए नोटिस की तारीख से आपूर्तिकर्ता के कर्मचारी आपातकालीन कार्रवाई के लिए सात दिनों के भीतर और मध्यम और दीर्घकालिक सहायता के लिए इक्कीस दिनों के भीतर साइट पर उपलब्ध होंगे।

18.4 यदि आकस्मिक सेवाओं की लागत को मूल्य अनुसूचियों/ दरों की अनुसूची में अलग से नहीं दिखाया गया है, तो उसे उद्धृत कीमतों में शामिल माना जाएगा।

19. अतिरिक्त पुर्जे, रखरखाव उपकरण आदि।

19.1 आपूर्तिकर्ता को निम्नलिखित में से कोई भी या सभी सामग्री प्रदान करने की आवश्यकता हो सकती है और आपूर्तिकर्ता द्वारा निर्मित या प्राप्त किए गए अतिरिक्त पुर्जे (पृथक उपकरण, सहायक उपकरण, सब-असेंबली/ असेंबली आदि सहित) से संबंधित अधिसूचना प्रदान करना आवश्यक हो सकता है। ऐसे पुर्जों की आपूर्ति सीधे आपूर्तिकर्ता द्वारा की जाएगी और इसकी जिम्मेदारी उसके डीलरों/ वितरकों/ स्टॉकिस्टों या भारतीय सहयोगियों पर नहीं डाली जाएगी।

19.1.1 क्रेता आपूर्तिकर्ता से ऐसे अतिरिक्त पुर्जों को खरीदने का विकल्प चुन सकता है, बशर्ते कि उसका विकल्प आपूर्तिकर्ता को संविदा के तहत किसी भी वारंटी दायित्वों से मुक्त नहीं करेगा, और

19.1.2 अतिरिक्त पुर्जों के उत्पादन को बंद करने की स्थिति में:

i) क्रेता को उत्पादन के बंद होने की अग्रिम अधिसूचना दी जाएगी ताकि क्रेता को ऐसे पुर्जों की खरीद की अनुमति देने के लिए पर्याप्त समय मिल जाए, और

ii) ऐसी समाप्ति के बाद, क्रेता को बिना किसी कीमत के, ब्लू प्रिंट, ड्राइंग और अतिरिक्त पुर्जों के विनिर्देश, यदि कोई हो, अनुरोध किए जाने पर प्रस्तुत किए जाएंगे।

19.2 आपूर्तिकर्ता, उसके द्वारा प्राप्त पुर्जों/रखरखाव उपकरणों के लिए सभी विनिर्माताओं/ उप-आपूर्तिकर्ता(ओं) के पूर्ण विवरण के साथ-साथ अतिरिक्त पुर्जों और रखरखाव उपकरण आवश्यकताओं के प्रत्येक मद के मूल्य के साथ मद-वार सूची पदान करेगा।

19.3 इंजीनियरिंग मानकों/ कोड के अनुसार अतिरिक्त पुर्जे नए और प्रथम श्रेणी की गुणवत्ता के होंगे, जो किसी भी खराबी (यहां तक कि छुपाए गए), डिजाइन, सामग्री और कारीगरी में किसी भी कमी से मुक्त होंगे और संबंधित भागों के साथ पूरी तरह से आपस में बदले जा सकेंगे।

19.4 फिल्टर घटकों के प्रकार और आकार स्पष्ट रूप से दर्शाए जाने चाहिए।

19.5 उपयुक्त मामलों में अतिरिक्त पुर्जों को स्पष्ट रूप से वांछित उद्देश्य के रूप में चिह्नित करते हुए उष्णकटिबंधीय जलवायु परिस्थितियों में लंबी अवधि के भंडारण को ध्यान में रखते हुए पैक किया जाएगा।

19.6 सामान के लिए सामान्य रखरखाव और विशेष हैंडलिंग और उठाने वाले उपकरण, यदि कोई हो, के लिए आवश्यक विशेष उपकरणों और गेजों की सूची क्रेता को प्रस्तुत की जाएगी।

19.7 बोलीदाताओं को यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि वे उपर्युक्त शर्तों का पालन नहीं करते हैं, तो उनकी बोली को अस्वीकार किया जा सकता है।

20. गारंटी

20.1 सभी सामान या सामग्री की आपूर्ति संविदा में निर्दिष्ट विनिर्देशों, ड्राइंगों, डेटा शीट, अन्य संलग्नक और शर्तों के अनुसार सख्ती से की जाएगी।

ऐसे विनिर्देशों या परिवर्तनों या इन शर्तों से कोई विचलन क्रेता/ परामर्शदाता के लिखित समझौते के बिना नहीं किया जाएगा, जिसे आदेश के तहत किसी भी कार्य के शुरू होने से पहले प्राप्त किया जाना चाहिए। संविदा के अनुसार आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति की गई सभी सामग्री (भले ही इंजीनियरिंग, डिज़ाइन डेटा या अन्य जानकारी क्रेता/ परामर्शदाता द्वारा प्रस्तुत, समीक्षा या अनुमोदित की गई हो) को उनके संबंधित प्रकार की सर्वोत्तम गुणवत्ता की गारंटी दी जाती है (जब तक कि अन्यथा क्रेता/परामर्शदाता द्वारा लिखित रूप में विशेष रूप से अधिकृत नहीं किया जाता है) और यह दोषपूर्ण डिजाइन, कारीगरी और सामग्री से मुक्त होगा, तथा यह पर्याप्त आकार एवं क्षमता और उचित सामग्री का होना चाहिए ताकि संविदा में निर्दिष्ट सभी परिचालन शर्तों, यदि कोई हो, को सभी तरह से पूरा किया जा सके।

यदि किसी भी सामग्री के डिजाइन, सामग्री, कारीगरी या परिचालन विशेषताओं से उत्पन्न कोई समस्या या दोष, माल/ उपकरणों के पहले वाणिज्यिक संचालन की तारीख से बारह (12) महीने पहले किसी भी समय उत्पन्न होता है या पिछले शिपमेंट की तारीख से चौबीस (24) महीने, जो भी अवधि पहले समाप्त हो जाएगी और आपूर्तिकर्ता को इसकी सूचना दी जाएगी, आपूर्तिकर्ता अपने स्वयं के खर्च पर और जितनी जल्दी हो सके, ऐसे परिवर्तन, मरम्मत और प्रतिस्थापन करेगा जो विनिर्देशों के अनुसार और पूर्वगामी गारंटी को पूरा करने के लिए सामग्री को कार्य करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक हो सकता है। तथापि, किसी भी मामले में, मरम्मत/ बदले गए हिस्से की वारंटी मूल उपकरण के चालू होने की तारीख से 24 महीने या अंतिम आपूर्ति से 36 महीने, जो भी पहले हो, से अधिक नहीं होगी। इस अवधि में दोषपूर्ण माल की मरम्मत/ प्रतिस्थापन/ सुधार अवधि शामिल नहीं है।

क्रेता/ परामर्शदाता, अपने विकल्प पर, आपूर्तिकर्ता के खर्चे पर ऐसी दोषपूर्ण सामग्री को हटा सकता है, जिसमें आपूर्तिकर्ता, क्रेता/ परामर्शदाता को बिना किसी लागत के और यथाशीघ्र उचित सामग्री प्रदान और स्थापित करेगा।

यदि दोष इस प्रकार के हैं कि माल को सुधार आदि के लिए आपूर्तिकर्ता के पास भेजना होगा, तो क्रेता/ परामर्शदाता द्वारा अपेक्षित अनुसार आवश्यक वचनबद्धता या प्रतिभूति देने के बाद आपूर्तिकर्ता

अपने खर्च पर माल ले जाएगा। क्रेता/ परामर्शदाता, यदि आपूर्तिकर्ता द्वारा ऐसा अपेक्षित हो, तो आपूर्तिकर्ता के कार्यों के लिए "देय भाड़ा" के आधार पर माल को सबसे शीघ्र माध्यम से भेज सकता है। मरम्मत के बाद आपूर्तिकर्ता भाड़े का प्री-पेड आधार पर साइट पर माल की डिलीवरी करेगा। आने-जाने के सभी जोखिम और आने-जाने के लिए भाड़ा, बीमा, सीमा शुल्क निकासी, परिवहन और रखरखाव, बंदरगाह शुल्क और सीमा शुल्क आदि के सभी खर्च आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किए जाएंगे।

यदि आपूर्ति की गई सामग्री विनिर्देशों को पूरा नहीं करती है और/या ड्राइंग डेटा शीट या संविदा की शर्तों (गारंटी अवधि सहित) के अनुसार नहीं है और साइट पर सुधार की आवश्यकता है, तो क्रेता/ परामर्शदाता आपूर्तिकर्ता को अंतर के विवरण की पूर्ण जानकारी देते हुए सूचित करेगा। आपूर्तिकर्ता कमी को ठीक करने के लिए, क्रेता/ परामर्शदाता के प्रतिनिधियों से मिलने और सहमत होने के लिए, आवश्यक कार्रवाई के लिए ऐसी सूचना प्राप्त होने के सात (7) दिनों के भीतर साइट पर उपस्थित होगा। यदि आपूर्तिकर्ता ऊपर निर्दिष्ट समय के भीतर साइट पर बैठक में भाग लेने में विफल रहता है, तो क्रेता/ परामर्शदाता तुरंत कार्य/सामग्रियों में सुधार करेगा और आपूर्तिकर्ता क्रेता को ऐसी समस्या या दोष के संबंध में किए गए सभी लागतों और खर्चों की प्रतिपूर्ति करेगा।

20.2 **उपकरण की निष्पादन गारंटी**

20.2.1 आपूर्तिकर्ता गारंटी देगा कि संविदा के तहत आपूर्ति किए गए उपकरणों का प्रदर्शन विनिर्देशों के अनुरूप होगा और संविदा के तहत निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन किया जाएगा।

20.2.2 यदि आपूर्तिकर्ता विनिर्देश में निर्धारित उपकरण के गारंटीकृत प्रदर्शन को साबित करने में विफल रहता है, तो आपूर्तिकर्ता कारणों की जांच करेगा और गारंटीकृत प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए आवश्यक सुधार/संशोधन करेगा। यदि आपूर्तिकर्ता उचित अवधि के भीतर ऐसा करने में विफल रहता है, तो आपूर्तिकर्ता उपकरण को बदल देगा और क्रेता को बिना किसी अतिरिक्त लागत के नए उपकरण के गारंटीकृत प्रदर्शन को साबित करेगा।

20.2.3 यदि आपूर्तिकर्ता उचित अवधि के भीतर गारंटी देने में विफल रहता है, तो क्रेता/ परामर्शदाता के पास उपकरण का अधिग्रहण करने और यदि संभव हो तो, आपूर्तिकर्ता के जोखिम और लागत पर गारंटी को पूरा करने के लिए उपकरण को सुधारने और/या कमी को पूरा करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त व्यवस्था करने का विकल्प होगा। इस संबंध में क्रेता/ परामर्शदाता द्वारा किया गया समस्त व्यय आपूर्तिकर्ता के नामे डाला जाएगा।

21. भुगतान की शर्तें

21.1 आपूर्ति के मामले में, जब तक संविदा की विशेष शर्तों में अन्यथा विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया जाता है, तब तक ई-बैंकिंग के माध्यम से माल की प्राप्ति और स्वीकृति तथा सभी तरह से पूर्ण प्रासंगिक दस्तावेज जमा करने के बाद 15 दिनों के भीतर भुगतान जारी किया जाएगा।

21.2 इस संविदा के तहत आपूर्तिकर्ता को किए जाने वाले भुगतान का प्रकार ऊपर उल्लिखित अनुसार होगा जब तक कि अन्यथा विशेष रूप से संविदा की विशेष शर्तों में निर्दिष्ट न किया जाए।

21.3 भुगतान के लिए आपूर्तिकर्ता का अनुरोध क्रेता को लिखित रूप में चालान के साथ किया जाएगा, जिसमें उचित रूप से, वितरित किए गए सामान और सेवाओं, और शिपिंग दस्तावेजों द्वारा, और संविदा में निर्धारित अन्य दायित्वों को पूरा करने का उल्लेख किया जाएगा।

21.4 भुगतान उस मुद्रा या मुद्राओं में किया जाएगा जिसमें आपूर्तिकर्ता की बोली में संविदा मूल्य उल्लेख किया गया है, साथ ही अन्य मुद्राओं में जिसमें आपूर्तिकर्ता ने अपनी बोली में दर्शाया था कि वह संविदा के निष्पादन में खर्च करना चाहता है और भुगतान करना चाहता है। यदि आवश्यकताओं को ऐसी गणनाओं में प्रयुक्त विनिमय दरों के साथ-साथ बोली मूल्य के प्रतिशत के रूप में उल्लेख किया जाता है, तो इन विनिमय दरों को बनाए रखा जाएगा।

21.5 चालान/बिल में पैन नंबर का उल्लेख

दिनांक 30.12.2015 की सीबीडीटी अधिसूचना सं. 95/2015 के अनुसार, 2 लाख रुपए प्रति लेनदेन या समय-समय पर संशोधित वस्तुओं/ सेवाओं की खरीद से संबंधित लेनदेन के लिए पैन नंबर का उल्लेख करना अनिवार्य है।

तदनुसार, आपूर्तिकर्ता को 2 लाख रुपए से अधिक के किसी भी लेनदेन के लिए अपने चालान/ बिल में अपने पैन नंबर का उल्लेख करना चाहिए। जैसा कि अधिसूचना में प्रावधान किया गया है, यदि आपूर्तिकर्ता के पास पैन नंबर नहीं है, तो उन्हें प्रत्येक लेनदेन के लिए चालान/बिल के साथ फॉर्म 60 में घोषणा प्रस्तुत करनी होगी।

उपर्युक्त आवश्यकता को पूरा करने के बाद ही आपूर्तिकर्ता को भुगतान करने संबंधी कार्रवाई की जाएगी।

21.6 विदेशी आपूर्तिकर्ता निर्दिष्ट समय के भीतर कर रेजिडेंसी प्रमाण-पत्र (टीआरसी), फॉर्म 10च या स्थायी प्रतिष्ठान (पीई) की सूचना देना सुनिश्चित करेगा।

सामान्य टिप्पणियां:

(i) विदेशी बोलीदाता को सभी विदेशी मुद्रा भुगतान बैंक के माध्यम से दस्तावेजों के आधार पर नकद (सीएडी) जारी किए जाएंगे, यदि आपूर्तिकर्ता अपरिवर्तनीय साख-पत्र के माध्यम से भुगतान का आग्रह करता है, जिसे भारत सरकार के राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से खोला जाएगा और इसलिए इसकी पुष्टि नहीं की जाएगी। यदि कोई बोलीदाता पुष्टि पर जोर देता है, तो उसके द्वारा पुष्टि के लिए शुल्क वहन किया जाएगा। एल/सी, संविदा निष्पादन प्रतिभूति सहित पत्र की पावती/ फैक्स द्वारा स्वीकृति/ क्रय आदेश की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर स्थापित की जाएगी।

(ii) एफओटी प्रेषण बिंदु (भारत में) के आधार पर प्रेषण के लिए जिसमें बैंक के माध्यम से भुगतान करना शामिल है, भुगतान क्रेता के बैंक के माध्यम से होगा। बैंक के माध्यम से भुगतान, जहां भी लागू हो, सामान्य बैंकिंग प्रक्रियाओं के अनुसार जारी किया जाएगा।

(iii) भुगतान के संबंध में किए गए सभी बैंक प्रभार भारतीय बोलीदाताओं के मामले में आपूर्तिकर्ता के खाते में और विदेशी बोली लगाने वाले के मामले में संबंधित खातों में होंगे।

(iv) जब तक अन्यथा विशेष रूप से बोली दस्तावेज में उल्लेख न किया गया हो, सभी भुगतान उद्धृत मुद्रा में किए जाएंगे।

(v) भुगतान में विलंब के लिए कोई ब्याज शुल्क, यदि कोई हो, क्रेता द्वारा देय नहीं होगा।

(vi) भारतीय बोलीदाता के मामले में, बोली दस्तावेज की शर्तों के अनुसार, उनकी अंतर्निर्मित आयात सामग्री पर सीमा शुल्क के कारण भिन्नता, यदि कोई हो, का दावा साइट(टों) पर माल की प्राप्ति के बाद बोलीदाता द्वारा अलग से किया जाएगा। तथापि, बोली दस्तावेज में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार ऐसी भिन्नता के कारण क्रेता को कोई भी मूल्य लाभ, चालान के साथ ही क्रेता को दिया जाएगा।

(vii) कीमतों में दर्शाए गए अनुसार विदेशी बोलीदाताओं के लिए भारतीय एजेंट को दिया जाने वाला एजेंसी कमीशन, यदि कोई हो, साइट पर सामग्री की प्राप्ति और स्वीकृति पर और ऐसे एजेंट द्वारा अपनी भूमिका और जिम्मेदारी पूरी करने के बाद एजेंट को समकक्ष भारतीय रुपए में भुगतान किया जाएगा।

(viii) जहां भी बाय-बैक शामिल है, नए मद की आपूर्ति के लिए 5% भुगतान केवल बाय-बैक मद को ऊपर उठाने के बाद ही किया जाएगा।

22. कीमतें

22.1 आपूर्ति की गई वस्तुओं और सेवाओं के लिए आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रभारित मूल्य उसकी बोली में उद्धृत कीमतों से भिन्न नहीं होगा, जिसमें संविदा द्वारा अधिकृत किसी भी मूल्य का समायोजन अपवाद स्वरूप होगा।

23. उप-भाड़ा और कार्य

23.1 आपूर्तिकर्ता क्रेता प्राधिकारी की लिखित पूर्व सहमति के बिना, संविदा या उसके किसी भाग को उप-भाड़ा पर नहीं देगा, हस्तांतरण नहीं करेगा या आगे कार्य नहीं सौंपेगा या उसमें ब्याज या किसी भी तरीके से लाभ नहीं लेगा या फायदा नहीं उठाएगा। बशर्ते, किसी बात के होते हुए, ऐसी कोई भी सहमति आपूर्तिकर्ता को संविदा के तहत किसी भी दायित्व, कर्तव्य या जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करेगी।

23.2 ठेकेदार को कोई भुगतान जारी करने के लिए क्रेता/ परामर्शदाता की कोई बाध्यता नहीं है।

24. संविदा को समय पर पूरा करने का महत्व

24.1 संविदा में निर्धारित अनुसार माल/ सेवाओं की डिलीवरी/ पूरा करने का मूल या बढ़ाया गया समय संविदा का सार माना जाएगा।

25. आपूर्तिकर्ता के निष्पादन में विलंब

25.1 यदि निर्दिष्ट वितरण अनुसूची का पालन नहीं किया जाता है या वस्तुओं के निर्माण या आपूर्ति की प्रगति संतोषजनक नहीं है या प्रगति अनुसूची के अनुसार नहीं है, तो क्रेता को यह अधिकार है कि:

i) विलंब की अवधि के लिए माल को अन्यत्र से किराए पर ले, जो क्रेता की राय में विलंब से प्राप्त होने वाले माल की पूर्ति करेगा और आपूर्तिकर्ता बिना सीमा के ऐसे किराया शुल्क और उस पर 15% उपरिव्यय शुल्क के लिए उत्तरदायी होगा; या

ii) संविदा समाप्ति/ रद्द करने के प्रभार की देयता के बिना संविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से समाप्त/ रद्द करें। ऐसी स्थिति में, क्रेता सामान को कहीं और से खरीद सकता है, जो क्रेता की राय में उस माल की पूर्ति करेगा जिसके लिए संविदा रद्द की गई है, जिस माल के लिए संविदा रद्द की गई है और आपूर्तिकर्ता संबंधित माल के लिए ऐसे प्रतिस्थापन की लागत और संविदा में निर्धारित मूल्य के बीच अंतर के लिए बिना किसी सीमा के उत्तरदायी होगा; या

iii) उपर्युक्त (i) के अनुसार एवजी माल किराए पर लें और यदि उसके बाद भी ऑर्डर किया गया माल डिलीवर नहीं किया जाता है, तो ऑर्डर को आंशिक या पूर्ण रूप से उपर्युक्त (ii) द्वारा रद्द कर दें।

25.2 आपूर्तिकर्ता या उसके उप-ठेकेदार द्वारा कोई भी अक्षम्य विलंब, संविदा की किसी भी अन्य शर्तों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आपूर्तिकर्ता निम्नलिखित में से किसी या सभी प्रतिबंधों के लिए उत्तरदायी होगा:

- संविदा निष्पादन प्रतिभूति राशि की जब्ती,
- डिलीवरी में विलंब के लिए मूल्य में कमी का आरोपण,
  और
- चूक के लिए संविदा की समाप्ति।

निष्पादन मूल्यांकन प्रक्रिया (परिशिष्ट-II) के अनुसार, आपूर्तिकर्ता का गैर-निष्पादन या खराब प्रदर्शन गेल और उसके पीएमसी के साथ भावी व्यावसायिक संबंधों को प्रभावित करेगा।

26. विलंब से हुई डिलीवरी के लिए मूल्य कटौती अनुसूची (पीआरएस)

26.1 खंड-29 के अधीन, यदि आपूर्तिकर्ता संविदा में निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर किसी भी या सभी सामान या सेवाओं के निष्पादन की डिलीवरी करने में विफल रहता है, तो क्रेता संविदा के तहत

अपने अन्य उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संविदा मूल्य से कटौती करेगा, जिसकी राशि की गणना संविदा मूल्य के आधार पर की जाएगी, जिसमें बाद के संशोधन भी शामिल होंगे।

26.1.1 कटौती निम्नलिखित फार्मूला के अनुसार लागू होगी:

क. ऑर्डर के लिए जिसमें केवल सामान/उपकरण/पैकेज की आपूर्ति शामिल है।

उपकरण/ सामग्रियों की डिलीवरी में विलंब या कार्य पूरा होने में विलंब के मामले में, पीआरएस ½% (आधा प्रतिशत) प्रति सप्ताह विलंब या उसके भाग के अधिकतम 5% (पांच प्रतिशत) के अधीन कुल संविदा मूल्य/आर्डर मूल्य लागू होगा।

आपूर्ति का वह हिस्सा जो सभी तरह से पूरा किया गया है, जिसका उपयोग वाणिज्यिक संचालन के लिए किया जा सकता है, उस पर पीआरएस लागू करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा बशर्ते कि यह संविदा की डिलीवरी अवधि के भीतर डिलीवर किया जाए। शेष आपूर्ति जो संविदात्मक सुपुर्दगी के बाद पूरी की जाती है, पर कुल क्रय आदेश मूल्य के अधिकतम 5% तक विलंब से की गई सुपुर्दगी मूल्य के 1/2% की दर से मूल्य कटौती की जाएगी।

वाणिज्यिक संचालन के लिए उपयोग के मामले में क्रेता का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

टिप्पण: जब स्थापना और/या कमीशनिंग आपूर्तिकर्ता के कार्यक्षेत्र में आता है, तो उपर्युक्त खंड 'क' लागू नहीं होगा, ऐसे मामलों में नीचे खंड 'ख' लागू होगा।

ख. माल और सेवाओं की आपूर्ति (अर्थात् पर्यवेक्षण, स्थापना, निर्माण, चालू करना आदि) सहित आदेश के लिए

आपूर्ति में विलंब के लिए:

पीआरएस संबंधित सामान/ उपकरण/ पैकेज (पुर्जों आदि सहित) की कीमत के '½% (आधा प्रतिशत) की दर से लागू होगा, भले ही कीमतों को सेवाओं के मूल्य को छोड़कर क्रम में अलग से दर्शाया गया हो) प्रति सप्ताह विलंब या उसके भाग के अधीन सेवाओं के मूल्य को

छोड़कर कुल संविदा/आर्डर मूल्य का अधिकतम 5% (पांच प्रतिशत) होगा।

सेवाओं में विलंब के लिए (अर्थात् पर्यवेक्षण, स्थापना, निर्माण, चालू करना आदि):

पीआरएस कुल संविदा का ½% (आधा प्रतिशत) संबंधित उपकरण/पैकेज के ऑर्डर मूल्य (पुर्जों, सेवाओं आदि के मूल्य सहित, भले ही कीमतों को संविदा में अलग से दर्शाया गया हो) प्रति सप्ताह विलंब या उसके भाग के लिए लागू होगा बशर्ते कि सेवाओं के मूल्य सहित कुल संविदा/ आर्डर मूल्य का अधिकतम 5% (पांच प्रतिशत) होगा।

किसी भी स्थिति में, कुल पीआरएस कुल संविदा/ आर्डर मूल्य (आपूर्ति + सेवाएं) के 5% (पांच प्रतिशत) से अधिक नहीं होगा।

तथापि, यदि आपूर्ति और सेवाओं को एक साथ पूरा करने की समग्र अवधि के भीतर हासिल किया जाता है, तो कोई पीआरएस लागू नहीं होगा।

आपूर्तिकर्ता द्वारा पर्यवेक्षण से संबंधित विशिष्ट प्रावधान के लिए (जहां लागू हो), एससीसी देखें।

26.2 आपूर्तिकर्ता और क्रेता दोनों सहमत हैं कि मूल्य में कमी का उपर्युक्त प्रतिशत नुकसान/क्षति के वास्तविक पूर्वानुमान हैं जो क्रेता को आपूर्तिकर्ता की ओर से विलंब/उल्लंघन के कारण भुगतना पड़ेगा और उक्त राशि ऐसे उल्लंघन/विलंब के कारण हुई वास्तविक हानि/या क्षति के किसी सबूत के बिना मांग पर देय होगी। मूल्य में कमी की प्रयोज्यता के मामले में क्रेता/ ईआईसी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

26.3 आपूर्तिकर्ता की ओर से डिलीवरी में विलंब के मामले में, चालान/ दस्तावेज़ मूल्य विलंब के लिए आनुपातिक रूप से कम किया जाएगा और भुगतान तदनुसार जारी किया जाएगा।

26.4 यदि विलंब के लिए चालान का मूल्य आनुपातिक रूप से कम नहीं किया जाता है, तो क्रेता आपूर्तिकर्ता द्वारा देय राशि को आपूर्तिकर्ता द्वारा देय किसी भी राशि से या संविदा निष्पादन प्रतिभूति राशि से कटौती कर सकता है।

26.5 वार्षिक दर संविदा (एआरसी) के मामले में, पीआरएस रिलीज आदेश/ व्यक्तिगत आदेश(शों) के

मूल्य पर लागू होगा न कि एआरसी के संपूर्ण मूल्य पर।

26.6 एफओटी साइट/ प्रेषण बिंदु आदेश के मामले में, पीआरएस खंड में संदर्भित मूल्य आपूर्ति में विलंब के लिए ईएक्सडब्ल्यू मूल्य (अर्थात् जीएसटी और माल/ अंतर्देशीय परिवहन को छोड़कर) है। आयात के मामले में, आपूर्ति में विलंब के लिए पीआरएस एफओबी राशि (ईएक्सडब्ल्यू आदेशों को छोड़कर) पर लागू होगा।

26.7 पीआरएस इस संविदा के तहत शामिल वस्तुओं/ सेवाओं के लिए प्रतिफल/ संविदा मूल्य में कमी है। आपूर्ति/ संविदा के निष्पादन में विलंब के मामले में, आपूर्तिकर्ता को मूल्य कटौती अनुसूची खंड (पीआरएस खंड) के अनुसार कम मूल्य के लिए चालान बनाना चाहिए। यदि आपूर्तिकर्ता ने पूर्ण मूल्य के लिए चालान जारी किया है, तो आपूर्तिकर्ता लागू करों के साथ लागू पीआरएस राशि के लिए क्रेडिट नोट जारी करेगा।

ऐसे मामलों में यदि आपूर्तिकर्ता कम मूल्य के साथ चालान जमा करने में विफल रहता है या ऊपर उल्लिखित क्रेडिट नोट जारी नहीं करता है, तो गेल सामग्री की डिलीवरी/ एकत्रीकरण में विलंब से बचने के लिए, विक्रेता के चालान पर लगाए गए करों को कम करने के साथ पीआरएस शर्त को लागू करने के बाद आपूर्तिकर्ता को भुगतान जारी करेगा।"

यदि कीमत घटाए बिना चालान जारी करने या क्रेडिट नोट जारी न करने के कारण गेल पर कोई वित्तीय बाधा उत्पन्न होती है, तो उसे आपूर्तिकर्ता के नामे डाला जाएगा। गेल ऐसी जीएसटी राशि (सीजीएसटी और एसजीएसटी/यूटीजीएसटी या आईजीएसटी) की कटौती/ समायोजन/ वसूली के लिए दंड और ब्याज, यदि कोई हो, के साथ इस संविदा या किसी अन्य संविदा के तहत आपूर्तिकर्ता को भविष्य में गेल द्वारा भुगतान की गई या देय किसी भी राशि के लिए पात्र होगा।

27. अस्वीकृति, खराब उपकरणों को हटाना और बदलना

27.1 निरीक्षक द्वारा आपूर्तिकर्ता के कार्यों पर प्रारंभिक निरीक्षण, साइट पर अंतिम निरीक्षण या वारंटी प्रावधानों के तहत दावों पर माल/ उपकरण के अस्वीकृत होने का क्रेता/ परामर्शदाता के दावे पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

27.2 यदि उपकरण विनिर्देश के अनुरूप नहीं हैं या निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहता है या अन्यथा संतोषजनक नहीं हैं, तो क्रेता/ परामर्शदाता उपकरण/ सामग्री या उसके भाग को अस्वीकार करने का पात्र होगा और उचित समय के भीतर मुफ्त में बदलने के लिए कहेगा, ऐसा न करने पर अपनी आवश्यकताओं को आपूर्तिकर्ता की लागत और जोखिम पर कहीं और से प्राप्त करेगा।

27.3 इस खंड में कुछ भी क्रेता को वंचित करने और/या संविदा के तहत किसी भी अधिकार को प्रभावित करने के लिए नहीं माना जाएगा, जो अन्यथा ऐसे दोषों या कमियों के संबंध में हो सकता है या किसी भी तरह से संविदा के तहत आपूर्तिकर्ता को उसके दायित्वों से मुक्त नहीं करेगा।

27.4 क्रेता/ परामर्शदाता द्वारा अस्वीकृत किए गए सामान/उपकरण को आपूर्ति के तहत प्राप्त राशि का भुगतान करने के बाद नोटिस के 14 दिनों के भीतर आपूर्तिकर्ता द्वारा उसकी लागत पर हटा दिया जाएगा। माल/उपकरण को हटाने के लिए आपूर्तिकर्ता के विफल रहने या कोई भी विलंब होने पर, क्रेता किसी अन्य संबंधित देयता से आपूर्तिकर्ता को हटाए बिना प्रत्येक महीने या महीने के भाग के लिए ऐसे सामानों के अनुमानित मूल्य के 5% की दर से रखरखाव और भंडारण शुल्क वसूलने का भी पात्र होगा। यदि आपूर्तिकर्ता 6 महीने की अवधि के भीतर या क्रेता द्वारा तय किए गए अनुसार इसे हटाने में विफल रहता है, तो क्रेता आपूर्तिकर्ता की ओर से और अपने जोखिम पर सभी तरह से नीलामी या बिक्री के माध्यम से हटाने की कार्रवाई कर सकता है। आपूर्तिकर्ता क्रेता को ऊपर उल्लिखित रखरखाव और भंडारण शुल्क और ऐसी सामग्री के बिक्री मूल्य के 15% की दर से उपरिव्यय शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। इस तरह हटाने के संदर्भ में क्रेता का निर्णय और आय की राशि आपूर्तिकर्ता के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगी। क्रेता किसी भी तरह से किसी भी परिस्थिति में उपकरण के खराब होने या क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

27.5 उपकरण की अस्वीकृति के मामले में, क्रेता को उसके पास लंबित आपूर्तिकर्ता के किसी भी चालान से या वैकल्पिक तरीके से राशि, यदि कोई हो, की वसूली का अधिकार होगा।

28. संविदा की समाप्ति

28.1 चूक होने पर समाप्ति

28.1.1 क्रेता, संविदा के उल्लंघन के लिए किसी अन्य समाधान पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आपूर्तिकर्ता को भेजी गई चूक की लिखित सूचना द्वारा, संविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से समाप्त कर सकता

है:

(i) यदि आपूर्तिकर्ता संविदा में निर्दिष्ट समय अवधि(यों) के भीतर किसी भी या सभी सामान की डिलीवरी करने में विफल रहता है; या

(ii) यदि आपूर्तिकर्ता संविदा के तहत किसी अन्य दायित्व को पूरा करने में विफल रहता है, और

(iii) यदि आपूर्तिकर्ता, उपर्युक्त में से किसी भी परिस्थिति में, अपनी विफलता को क्रेता से चूक नोटिस प्राप्त होने के बाद 30 दिनों की अवधि (या ऐसी कोई भी अवधि जिसे क्रेता लिखित रूप में अधिकृत कर सकता है) के भीतर ठीक नहीं करता है।

28.1.2 यदि क्रेता खंड सं. 28.1.1 के अनुसार संविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से समाप्त कर देता है, तो क्रेता डिलीवर न किए गए सामान को ऐसी शर्तों पर और ऐसे तरीके से खरीद सकता है जैसे वह उचित समझे, और आपूर्तिकर्ता ऐसे सामान की किसी भी अतिरिक्त लागत के लिए क्रेता के प्रति उत्तरदायी होगा। तथापि, आपूर्तिकर्ता संविदा का निष्पादन करना उस सीमा तक जारी रखेगा, जिसे समाप्त नहीं किया गया है।

28.1.3 यहां निर्धारित संविदा की समाप्ति के मामले में (खंड 28 के तहत) [अप्रत्याशित घटना की शर्तों को छोड़कर (खंड 29 के तहत)], क्रेता निविदा दस्तावेज (परिशिष्ट-II) के "भ्रष्ट/धोखाधड़ी/द्वेषपूर्ण/जबरदस्ती व्यवहार (परिशिष्ट-I) के मामले में कार्रवाई के लिए प्रक्रिया" और "विक्रेता/आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार/परामर्शदाता के निष्पादन के मूल्यांकन के लिए प्रक्रिया" के प्रावधानों के अनुसार आपूर्तिकर्ता को निलंबन और/या अवकाश के तहत रखने का पात्र है।

28.2 दिवालिया होने पर समाप्ति

28.2.1 क्रेता, किसी भी समय, आपूर्तिकर्ता को लिखित नोटिस देकर, आपूर्तिकर्ता को मुआवजे के बिना, यदि आपूर्तिकर्ता दिवालिया या अन्यथा धन चुकाने में अक्षम हो जाता है, तो वह संविदा को समाप्त कर सकता है, बशर्ते कि ऐसी समाप्ति कार्रवाई या समाधान के किसी भी अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी या उसके प्रतिकूल नहीं होगी जो उसके बाद क्रेता को प्राप्त होती है या प्राप्त होगी।

28.3 **अल्पकालीन समाप्ति सहित सुविधा की समाप्ति**

28.3.1 क्रेता, आपूर्तिकर्ता को लिखित सूचना/संचार द्वारा, अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय संविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से अल्पकालीन समाप्ति/समाप्ति कर सकता है। आपूर्तिकर्ता के नोटिस/संचार में यह निर्दिष्ट किया जाएगा कि अल्पकालीन समाप्ति/समाप्ति क्रेता की सुविधा के लिए की गई है, जो संविदा के तहत कार्य के निष्पादन की उस सीमा तक है जिस सीमा तक अल्पकालीन समाप्ति/समाप्ति की गई है और जिस तारीख को ऐसी अल्पकालीन समाप्ति/समाप्ति प्रभावी हो जाती है।

28.3.2 आपूर्तिकर्ता द्वारा नोटिस/ समाप्ति/ अल्पकालीन समाप्ति की सूचना प्राप्त होने के बाद 30 दिनों के भीतर पूर्ण और शिपमेंट के लिए तैयार माल क्रेता द्वारा संविदा की शर्तों और कीमतों पर खरीदा जाएगा। शेष माल के लिए, क्रेता विकल्प चुन सकता है:

(i) संविदा की शर्तों और कीमतों पर किसी भी भाग को पूरा करने और डिलीवर करने के लिए, और/ या

(ii) शेष भाग को रद्द करने के लिए और आपूर्तिकर्ता को आंशिक रूप से पूर्ण माल और आपूर्तिकर्ता द्वारा पूर्व में खरीदी गई सामग्री और भागों के लिए सहमत राशि का भुगतान करने के लिए।

28.4 **भ्रष्ट/ धोखाधड़ी/ मिलीभगत/ बलपूर्वक आचरण और गैर-निष्पादन के लिए संविदा की समाप्ति**

यदि बोलीदाता/आपूर्तिकर्ता भ्रष्ट/धोखाधड़ी/द्वेषपूर्ण/बलपूर्वक आचरण में लिप्त पाया जाता है, तो संविदा समाप्त कर दी जाएगी और बोलीदाता/आपूर्तिकर्ता को गेल के साथ भावी व्यापार के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इस संबंध में निलंबन सहित प्रतिबंध लगाने की विस्तृत प्रक्रिया इस जीसीसी के परिशिष्ट-I के रूप में संलग्न है।

आपूर्तिकर्ता के गैर-निष्पादन के कारण संविदा की समाप्ति के कारण, आपूर्तिकर्ता को निलंबन सूची में रखा जाएगा और विस्तृत प्रक्रिया में उल्लिखित अवधि के लिए क्रेता की अवकाश सूची में भी डाला जाएगा। इस संबंध में निष्पादन के मूल्यांकन की विस्तृत प्रक्रिया इस जीसीसी के परिशिष्ट-II के रूप में संलग्न है।

29. **अप्रत्याशित घटना**

29.1 अप्रत्याशित घटना का अर्थ होगा और निम्नलिखित तक सीमित होगा:

(i) आतंकवाद का अधिनियम;

(i i)दंगा, युद्ध, आक्रमण, विदेशी शत्रुओं का कार्य, शत्रुता (चाहे युद्ध घोषित हो या नहीं), गृह-युद्ध, विद्रोह, क्रांति, सेना का विद्रोह या सत्ता हथियाना;

(i i i) आयनीकरण, विकिरण या संदूषण, किसी भी परमाणु ईंधन से रेडियो गतिविधि या परमाणु ईंधन के दहन से किसी भी परमाणु कचरे से, रेडियोधर्मी विषाक्त विस्फोटक या किसी विस्फोटक संयोजन या परमाणु घटक के अन्य खतरनाक गुण;

(i v) वैश्विक महामारी, महामारी, भूकंप, बाढ़, प्राकृतिक आग/जंगल की आग, तूफान, आंधी या अन्य भौतिक प्राकृतिक आपदा, लेकिन मौसम की गंभीरता की स्थिति को छोड़कर; और

(v) माल ढुलाई प्रतिबंध, राष्ट्रीय या राज्य-व्यापी स्तर पर हड़ताल या औद्योगिक विवाद (लगातार 7 दिनों से अधिक) राष्ट्रीय या राज्य-व्यापी स्तर पर जहाँ आपूर्तिकर्ता का कार्य स्थित है।

संदेह से बचने के लिए, खराब मौसम, तीसरे पक्ष के उल्लंघन, सामग्री की आपूर्ति में विलंब (क्र.सं. (i) से (v) में ऊपर उल्लिखित शर्तों के अलावा) या वाणिज्यिक कठिनाई अप्रत्याशित घटना नहीं होगी।

आपूर्तिकर्ता क्रेता/ परामर्शदाता को स्थानीय चैंबर ऑफ कॉमर्स या सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा विधिवत प्रमाणित पंजीकृत पत्र/कूरियर द्वारा सूचित करेगा, ऐसी अप्रत्याशित घटना के घटने और समाप्ति के दस (10) दिनों के भीतर विलंब के उपर्युक्त कारणों की शुरुआत और अप्रत्याशित स्थितियाँ।

अप्रत्याशित घटना के कारणों से उत्पन्न विलंब की अवधि तक की अवधि के लिए समय विस्तार इस खंड के तहत किसी भी विलंब के लिए आपूर्तिकर्ता का एकमात्र समाधान होगा और आपूर्तिकर्ता ऐसे विस्तार के अलावा या इसके बदले में किसी भी कारण से किसी भी नुकसान या मुआवजे का दावा करने, जो कोई भी हो, का पात्र नहीं होगा चाहे यह संविदाओं को नियंत्रित करने वाले कानून के तहत या लागू किसी अन्य कानून के तहत हो, और आपूर्तिकर्ता एतद्द्वारा किसी भी और सभी विपरीत अधिकारों का त्याग करेगा और उन्हें अस्वीकार करेगा।

यदि अप्रत्याशित घटना की स्थिति 02 (दो) महीनों से अधिक की अवधि के लिए बनी रहती है, तो क्रेता के पास क्रय आदेश या उसके हिस्से को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।

आपूर्तिकर्ता अपनी बोली प्रस्तुत करते समय अपने कार्यों में प्रचलित अप्रत्याशित घटना की शर्तों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करेगा और उनके कोटेशन में उन पर विचार किया गया है या नहीं। किसी भी अप्रत्याशित घटना के कारण, आपूर्तिकर्ता या क्रेता इस आदेश के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में विलंब के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे और आपूर्तिकर्ता के लिए डिलीवरी की तारीखें बढ़ा दी जाएंगी और यह विलंब से की गई डिलीवरी के लिए कीमत घटाए बिना होगा, जैसा कि कहीं और उल्लेख किया गया है।

अप्रत्याशित घटना के कारण समाप्ति के मामले में भुगतान

अप्रत्याशित घटना के कारण आर्डर/ संविदा की समाप्ति के मामले में, आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति की गई वस्तुओं और/या सेवाओं का भुगतान अप्रत्याशित घटना की प्रासंगिक घटना के प्रारंभ होने की तारीख के अनुसार किया जाएगा।

आपूर्तिकर्ता को निम्नलिखित कोई अधिकार नहीं है और क्रेता को इसके लिए कोई दायित्व नहीं है:

(i) अप्रत्याशित घटना के घटने के दौरान किसी भी लागत, हानि, व्यय, क्षति या आर्डर/ संविदा मूल्य के किसी भी हिस्से का भुगतान; और

(ii) अप्रत्याशित घटना के कारण आपूर्तिकर्ता द्वारा व्यय की गई किसी भी तरह के विलंब की लागत।

30. विवाद समाधान तंत्र

30.1 समझौता

गेल (इंडिया) लिमिटेड ने सुलह के माध्यम से विवादों के त्वरित, किफायती और सौहार्दपूर्ण निपटान के लिए समय-समय पर संशोधित मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के भाग-III के अनुरूप सुलह नियम 2010 तैयार किया है। संविदा के तहत उत्पन्न होने वाले सभी मुद्दे/विवाद, जिन्हें उचित समय के भीतर पारस्परिक रूप से हल नहीं किया जा सकता है, को समय-समय पर संशोधित गेल सुलह नियम 2010 के अनुसार समाधान के लिए भेजा जा सकता है। उक्त नियमों की एक प्रति गेल की वेबसाइट अर्थात् www.gailonline.com पर उपलब्ध करा दी गई है।

जहां सुलह के लिए निमंत्रण दूसरे पक्ष द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, वहां पक्ष ऐसे विवाद(दों) को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के भाग-III और गेल (इंडिया) लिमिटेड सुलह नियम,

2010 के तहत सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने का प्रयास करेंगे। यह वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में सुलह के विकल्प को समाप्त करने के बाद ही होगा जहां पार्टियां मध्यस्थता खंड का आह्वान करेंगी। इस खंड के प्रयोजन के लिए, किसी भी पक्ष द्वारा 'सुलह' की अस्वीकृति के मामले में भी, 'सुलह' के विकल्प को समाप्त माना जाएगा।

30.2 **मध्यस्थता**

सभी मुद्दे/विवाद, उन मामलों को छोड़कर जिन्हें अपवादित मामलों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है और खंड सं. 30.2.6 में सूचीबद्ध किया गया है और जिनका सुलह के माध्यम से समाधान नहीं किया जा सकता है, ऐसे मुद्दे/विवाद को एकमात्र मध्यस्थ द्वारा निर्णय के लिए मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा।

मध्यस्थता का आह्वान करने वाले पक्ष के पास या तो तदर्थ मध्यस्थता का विकल्प होगा जैसा कि नीचे दिए गए खंड 30.2.1 में प्रदान किया गया है या नीचे खंड 30.2.2 में प्रदान किए गए संस्थागत मध्यस्थता का विकल्प होगा, शेष खंड 30.2.3 से 30.2.7 तक तदर्थ और संस्थागत मध्यस्थता दोनों पर लागू होंगे:-

30.2.1 किसी भी पक्ष द्वारा मध्यस्थता खंड के आह्वान पर, गेल 'दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (डीआईएसी) द्वारा बनाए गए मध्यस्थों के पैनल से दूसरे पक्ष को तीन स्वतंत्र और प्रतिष्ठित व्यक्तियों (केवल सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश) के पैनल का सुझाव देगा। एकमात्र मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए उनमें से किसी एक का चयन करना। गेल द्वारा मध्यस्थों के पैनल का सुझाव देने की सूचना के प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर अन्य पक्ष द्वारा एकमात्र मध्यस्थ का चयन करने में विफलता की स्थिति में, अन्य पक्ष द्वारा एकमात्र मध्यस्थ के चयन का अधिकार जब्त हो जाएगा और गेल विवाद(दों) के निर्णय के लिए तीन मध्यस्थों के सुझाए गए पैनल से एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करेगा। एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति पर गेल का निर्णय अंतिम और दूसरे पक्ष के लिए बाध्यकारी होगा। एकल मध्यस्थ को देय शुल्क "दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र" की शुल्क अनुसूची द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

या

30.2.2 यदि इस संविदा के संबंध में या इसके संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो मध्यस्थता का आह्वान करने वाला पक्ष उस विवाद को किसी एक मध्यस्थ संस्थान अर्थात् आईसीएडीआर/ आईसीए/ डीआईएसी/ एसएफसीए को प्रस्तुत करेगा और उस विवाद का

न्यायनिर्णयन उनके संबंधित मध्यस्थता नियमों के अनुसार किया जाएगा। मामले का निर्णय एक एकल मध्यस्थ द्वारा किया जाएगा जो अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय/ उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा जिसे संबंधित संस्थान द्वारा नियुक्त/ नामांकित किया जाना है। उक्त मध्यस्थता से संबंधित लागत/ खर्च भी संबंधित मध्यस्थ संस्था के नियमों के अनुसार नियंत्रित होंगे। संबंधित विवाद के अधिनिर्णय के लिए एक विशिष्ट मध्यस्थ संस्था को विवाद के संदर्भ के लिए मध्यस्थता का आह्वान करने वाले पक्ष का निर्णय अंतिम और दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा और उसके बाद किसी भी परिवर्तन के अधीन नहीं होगा। विवाद के आह्वान के समय एक बार चुनी गई संस्था अपरिवर्तित रहेगी।

30.2.3 मध्यस्थता कार्यवाही की लागत पार्टियों द्वारा समान रूप से साझा की जाएगी।

30.2.4 मध्यस्थता की कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी और मध्यस्थता का स्थान, स्थल और जगह केवल नई दिल्ली, भारत होगा।

30.2.5 उपर्युक्त के अधीन, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के प्रावधान और उसका कोई भी संशोधन लागू होगा। इस संविदा से संबंधित सभी मामले और मध्यस्थता खंड के आह्वान से उत्पन्न होने वाले सभी मामले नई दिल्ली में स्थित न्यायालय(यों) के अनन्य क्षेत्राधिकार के अधीन हैं।

30.2.6 **अपवादित मामलों की सूची:**

(i) 25 लाख रुपए से कम और 25 करोड़ रुपए से अधिक के दावों वाले विवाद/मुद्दे।

(ii) आपूर्तिकर्ता/ विक्रेता/ बोली लगाने वाले के भ्रष्ट/ धोखाधड़ी/ द्वेषपूर्ण/ बलपूर्वक आचरण में लिप्त होने से संबंधित विवाद/मुद्दे और/या इसकी जांच सीबीआई या सतर्कता या किसी अन्य जांच एजेंसी या सरकार द्वारा की जा रही है।

(iii) विवाद/मुद्दे जिसमें प्रभारी अभियंता/मालिक/गेल का निर्णय संविदा के संदर्भ में अंतिम और बाध्यकारी बना दिया गया है।

30.2.7 25 लाख रुपए से कम और 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक के दावों से जुडे विवादः - पक्ष पारस्परिक रूप से सहमत हैं कि 25 लाख रुपए से कम और 25 करोड़ रुपए से अधिक के दावों वाले विवाद/ मुद्दे मध्यस्थता का विषय नहीं होंगे और नई दिल्ली में स्थित न्यायालय

के अनन्य क्षेत्राधिकार के अधीन हैं।

30.3 **अधिशासी कानून और अधिकार क्षेत्र:**

संविदा भारत में लागू कानूनों के अनुसार नियंत्रित और मानी जाएगा। पक्ष एतदद्वारा इस संविदा से उत्पन्न होने वाले विवादों, निषेधाज्ञा राहतों, कार्यों और कार्यवाही, यदि कोई हो, के अधिनिर्णय के लिए नई दिल्ली स्थित न्यायालयों का अनन्य क्षेत्राधिकार प्रस्तुत करते हैं।

30.4 **सीपीएसई/ सरकारी विभागों/ संगठनों के बीच विवाद**

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई/ पोर्ट ट्रस्ट) के बीच वाणिज्यिक संविदा(ओं) के प्रावधानों की व्याख्या और अनुप्रयोग से संबंधित किसी भी विवाद (कराधान मामलों से संबंधित के अलावा) या मतभेद की स्थिति में, जैसा कि ऊपर प्रदान किया गया है, सुलह के अधीन होगा, जो परस्पर और सीपीएसई और सरकारी विभागों/संगठनों के बीच हो, ऐसे विवाद या अंतर को किसी भी पक्ष द्वारा केवल एएमआरसीडी के माध्यम से समाधान के लिए उठाया जाएगा जैसा कि ओपीई के दिनांक 22-05-2018 के का.ज्ञा. सं. 4(1)/2013-डीपीई(जीएम)/एफटीएस-1835 में उल्लिखित है।

प्रथम स्तर (टियर) पर समिति के निर्णय से असंतुष्ट कोई भी पक्ष प्रथम स्तर पर समिति के निर्णय की प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर दूसरे स्तर (टियर) पर मंत्रिमंडल सचिव के समक्ष अपने प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग के माध्यम से अपील कर सकता है, जिसका निर्णय अंतिम होगा और सभी संबंधितों पर बाध्यकारी होगा।

खंड सं. 30.1 से 30.4 में उल्लिखित उपर्युक्त प्रावधान निविदा दस्तावेज में कहीं और उल्लिखित सुलह, मध्यस्थता, शासी कानून और क्षेत्राधिकार और सीपीएसई/ सरकारी विभागों/ संगठनों के बीच विवादों से संबंधित प्रावधानों का अधिक्रमण करेगा।

30.5 **संविदा का जारी रहना:**

इस तथ्य के बावजूद कि विवाद(दों) (यदि कोई हो) का निपटारा लंबित हो सकता है, इसके पक्षकार इस संविदा के प्रावधानों के अनुसार अधिशासित होंगी और कार्य करती रहेंगी तथा आपूर्तिकर्ता को

देय कोई भुगतान या देयता ऐसी कार्यवाही के कारण नहीं रोकी जाएगी।

30.6 धोखाधड़ी/ बलपूर्वक आचरण में लिप्त विक्रेताओं/ आपूर्तिकर्ताओं/ बोलीदाताओं पर प्रतिबंध लगाने के मामले में मध्यस्थता खंड का लागू न होना

क्रय आदेश में जीसीसी या कहीं और के विपरीत कुछ भी शामिल होने के बावजूद, यदि यह पाया जाता है कि बोलीदाता/आपूर्तिकर्ता बोली के समय, संविदा के निष्पादन के दौरान और/या अन्य आधारों पर धोखाधड़ी/ बलपूर्वक आचरण में लिप्त है जैसा कि गेल के "भ्रष्ट/धोखाधड़ी/ द्वेषपूर्ण/ बलपूर्वक आचरण के मामले में कार्रवाई की प्रक्रिया" (परिशिष्ट-I) में उल्लिखित है, तो बोलीदाता/आपूर्तिकर्ता को गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा ऐसा आदेश जारी करने की तारीख से (उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार) प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

बोलीदाता/ आपूर्तिकर्ता समझता है और सहमत है कि ऐसे मामलों में जहां बोलीदाता/आपूर्तिकर्ता को गेल द्वारा ऐसे आदेश जारी करने की तारीख से (उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार) प्रतिबंधित किया गया है, गेल का ऐसा निर्णय अंतिम और बोलीदाता पर बाध्यकारी होगा। आपूर्तिकर्ता और जीसीसी या क्रय आदेश में कहीं और उल्लिखित 'मध्यस्थता खंड' मामले में उत्पन्न होने वाले कोई भी परिणामी मुद्दे/ विवाद के लिए लागू नहीं होंगे।

31. अधिशासी भाषा

31.1 संविदा अंग्रेजी भाषा में लिखी जाएगी जैसा कि बोलीदाताओं को निर्देश में क्रेता/ परामर्शदाता द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। पार्टियों द्वारा आदान-प्रदान की जाने वाली संविदा से संबंधित सभी साहित्य, पत्राचार और अन्य दस्तावेज अंग्रेजी भाषा में लिखे जाएंगे। अन्य भाषा में मुद्रित साहित्य पर तभी विचार किया जाएगा, जब उसके साथ अंग्रेजी अनुवाद हो। व्याख्या के प्रयोजनों के लिए, अंग्रेजी अनुवाद सभी पक्षों पर लागू रहेगा और बाध्यकारी होगा। आपूर्तिकर्ता शासी भाषा में अनुवाद की सभी लागतों और ऐसे अनुवाद की सटीकता के सभी जोखिमों को वहन करेगा।

31.2 आपूर्तिकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि खरीद आदेश/ लदान बिल/ एयरवे बिल/ चालान में प्रयुक्त माल की भाषा/ शब्दावली/ विवरण अंग्रेजी में शब्दशः है और भिन्न नहीं है।

32. नोटिस

32.1 आपूर्तिकर्ता को: आपूर्तिकर्ता को दी जाने वाली कोई भी सूचना क्रेता/ परामर्शदाता द्वारा फैक्स/ ई-मेल या पंजीकृत डाक/ कूरियर के माध्यम से आपूर्तिकर्ता द्वारा दिए गए पते/संपर्क जानकारी पर दी जा सकती है। ऐसे किसी भी नोटिस के जारी होने का प्रमाण आपूर्तिकर्ता के लिए निर्णायक हो सकता है, जिसमें सभी सामग्री के बारे में विधिवत सूचित किया गया हो।

32.2 क्रेता/ परामर्शदाता को: संविदा की शर्तों के तहत क्रेता/ परामर्शदाता को दी जाने वाली कोई भी सूचना आपूर्तिकर्ता द्वारा, फैक्स/ ई-मेल द्वारा या संबंधित साइट कार्यालय में पंजीकृत डाक/कूरियर के माध्यम से दी जा सकती है।

32.3 नोटिस इसके दिए जाने पर या नोटिस की प्रभावी तिथि, जो भी बाद में हो, से प्रभावी होगा।

33. कर एवं शुल्क

33.1 क्रेता के देश के बाहर लगाए गए सभी करों, स्टाम्प शुल्कों, लाइसेंस शुल्कों और ऐसे अन्य शुल्कों के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ता पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

33.2 क्रेता को संविदागत माल की डिलीवरी तक किए गए सभी करों, शुल्कों, लाइसेंस शुल्क आदि के लिए घरेलू आपूर्तिकर्ता पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। तथापि, तैयार उत्पादों पर जीएसटी की प्रतिपूर्ति क्रेता द्वारा की जाएगी।

33.3 विदेशी आपूर्तिकर्ता पर क्रेता द्वारा आदेशित आयातित माल के लिए भारत में देय सीमा शुल्क क्रेता द्वारा वहन और भुगतान किया जाएगा।

33.4 संविदा के तहत विदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रदान की गई पर्यवेक्षी सेवाओं के संबंध में देय कोई भी आयकर भारतीय आयकर अधिनियम के अनुसार होगा और आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा। इन करों की राशि का पता लगाना और उन्हें अपनी बोली मूल्य में शामिल करना बोलीदाता/ आपूर्तिकर्ता पर निर्भर है।

33.5 टीडीएस

33.5.1 गेल द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194थ के तहत लागू टीडीएस की कटौती 50 लाख रुपए से अधिक की खरीद पर या वित्तीय वर्ष के दौरान समय-समय पर परिभाषित सीमा के अनुसार की जाएगी।

33.5.2 चूंकि गेल धारा 194थ के तहत आयकर टीडीएस काटने के लिए उत्तरदायी है, इसलिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206ग(1ज) के अनुसार टीसीएस का प्रावधान लागू नहीं होगा।

33.5.3 आईटीआर न दाखिल करने वालों के लिए टीडीएस की उच्च दर

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206कख के अनुसार, किसी भी विक्रेता/ग्राहक के मामले में, जिसने चालू वर्ष से पहले के दो पिछले वर्षों के लिए अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है और टीडीएस की कुल राशि पिछले दो वर्षों में से प्रत्येक में 50,000/- रुपए से अधिक या उसके बराबर है (या समय-समय पर सरकार द्वारा परिभाषित सीमा), तो टीडीएस निम्नलिखित दरों से अधिक पर काटा जाएगा:

(i) प्रासंगिक टीडीएस खंड में उल्लिखित दर से दोगुना।

(ii) दुगुनी दर या लागू दरें

(iii) 5%

34. पुस्तकें और रिकॉर्ड

34.1 आपूर्तिकर्ता संविदा के संबंध में पर्याप्त बही खाते और रिकार्ड रखेगा और उन्हें संविदा की शर्तों के दौरान संविदा निष्पादन प्रतिभूति की समाप्ति तक क्रेता/परामर्शदाता या उनके अधिकृत एजेंटों या प्रतिनिधियों द्वारा निरीक्षण और लेखा-परीक्षा के लिए उपलब्ध कराएगा। निश्चित मूल्य (एकमुश्त या यूनिट मूल्य) संविदा लागत प्रतिपूर्ति योग्य वस्तुओं, जैसे वृद्धि और समाप्ति के दावों, परिवहन और तुलनीय आवश्यकताओं को छोड़कर लागत के रूप में लेखा-परीक्षा के अधीन नहीं होगा।

35. परमिट और प्रमाण-पत्र

35.1 आपूर्तिकर्ता, अपने खर्च पर, सभी लागू कानूनों, विनियमों, अध्यादेशों और अन्य नियमों के आधार पर अपेक्षित सभी आवश्यक परमिट, प्रमाण-पत्र और लाइसेंस उस स्थान पर प्राप्त करेगा जहां कोई भी कार्य किया जाना है, और आपूर्तिकर्ता क्रेता और/या परामर्शदाता को देयता या दंड से मुक्त रखने के लिए सहमति देता है, जो ऐसे कानूनों, विनियमों, अध्यादेशों या अन्य नियमों के किसी भी आरोप या स्थापित उल्लंघन के कारण लगाया जा सकता है। क्रेता आपूर्तिकर्ता के कर्मियों को

संविदा के संबंध में साइट पर कोई भी कार्य करने के लिए आवश्यक परमिट प्रदान करेगा।

36. **सामान्य**

36.1 यदि संविदा की सामान्य शर्तों में निर्धारित निबंधन एवं शर्तों का संविदा में निर्धारित निबंधन एवं शर्तों से विचलन होता है, तो बाद वाली शर्तें मान्य होंगी।

36.2 निर्देशों का पालन न करने से हानि

संविदा निष्पादन के संबंध में क्रेता/परामर्शदाता द्वारा दिए गए निर्देशों में से किसी का पालन न करने में आपूर्तिकर्ता की विफलता के कारण क्रेता को होने वाली हानि या क्षति आपूर्तिकर्ता से वसूली जाएगी।

36.3 बकाया राशि की वसूली

सभी लागतें, नुकसान या खर्च जो क्रेता/परामर्शदाता ने भुगतान किया हो, जिसके लिए संविदा के तहत आपूर्तिकर्ता उत्तरदायी है, को क्रेता (जो ऐसा करने के लिए अपरिवर्तनीय रूप से अधिकृत है) द्वारा इस संविदा या अन्य संविदाओं के तहत आपूर्तिकर्ता को देय या देय होने वाली किसी भी राशि से और/या कानून या अन्यथा कार्रवाई द्वारा वसूला जा सकता है। यदि आपूर्तिकर्ता को देय राशि वसूली योग्य राशि की वसूली के लिए पर्याप्त नहीं है, तो आपूर्तिकर्ता क्रेता को, मांग करने पर शेष राशि का भुगतान करेगा।

36.4 भुगतान, आदि क्रेता के अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा

क्रेता द्वारा खाते में भुगतान की गई कोई भी राशि और न ही क्रेता/ परामर्शदाता द्वारा कार्य समाप्ति की तारीख का कोई विस्तार आपूर्तिकर्ता के खिलाफ क्रेता के अधिकारों को प्रभावित या प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा या संविदा की उचित पूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ता को उसके दायित्व से मुक्त नहीं करेगा।

36.5 अंतिम तिथियां

संविदा निष्पादन प्रतिभूति की समाप्ति के 90 दिनों के बाद (अंतिम विस्तार की तिथि से, यदि कोई हो) इस संविदा पर क्रेता/परामर्शदाता द्वारा किसी दावे या दावों संबंधी पत्राचार पर विचार नहीं किया

जाएगा।

36.6 क्षतिपूर्ति

आपूर्तिकर्ता एतदद्वारा अपरिवर्तनीय रूप से और बिना शर्त के क्रेता/गेल और उसके सभी कर्मचारियों, एजेंटों और समनुदेशितों को समस्त हानि, दंड स्वरूप ब्याज, लागतों आदि से क्षतिपूर्ति करने और क्षतिपूर्ति करने का वचन देता है, जो इस संविदा के तहत अपने दायित्वों के कार्यान्वयन के उद्देश्य से आपूर्तिकर्ता और कर्मचारियों/ कर्मियों/ उप-ठेकेदारों/ एजेंटों या आपूर्तिकर्ता द्वारा नियुक्त किसी तीसरे पक्ष द्वारा इस संविदा की किसी भी निबंधन एवं शर्तों के उल्लंघन से उत्पन्न हो सकता है। आपूर्तिकर्ता क्रेता/गेल को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष व्यय सहित किसी भी हानि का बिना किसी विरोध के मांग करने पर क्रेता/गेल को तत्काल क्षतिपूर्ति करने का वचन देता है। यह क्षतिपूर्ति क्रेता/गेल के किसी भी ऐसे मामले या अदालती मामले से उत्पन्न होने वाले सभी दावों के लिए वैध और अपरिवर्तनीय रहेगी, जिसके लिए क्रेता/गेल या उसके कर्मचारियों को अब तक या यहां बाद में पक्षकार बनाया गया है।

36.7 अनुच्छेद शीर्षक

इन शर्तों में पैरा का शीर्षक उसकी संरचना को प्रभावित नहीं करेगा।

36.8 सेवानिवृत्त क्रेता निदेशक

गेल के किसी भी निदेशक को गेल की पूर्व अनुमति के बिना गेल के नियोजन से उनकी सेवानिवृत्ति के बाद 1 (एक) वर्ष की अवधि के लिए निविदा में भाग लेने की अनुमति नहीं है। यदि निविदाकर्ता किसी भी समय ऐसा व्यक्ति पाया जाता है और निविदा जमा करने से पहले उसने गेल से अनुमति प्राप्त नहीं की है, तो संविदा को रद्द किया जा सकता है। पूर्वोक्त व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किसी भी निविदा में इसका खुलासा किया जाएगा, और उस दस्तावेज़ की एक प्रति संलग्न की जाएगी जिसके द्वारा अपेक्षित सहमति दी गई है। ऐसी अयोग्यताएं साझेदारी फर्म के प्रत्येक भागीदार पर लागू होंगी।

निविदाकर्ता को यह बताना आवश्यक है कि क्या वह गेल के किसी निदेशक का रिश्तेदार है, या क्या निविदाकर्ता एक साझेदारी फर्म है, क्या गेल का निदेशक या उसका रिश्तेदार फर्म में भागीदार है, या क्या निविदाकर्ता एक कंपनी है, क्या गेल का निदेशक या ऐसे निदेशक का रिश्तेदार महत्वपूर्ण सदस्य है जिसके पास कंपनी में 10% (दस प्रतिशत) से अधिक चुकता पूंजी है या कंपनी का

निदेशक है। रिश्तेदार की परिभाषा कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके संशोधन(नों) के अनुसार होगी।

37. **आयात लाइसेंस**

37.1 इस संविदा के अंतर्गत किए जाने वाले आयात के लिए किसी आयात लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।

38. **फॉल क्लॉज**

निम्नलिखित फॉल क्लॉज संविदा में तभी लागू होगा, जब आईटीबी या एससीसी निविदा दस्तावेज में इसकी प्रयोज्यता का विशिष्ट उल्लेख हो।

38.1 आपूर्तिकर्ता द्वारा संविदा के तहत आपूर्ति किए गए सामान के लिए लगाया गया मूल्य किसी भी स्थिति में उस न्यूनतम कीमत से अधिक नहीं होगा जिस पर आपूर्तिकर्ता या उसका एजेंट/प्रिंसिपल/डीलर, जैसा भी मामला हो, संविदा की अवधि के दौरान समान विवरण का सामान क्रेता सहित किसी भी व्यक्ति/संगठन या केंद्र सरकार के किसी भी विभाग या राज्य सरकार का कोई विभाग या केंद्र या राज्य सरकार का कोई सांविधिक उपक्रम, जैसा भी मामला हो, को बेचता है।

38.2 यदि उक्त अवधि के दौरान किसी भी समय, आपूर्तिकर्ता या उसका एजेंट/प्रिंसिपल/डीलर, जैसा भी मामला हो, बिक्री मूल्य को कम करता है, क्रेता या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग, जैसा भी मामला हो, सहित किसी भी व्यक्ति/संगठन को ऐसी सामग्री बेचता है या बेचने की पेशकश करता है तो वह संविदा के तहत लिए जाने वाले मूल्य से कम कीमत के बारे में खरीद प्राधिकारी को ऐसी कमी या बिक्री या बिक्री के प्रस्ताव की तुरंत सूचित देगा जिसने क्रय आदेश जारी किया है और क्रय आदेश के तहत देय मूल्य के लिए ऐसी कमी या बिक्री या बिक्री के प्रस्ताव के लागू होने की तारीख के बाद आपूर्ति की गई सामग्री को तदनुसार कम किया जाएगा।

तथापि, उपर्युक्त शर्त निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी:

(i) आपूर्तिकर्ता द्वारा निर्यात, या

(ii) मूल उपकरण के रूप में सामान की बिक्री सामान्य प्रतिस्थापन के लिए ली जाने वाली कीमतों से कम कीमतों पर।

(iii) ऐसी दवाओं जैसे सामानों की बिक्री जिनकी समाप्ति तिथि होती है।

38.3 आपूर्तिकर्ता इस आदेश के तहत की गई आपूर्ति के भुगतान के लिए प्रत्येक बिल के साथ संबंधित भुगतान प्राधिकारी को निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा:-

"मैं/हम प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि गेल को यहां दिए गए आदेश के तहत आपूर्ति की गई वस्तुओं/ माल/ विवरण की सामग्रियों के बिक्री मूल्य में कोई कमी नहीं की गई है और ऐसी वस्तुओं/ माल/ सामग्रियों की मेरे/हमारे द्वारा बिल की तारीख तक/ संविदा की अवधि के दौरान जो भी बाद में हो, इस क्रय आदेश के तहत गेल से लिए गए मूल्य से कम कीमत पर क्रेता या केंद्र सरकार के किसी विभाग या राज्य सरकार के किसी विभाग या केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी सांविधिक उपक्रम सहित किसी भी व्यक्ति/संगठन, जैसा भी मामला हो, को प्रस्ताव नहीं दिया गया है/ बिक्री नहीं की गई है।"

उपर्युक्त उप-पैरा 38.2 के उपखंड (i), (ii) और (iii) के तहत मदों/वस्तुओं/सामग्रियों की श्रेणियों की मात्रा को छोड़कर, ऐसा प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाएगा, जिसका विवरण आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

39. प्रचार और विज्ञापन

39.1 आपूर्तिकर्ता क्रेता/ परामर्शदाता की लिखित अनुमति के बिना क्रेता/ परामर्शदाता या क्रेता/ परामर्शदाता से संबद्ध किसी भी कंपनी या गंतव्य या संविदा के तहत आपूर्ति की गई वस्तुओं या सेवाओं के विवरण को किसी प्रकाशन, प्रचार या विज्ञापन मीडिया में संदर्भित नहीं करेगा।

40. रिपीट ऑर्डर

40.1 क्रेता को यह अधिकार है कि वह ऑर्डर के 6 महीने के भीतर यूनिट मूल्य या अन्य निबंधन एवं शर्तों में किसी भी बदलाव के बिना मूल मात्रा के 50% तक ऑर्डर दोहराने का अधिकार रखता है।

41. देयता की सीमा

41.1 इसमें निहित किसी बात के विपरीत होने के बावजूद, संविदा के तहत पेटेंट, ट्रेड मार्क या औद्योगिक डिजाइन अधिकारों के उल्लंघन के प्रति उसकी देयता को छोड़कर आपूर्तिकर्ता की कुल देयता क्रय

आदेश के मूल्य के 100% तक सीमित होगी, सिवाय इसके कि इस खंड से निम्नलिखित के लिए आपूर्तिकर्ता का दायित्व सीमित नहीं होगा:

(i) किसी भी लागू कानून के उल्लंघन की स्थिति में;

(ii) धोखाधड़ी, जानबूझकर किए गए दुराचार या अवैध या गैर-कानूनी कृत्यों, या आपूर्तिकर्ता या आपूर्तिकर्ता की ओर से कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति की घोर लापरवाही की स्थिति में; या

(iii) आपूर्तिकर्ता के कृत्यों या चूक की स्थिति में जो समर्पित और परिश्रम के सबसे प्राथमिक नियमों के विपरीत हैं जिनका किसी ईमानदार आपूर्तिकर्ता ने समान परिस्थितियों में पालन किया होगा; या

(iv) बौद्धिक संपदा के उल्लंघन से उत्पन्न होने वाले किसी दावे या हानि या क्षति की स्थिति में; या

(v) किसी तीसरे पक्ष को किसी भी तरह की क्षति के लिए, जिसमें आपूर्तिकर्ता या संविदा को निष्पादित करने में आपूर्तिकर्ता की ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति या फर्म की वजह से किसी तीसरे पक्ष की मृत्यु होना या चोट लगना शामिल है।

तथापि, कोई भी पक्ष किसी भी अप्रत्यक्ष और परिणामी नुकसान, लाभ की हानि या उत्पादन की हानि के लिए दूसरे पक्ष के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा।

42. पूर्णता प्रमाण-पत्र और निष्पादन प्रमाण-पत्र

42.1 केवल माल की आपूर्ति के ऑर्डर पर कोई पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाएगा। तथापि, इन मामलों के लिए, संबंधित स्टोर प्रभारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित माल की आवक (जीआर) की एक प्रति आपूर्तिकर्ता को भेजी जाएगी।

42.2 संबंधित/ आकस्मिक सेवाओं (जैसे निर्माण, स्थापना, चालू होना आदि) के साथ माल की आपूर्ति के लिए क्रय आदेश के मामले में, समापन प्रमाण-पत्र संविदा के अनुसार आपूर्ति/ सेवाओं के पूरा होने के बाद जारी किया जाना चाहिए।

42.3 आपूर्ति की समाप्ति, पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए, संविदा के प्रावधानों के अनुसार सभी तरह से आपूर्ति और माल की स्वीकृति को पूरा करना होगा।

42.4 पूर्णता प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन: जब आपूर्तिकर्ता संविदा के तहत अपने दायित्व को पूरा करता है तो वह पूर्णता प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन करने का पात्र होगा। क्रेता/ परामर्शदाता आम तौर पर आपूर्तिकर्ता से किसी भी आवेदन को प्राप्त करने के बाद एक महीने के भीतर, पूरा होने वाले दस्तावेजों से सत्यापित करने और खुद को संतुष्ट करने के बाद कि आपूर्ति संविदा में निर्धारित और उसके अनुसार की गई है, पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

42.5 पूर्णता प्रमाण-पत्र: आपूर्तिकर्ता से आवेदन प्राप्त होने के एक महीने के भीतर, जैसा कि ऊपर खंड सं. 42.4 में निर्दिष्ट किया गया है, सभी तरह से आपूर्ति पूरी होने के बाद, क्रेता/ परामर्शदाता द्वारा आपूर्तिकर्ता को पूर्णता प्रमाण-पत्र दिया जाएगा। सभी पहलुओं में आपूर्ति के पूरा होने के बारे में क्रेता/ परामर्शदाता का प्रमाणीकरण बाध्यकारी और निर्णायक होगा।

42.6 निष्पादन प्रमाण-पत्र: दर संविदा की अवधि के दौरान निष्पादन प्रमाण-पत्र क्रेता/ परामर्शदाता द्वारा आपूर्तिकर्ता के लिखित अनुरोध पर जारी किया जा सकता है।

43. **वापस खरीद मदों के लिए प्रावधान:**

बाय-बैक के लिए निम्नलिखित प्रावधान संविदा में तभी लागू होंगे, जब आईटीबी या निविदा दस्तावेज के एससीसी में इसकी प्रयोज्यता का विशिष्ट उल्लेख किया गया हो।

43.1 संविदा के संदर्भ में पुरानी सामग्री "जहाँ है जैसा है आधार" पर उचित दस्तावेज के साथ आपूर्तिकर्ता को सौंप दी जाएगी। आपूर्तिकर्ता को ऐसी सामग्री सौंपने के तुरंत बाद ऐसी सामग्री को गेल से बाहर ले जाना आवश्यक है।

43.2 आपूर्तिकर्ता, क्रेता कर्मचारी(कर्मचारियों) द्वारा प्राप्त की जाने वाली इन सामग्रियों को क्रेता के किसी भी कर्मचारी को क्रेता/ एचआर विभाग-क्रेता की लिखित अनुमति के बिना नहीं बेचेगा। कर्मचारी(कर्मचारियों) द्वारा ऐसी अनुमति प्राप्त करने के बाद भी, आपूर्तिकर्ता यह निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है कि ऐसी वस्तु(ओं) को क्रेता कर्मचारी(कर्मचारियों) को बेचना है या नहीं।

43.3 आपूर्तिकर्ता क्रेता कर्मचारियों को की गई ऐसी बिक्री का अलग से रिकॉर्ड रखेगा और क्रेता द्वारा मांगे जाने पर इसे उपलब्ध कराएगा।

43.4 आपूर्तिकर्ता गेल कर्मचारी(कर्मचारियों) को पुरानी वस्तुओं की बिक्री के लिए केवल चेक/डिमांड

ड्राफ्ट/ई-बैंकिंग (एनईएफटी) द्वारा भुगतान स्वीकार करेगा।

43.5 आपूर्तिकर्ता को नोटिस के 14 दिनों के भीतर गेल परिसर से बाय-बैक मद को अपनी लागत पर ले जाना आवश्यक है। बाय-बैक मद को हटाने के लिए आपूर्तिकर्ता के विफल रहने पर या किसी भी विलंब के लिए, क्रेता किसी भी प्रकार के अन्य संबंधित दायित्व से आपूर्तिकर्ता को मुक्त किए बिना प्रत्येक महीने या महीने के हिस्से के लिए ऐसी वस्तुओं के बाय बैक मूल्य के 5% की दर से रखरखाव और भंडारण शुल्क वसूलने का पात्र होगा। आपूर्तिकर्ता द्वारा 6 महीने की अवधि के भीतर इसे हटाने में विफल रहने की स्थिति में, क्रेता आपूर्तिकर्ता की ओर से और अपने जोखिम पर सभी तरह से नीलामी या बिक्री के माध्यम से हटाने की कार्रवाई करेगा। भुगतान से काटी गई बाय बैक राशि और ऐसी कार्रवाई या बिक्री से प्राप्त आय को गेल के रखरखाव, भंडारण और उपरिव्यय शुल्क के साथ समायोजित किया जाएगा। इस तरह हटाए जाने के संबंध में क्रेता का निर्णय और आय की राशि आपूर्तिकर्ता के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगी। क्रेता किसी भी तरह से किसी भी परिस्थिति में उपकरण के खराब होने या क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इसके अलावा, इस तरह की कार्रवाई को खराब निष्पादन माना जाएगा और इस संबंध में प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

44. **गोपनीयता:**

आपूर्तिकर्ता, उसके उप-ठेकेदार और उसके कर्मचारी, इस संविदा की अवधि के दौरान या दो (2) वर्षों के भीतर, कार्य/ परियोजना से संबंधित किसी भी स्वामित्व या गोपनीय जानकारी, इस संविदा, या क्रेता के व्यवसाय या संचालन का क्रेता की पूर्व सहमति के बिना खुलासा नहीं करेंगे।

45. **बौद्धिक संपदा अधिकार:**

आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्तिकर्ता दस्तावेज़ में और आपूर्तिकर्ता द्वारा (या उसकी ओर से) बनाए गए अन्य डिज़ाइन दस्तावेजों में कॉपी राइट और अन्य बौद्धिक संपदा अधिकार को बनाए रखा जाएगा।

संविदा मूल्य के भीतर गोपनीयता दायित्वों के अधीन, संविदा पर हस्ताक्षर करके आपूर्तिकर्ता, क्रेता को गैर-समाप्ति, हस्तांतरणीय, गैर-विशिष्ट और रॉयल्टी-मुक्त अधिकार की प्रतिलिपि बनाने, संचालन, रखरखाव के लिए आपूर्तिकर्ता के दस्तावेजों का उपयोग करने एवं सूचना देने, माल/ कार्य/ संयंत्र की मरम्मत करने, प्रशिक्षण और सांविधिक उद्देश्यों को दिया गया माना जाएगा, लेकिन यह किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं होगा। आपूर्तिकर्ता की सहमति के बिना, आपूर्तिकर्ता के ऐसे दस्तावेज़ों

का उपयोग, कॉपी करने या किसी तीसरे पक्ष को क्रेता द्वारा या उसकी ओर से अनुमत उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाएगा।

46. **भ्रष्ट/ धोखाधड़ी/ मिलीभगत/ बलपूर्वक आचरण और खराब निष्पादन के मामले में कार्रवाई:**

यदि कोई एजेंसी भ्रष्ट/धोखाधड़ी/द्वेषपूर्ण/बलपूर्वक आचरण में संलिप्त है तो किसी बोलीदाता/ आपूर्तिकर्ता को निलंबन और/या प्रतिबंध सूची (जैसा भी मामला हो) में डालने के प्रावधान वाले भ्रष्ट/ धोखाधड़ी/ द्वेषपूर्ण/ बलपूर्वक आचरण के मामले में कार्रवाई की प्रक्रिया। प्रक्रिया इस जीसीसी के परिशिष्ट-I के रूप में भी संलग्न है।

इसके अलावा, बोलीदाता/ आपूर्तिकर्ता स्वीकार करता है और सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता है कि वे गेल की धोखाधड़ी निवारण नीति का पालन करेंगे और न हो खुद शामिल होंगे या दूसरों (गेल में कार्यरत) को धोखाधड़ी की गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति नहीं देंगे तथा जैसे ही उनके संज्ञान में धोखाधड़ी/ संदिग्ध धोखाधड़ी आती है, वे तुरंत इसकी सूचना मालिक/गेल/नियोक्ता/संगठन(नों) को देंगे। गेल के व्यापारिक लेन-देन के संबंध में धोखाधड़ी गतिविधियों में बोलीदाता/आपूर्तिकर्ता की संलिप्तता के बारे में तथ्यों को छुपाना अपराध माना जाएगा और इससे समय-समय पर लागू होने वाली गेल की प्रक्रियाओं के तहत निपटा जाएगा। धोखाधड़ी निवारण नीति दस्तावेज गेल की वेबसाइट (www.gailonline.com) पर उपलब्ध है।

47. **विक्रेता निष्पादन मूल्यांकन**

किसी बोलीदाता/ आपूर्तिकर्ता को निलंबन और/या अवकाश सूची (जैसा भी मामला हो) में डालने के प्रावधानों वाले आपूर्तिकर्ता के निष्पादन मूल्यांकन की प्रक्रिया इस जीसीसी के परिशिष्ट II के रूप में संलग्न है।

परिशिष्ट-I

भ्रष्ट/धोखाधड़ी/ मिलीभगत/बलपूर्वक आचरण के मामले में कार्रवाई की प्रक्रिया

क. परिभाषाएं:

क.1 "भ्रष्ट आचरण" का अर्थ है चयन प्रक्रिया या संविदा निष्पादन में कार्यों को अनुचित रूप से प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कुछ भी देने का प्रस्ताव करना, देना, प्राप्त करना या मांगना।

"भ्रष्ट आचरण" में गलत बयानी के लिए वह चूक भी शामिल है जो गुमराह कर सकती है या गुमराह करने का प्रयास कर सकती है ताकि वित्तीय या अन्य लाभ प्राप्त किया जा सके या किसी दायित्व से बचा जा सके।

क.2 "धोखाधड़ी प्रथा" का अर्थ है और इसमें किसी एजेंसी द्वारा या उसकी मिलीभगत से या उसके एजेंट द्वारा गलत तरीके से की गई कोई चूक/झूठे दस्तावेज जमा करना और/या गलत जानकारी या तथ्यों को छिपाना या संविदा/क्रय आदेश के निष्पादन के दौरान चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए धोखा देना शामिल है।

क.3 "बोलीदाताओं के बीच मिलीभगत (बोली जमा करने से पहले या बाद में)" का अर्थ कृत्रिम गैर-प्रतिस्पर्धी स्तरों पर बोली मूल्य स्थापित करने और क्रेता/नियोक्ता को मुक्त और खुली प्रतिस्पर्धा के लाभों से वंचित करने के लिए बनाई गई योजना या व्यवस्था है।

क.4 "बलपूर्वक आचरण" का अर्थ है किसी एजेंसी या उसकी संपत्ति को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी एजेंसी या उसकी संपत्ति को खराब करना या नुकसान पहुंचाना या धमकी देना, किसी एजेंसी के अनुचित कार्यों को प्रभावित करना, किसी भी जांच या खरीद प्रक्रिया की लेखा-परीक्षा में बाधा डालना।

क.5 "विक्रेता/ आपूर्तिकर्ता/ ठेकेदार/ परामर्शदाता/ बोलीदाता/ सेवा प्रदाता" को इस परिशिष्ट में "एजेंसी" के रूप में संदर्भित किया गया है।

क.6 "अपीलीय प्राधिकारी" का अर्थ निदेशकों की समिति है जिसमें निदेशक (परियोजना) के तहत कार्य केंद्रों के लिए निदेशक (वित्त) और निदेशक (बीडी) शामिल होंगे। अन्य सभी मामलों के लिए निदेशकों

की समिति में निदेशक (वित्त) और निदेशक (परियोजना) शामिल होंगे।

क.7 "सक्षम प्राधिकारी" का अर्थ उस प्राधिकारी से होगा, जो किसी एजेंसी (एजेंसियों) से निपटने वाले व्यवसाय के निलंबन और एजेंसी (एजेंसियों) के साथ व्यापार व्यवहार पर प्रतिबंध लगाने के लिए अंतिम निर्णय लेने के लिए सक्षम है और संबंधित "निदेशक" होगा।

क.8 "संबद्ध एजेंसी" का अर्थ प्रतिबंधित/ निलंबित एजेंसियों के प्रभावी प्रभाव के क्षेत्र में सभी समस्याओं से होगा। इसे निर्धारित करने में, निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखा जाएगा:

(क) क्या प्रबंधन सामान्य है;

(ख) प्रबंधन में अधिकांश हित प्रतिबंधित/ निलंबित फर्म के भागीदारों या निदेशकों के पास है।

(ग) पर्याप्त या बहुसंख्यक शेयर प्रतिबंधित/निलंबित एजेंसी के स्वामित्व में हैं और इसके आधार पर इसकी एक नियंत्रित आवाज है।

क.9 "जांच एजेंसी" का अर्थ एजेंसी/पार्टी के आचरण की जांच करने वाला गेल का कोई विभाग या इकाई होगा और इसमें गेल का सतर्कता विभाग, केंद्रीय जांच ब्यूरो, राज्य पुलिस या केंद्र या राज्य सरकार द्वारा स्थापित कोई अन्य एजेंसी शामिल होगी जिसे जांच करने का अधिकार होगा।

ख. भ्रष्ट/धोखाधड़ी/मिलीभगत/बलपूर्वक आचरण में संलिप्त बोलीदाता(ओं) के खिलाफ कार्रवाई

ख.1 बोलियों के मूल्यांकन के दौरान पाई गई अनियमितताएं:

यदि बोली प्रक्रिया/बोली मूल्यांकन चरण के दौरान यह पाया जाता है कि बोलीदाता ने भ्रष्ट/धोखाधड़ी/द्वेषपूर्ण/बलपूर्वक आचरण किया है, ऐसे बोलीदाताओं की बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा और उसकी बयाना राशि (ईएमडी) जब्त कर ली जाएगी।

इसके अलावा, ऐसी एजेंसी को प्रतिबंध आदेश जारी करने की तारीख से नीचे पैरा ख 2.2 में निर्दिष्ट अवधि के लिए गेल के साथ भविष्य में व्यापार करने के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा।

ख.2 संविदा देने के बाद पाई गई अनियमितताएं

(i) **संविदा के निष्पादन के दौरान:**

यदि कोई एजेंसी भ्रष्ट/धोखाधड़ी/ मिलीभगत/बलपूर्वक आचरण गतिविधियों में संलिप्त पाई जाती है, तो एजेंसी को प्रतिबंध सूची में डालने के लिए कार्रवाई शुरू की जाएगी।

प्रक्रिया के समापन के बाद और पार्टी को प्रतिबंध सूची में डालने के लिए सकारण आदेश (स्पीकिंग ऑर्डर) जारी करने के बाद, आदेश/संविदा जहां यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि ऐसी अनियमितताएं की गई हैं, को समाप्त कर दिया जाएगा और ऐसे आदेश(शों)/संविदा(ओं) के तहत एजेंसी द्वारा प्रस्तुत संविदा-सह-निष्पादन बैंक गारंटी (सीपीबीजी) को भी जब्त कर लिया जाएगा। इसके अलावा, इस संबंध में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए ऐसे आदेश/संविदा को समाप्त कर दिया जाएगा।

वह राशि जो ठेकेदार को उसके द्वारा पहले से निष्पादित कार्य के कारण देय हो गई है, ठेकेदार को देय होगी और संविदा की शर्तों के तहत इस राशि से ठेकेदार द्वारा देय किसी भी राशि का समायोजन किया जाएगा। ऐसे मामलों में कोई जोखिम और लागत प्रावधान लागू नहीं किया जाएगा।

आदेश/ संविदा का निलंबन:

इसके अलावा, केवल निम्नलिखित स्थितियों में, संबंधित आदेश(शों)/ संविदा(ओं) (जहां भ्रष्ट/धोखाधड़ी/द्वेषपूर्ण/बलपूर्वक आचरण पाया जाता है) और निलंबन-सह-कारण बताओ नोटिस जारी होने के बाद भुगतान रोक दिया जाएगा:

(i) कारपोरेट सतर्कता विभाग/सीवीओ के प्रमुख उनके द्वारा जांच के आधार पर एजेंसी के खिलाफ विशिष्ट तत्काल कार्रवाई की सिफारिश करते हैं।

(ii) जांच एजेंसी से इनपुट के आधार पर कॉर्पोरेट सतर्कता विभाग/ सीवीओ के प्रमुख, एजेंसी के खिलाफ विशिष्ट तत्काल कार्रवाई करने का आदेश देंगे।

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद उपर्युक्त मामलों में निलंबन-सह-कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है (खंड सं. घ के तहत उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार) में

आदेश(शों)/ संविदा(ओं) के निलंबन और भुगतान के प्रावधान भी शामिल होंगे। निलंबन-सह-कारण बताओ नोटिस जारी होने के बाद, गेल के संबंधित व्यक्ति द्वारा तत्काल प्रभाव से आदेश(शों)/ संविदा(ओं) के निलंबन और भुगतान के लिए औपचारिक सूचना जारी की जाएगी।

निलंबन के दौरान, ठेकेदार/सेवा प्रदाताओं को उनकी वस्तुओं/उपकरणों, गेल द्वारा जारी सामग्री (यदि उसकी अभिरक्षा नहीं ली जाती है) के रखरखाव के लिए संयंत्र/साइट पर जाने की अनुमति दी जाएगी, ईआईसी, आदि की पुष्टि के बाद साइट को निष्क्रिय किया जाएगा।

(ii) **संविदा के निष्पादन के बाद और दोष देयता अवधि (डीएलपी)/वारंटी/गारंटी अवधि के दौरान:**

यदि कोई एजेंसी संविदा के निष्पादन के बाद और डीएलपी/ वारंटी/ गारंटी अवधि के दौरान भ्रष्ट/धोखाधड़ी/ मिलीभगत/बलपूर्वक आचरण में संलिप्त पाई जाती है, तो एजेंसी को प्रतिबंध आदेश जारी होने की तारीख से नीचे पैरा ख 2.2 में निर्दिष्ट अवधि के लिए गेल के साथ भविष्य में कारोबार करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

इसके अलावा, ऐसे आदेश(शों)/संविदा(ओं) के खिलाफ एजेंसी द्वारा प्रस्तुत सीपीएस को जब्त कर लिया जाएगा।

(iii) **डीएलपी/वारंटी/गारंटी अवधि समाप्त होने के बाद**

यदि कोई एजेंसी डीएलपी/वारंटी/गारंटी अवधि की समाप्ति के बाद भ्रष्ट/धोखाधड़ी/ मिलीभगत/बलपूर्वक आचरण में संलिप्त पाई जाती है, तो एजेंसी को प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी होने की तारीख से गेल के साथ भविष्य में कारोबार करने के लिए नीचे दिए गए पैरा ख 2.2 में निर्दिष्ट अवधि के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

ख.2.2 प्रतिबंध लगाने की अवधि

भ्रष्ट/धोखाधड़ी/द्वेषपूर्ण/बलपूर्वक आचरण में संलिप्त एजेंसियों के प्रतिबंध की अवधि निम्नानुसार होगी और प्रतिबंध आदेश की तारीख से गणना की जाएगी:

क्र.सं.	विवरण	प्रतिबंध आदेश जारी होने की तारीख से प्रतिबंध लगाने की अवधि
1	निविदा की बीईसी के अलावा गलत बयानी/ झूठी जानकारी देना जिसका चयन प्रक्रिया पर प्रभाव पड सकता हो। उदाहरण के लिए, यदि कोई एजेंसी गेल/ पीएसयू के पीएमसी में अवकाश पर नहीं होने की पुष्टि करती है या पीएसयू/ सरकारी विभाग द्वारा परिसमापन, दिवालिया होने आदि के कारण प्रतिबंधित किया जाताहै और बाद में इसका विपरीत पाया जाता है, तो इस श्रेणी में ऐसे कृत्यों पर विचार किया जाएगा।	02 वर्ष
2	भ्रष्ट/धोखाधड़ी (उपर्युक्त क्र.सं. 1 को छोड़कर)/ मिलीभगत/ बलपूर्वक आचरण	03 वर्ष
2.1	यदि कोई एजेंसी प्रतिबंध लगाए जाने के बाद, आगे के मामलों में फिर से भ्रष्ट/ धोखाधड़ी (उपर्युक्त क्र.सं. 1 को छोड़कर)/ छेड़छाड़/ बलपूर्वक आचरण करती है, तो बार-बार अपराध की ऐसी स्थिति से और अधिक गंभीरता से निपटा जाएगा और प्रतिबंध लगाने की अवधि निम्नलिखित होगी:	
	(i) एक बार दोहराने पर	7 वर्ष (पहले से दी गई अवधि के अतिरिक्त)
	(vi) दो बार या अधिक बार दोहराने पर	15 वर्ष (पहले से दी गई अवधि के अतिरिक्त)
3	गेल द्वारा प्रदान की गई सामग्री के अनधिकृत निपटान में संलिप्तता	7 वर्ष
4	यदि विक्रेता/ठेकेदार का कार्य राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है	15 वर्ष

ग अन्य चल रही संविदाओं/ निविदाओं पर प्रतिबंध का प्रभाव

ग.1 यदि किसी एजेंसी पर प्रतिबंध लगाया जाता है, तो ऐसी एजेंसी पर वर्तमान निविदाओं/भविष्य की निविदाओं में विचार नहीं किया जाना चाहिए।

ग.2 तथापि, यदि ऐसी एजेंसी पहले से ही अन्य आदेशों/संविदाओं का निष्पादन कर रही है, जहां कोई भ्रष्ट/धोखाधड़ी/ मिलीभगत/बलपूर्वक आचरण नहीं पाया जाता है, तो एजेंसी को संविदा में उल्लिखित मूल कार्यक्षेत्र से संबंधित कार्य के पूरा होने तक कार्यक्षेत्र को आगे बढ़ाए बिना जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए।

ग.3 यदि किसी एजेंसी को निविदा के दौरान प्रतिबंध सूची में रखा जाता है और प्रक्रिया के तहत मामले में कोई अनियमितता नहीं पाई जाती है तो:

ग.3.1 पूछताछ/बोली/निविदा जारी करने के बाद, लेकिन तकनीकी बोली खोलने से पहले, एजेंसी द्वारा प्रस्तुत बोली को नजरअंदाज कर दिया जाएगा।

ग.3.2 तकनीकी बोली खोलने के बाद, लेकिन मूल्य बोली खोलने से पहले, एजेंसी की मूल्य बोली नहीं खोली जाएगी और एजेंसी द्वारा प्रस्तुत बीजी/ईएमडी एजेंसी को वापस कर दी जाएगी।

ग.3.3 कीमत के खुलने के बाद, एजेंसी द्वारा दी गई बीजी/ईएमडी वापस कर दी जाएगी; एजेंसी के प्रस्ताव को नज़रअंदाज किया जाएगा और आगे मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यदि एजेंसी को उसी निविदा/अन्य निविदा में किए गए धोखाधड़ी/तथ्यों के दुरूपयोग के लिए प्रतिबंध सूची में रखा जाता है, तो जहां दोषी एजेंसी न्यूनतम (एल 1) के रूप में उभरती है, तो ऐसी निविदा को भी रद्द कर दिया जाएगा और फिर से आमंत्रित किया जाएगा।

घ. बोलीदाता के निलंबन की प्रक्रिया

घ.1 निलंबन की शुरुआत

किसी भी एजेंसी/(एजेंसियों) के साथ व्यवसाय निलंबित करने के लिए कार्रवाई तब शुरू की जाएगी जब

(i) कारपोरेट सतर्कता विभाग, गेल द्वारा जांच के दौरान एकत्रित मामले के तथ्य के आधार पर एजेंसी के खिलाफ तत्काल विशेष कार्रवाई की सिफारिश की जाती है।

(ii) जांच एजेंसी से इनपुट के आधार पर कॉर्पोरेट सतर्कता विभाग, गेल, एजेंसी के खिलाफ विशिष्ट तत्काल कार्रवाई करने के लिए कहता है।

(iii) विक्रेता/ आपूर्तिकर्ता/ ठेकेदार/ परामर्शदाता के गैर-निष्पादन के कारण संविदा/आदेश की समाप्ति।

घ.2 निलंबन प्रक्रिया:

घ.2.1 निलंबन का आदेश शुरू में छह महीने से अधिक की अवधि के लिए लागू नहीं होगा तथा एजेंसी और कॉर्पोरेट सतर्कता विभाग को भी सूचित किया जाएगा। निलंबन की अवधि को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से एक बार में एक महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है और एजेंसी को प्रतिबंध सूची में डालने के लिए निर्णायक निर्णय लंबित होने तक छह महीने की अधिकतम सीमा तय की जा सकती है।

घ.2.2 निलंबन की अवधि के दौरान, एजेंसी के साथ कोई नया व्यापार सौदा नहीं किया जाएगा।

घ.2.3 एजेंसी के साथ व्यापार को प्रतिबंधित करने के लिए पारित अंतिम आदेश में निलंबन की अवधि को शामिल किया जाएगा।

घ.2.4 व्यावसायिक सौदों के निलंबन के संबंध में निर्णय के बारे में भी एजेंसी को सूचित किया जाएगा।

घ.3 व्यवसाय के निलंबन का प्रभाव:

अन्य वर्तमान/ भावी निविदाओं पर निलंबन का प्रभाव निम्नानुसार होगा:

घ.3.1 किसी एजेंसी से किसी पूछताछ/बोली/निविदा पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि एजेंसी का नाम निलंबन सूची में हो।

घ.3.2 यदि निविदा के दौरान किसी एजेंसी को निलंबन सूची में रखा जाता है:

घ.3.2.1 पूछताछ/बोली/निविदा जारी करने के बाद, किंतु तकनीकी बोली खोलने से पहले, एजेंसी द्वारा प्रस्तुत बोली को नजरअंदाज कर दिया जाएगा।

घ.3.2.2 तकनीकी बोली खोलने के बाद लेकिन मूल्य बोली खोलने से पहले, एजेंसी की मूल्य बोली नहीं खोली जाएगी और एजेंसी द्वारा प्रस्तुत बीजी/ ईएमडी एजेंसी को वापस कर दी जाएगी।

घ.3.2.3 कीमत खुलने के बाद, एजेंसी द्वारा प्रस्तुत बीजी/ईएमडी वापस की जाएगी; एजेंसी के प्रस्ताव पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और आगे मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यदि एजेंसी को उसी निविदा/अन्य निविदा में आयोजित तथ्यों की धोखाधड़ी/ दुरुपयोग के लिए निलंबन सूची में रखा जाता है, जहां दोषी एजेंसी न्यूनतम (एल 1) के रूप में उभरती है, तो ऐसी निविदा भी रद्द कर दी जाएगी और उसे फिर से आमंत्रित किया जाएगा।

घ.3.3 निष्पादन के तहत मौजूदा संविदा(ओं)/आदेशों को जारी रखा जाएगा।

घ.3.4 बोलीदाता पुष्टि करता/वचन देता है कि (i) न तो स्वयं बोलीदाता और न ही उनकी संबद्ध एजेंसी/(एजेंसियां) गेल या पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की प्रतिबंध सूची पर हैं और (ii) बोलीदाता को किसी भी सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया है।

च. सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के खिलाफ अपील:

च.1 एजेंसी को प्रतिबंधित सूची में डालने के लिए सक्षम प्राधिकारी के आदेश के खिलाफ एजेंसी अपील दायर कर सकती है। अपील अपीलीय प्राधिकारी को दायर की जाएगी। ऐसी अपील प्रतिबंध लगाने के आदेश की प्राप्ति के एक महीने के भीतर की जाएगी।

च.2 अपीलीय प्राधिकारी अपील पर विचार करेगा और उचित आदेश पारित करेगा जिसकी सूचना पार्टी के साथ-साथ सक्षम प्राधिकारी को भी दी जाएगी।

च.3 अपील की प्रक्रिया अपीलीय प्राधिकारी को अपील दायर करने के 45 दिनों के भीतर पूरी की जा सकती है।

छ. जहां-कहीं भी 'सत्यनिष्ठा समझौते', जीसीसी और 'भ्रष्ट/धोखाधड़ी/द्वेषपूर्ण/बलपूर्वक आचरण के मामले

में कार्रवाई की प्रक्रिया' की शर्तों के संबंध में विरोधाभास है, वहां 'भ्रष्ट/धोखाधड़ी/द्वेषपूर्ण/ बलपूर्वक आचरण के मामले में कार्रवाई की प्रक्रिया' (परिशिष्ट I) के प्रावधान लागू होंगे।

परिशिष्ट ।।

विक्रेता/ आपूर्तिकर्ता/ ठेकेदार/ परामर्शदाता के निष्पादन मूल्यांकन की प्रक्रिया

1.0 सामान्य

विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/परामर्शदाताओं के मूल्यांकन के लिए एक प्रणाली (जिसे *"विक्रेता के रूप में कहीं और संदर्भित किया गया है)* और उनका निष्पादन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है तथा किसी संगठन की प्रभावी खरीद और संविदा कार्य का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण है।

आपूर्तियों की समय पर प्राप्ति, कार्य को पूरा करना या निर्धारित पूर्ण अवधि के भीतर विक्रेता द्वारा ऑर्डर का पूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए सभी भागीदार विक्रेता के कार्य-निष्पादन की गहन निगरानी करने की आवश्यकता है। परियोजनाओं के समय पर निष्पादन और परिचालन संयंत्रों के संचालन एवं रखरखाव की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, यह आवश्यक है कि आर्डर या संविदाओं के निष्पादन की निगरानी उसके प्रदान करने के चरण से लेकर पूर्ण होने के चरण तक की जाए और समय पर सुधारात्मक उपाय किए जाएं।

2.0 उद्देश्य

निष्पादन के मूल्यांकन का उद्देश्य विश्वसनीय विक्रेताओं/ आपूर्तिकर्ताओं/ ठेकेदारों/ परामर्शदाताओं को पहचानना और विकसित करना है ताकि वे लगातार अपेक्षाओं और आवश्यकताओं को पूरा कर सकें या उससे अधिक बढ़ सकें।

इस प्रक्रिया का उद्देश्य गेल से जुड़े विक्रेताओं/ आपूर्तिकर्ताओं/ ठेकेदारों/ परामर्शदाताओं के निष्पादन की निगरानी के लिए एक प्रणाली स्थापित करना है ताकि विभिन्न परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जा सके, प्रचालन संयंत्रों के संचालन और रखरखाव तथा सभी प्रकार से गुणवत्ता मानकों के संबंध में कार्यों और सेवाओं को पूरा करने सहित आपूर्ति की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके।

3.0 कार्यप्रणाली

i) निष्पादन रेटिंग डेटा शीट (पीआरडीएस) तैयार करना

प्रत्येक विक्रेता/ आपूर्तिकर्ता/ ठेकेदार/ परामर्शदाता के लिए 50 लाख रुपए और उससे अधिक मूल्य के सभी ऑर्डरों/ संविदाओं के लिए निष्पादन रेटिंग डेटा शीट तैयार करने की

सिफारिश की जाती है। इसके अलावा, विक्रेता/आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार/परामर्शदाता जो निगरानी सूची/अवकाश सूची/प्रतिबंध सूची में हैं, के आर्डरों/ संविदाओं के लिए निष्पादन रेटिंग डेटा शीट आर्डर/ संविदा मूल्य के बावजूद तैयार की जाएगी। ये डेटा शीट परियोजनाओं और ओएंडएम से संबंधित आर्डरों/ संविदाओं के लिए अलग से तैयार की जानी हैं। निष्पादन रेटिंग डेटा शीट तैयार करने के लिए प्रारूप, मापदंड, प्रक्रिया, जिम्मेदारी का अलग से उल्लेख किया गया है।

ii) <u>कार्य-निष्पादन की गणना</u>

डेटा शीट में परिभाषित मापदंडों के आधार पर, संबंधित विक्रेता के कार्य-निष्पादन की गणना की जाएगी और उसके अनुसार ग्रेडिंग की जाएगी। विक्रेता के निष्पादन की गणना दिए गए मापदंडों में न्यूनतम 60% अंक प्राप्त करने की उसकी क्षमता होगी।

iii) <u>उपायों की शुरुआत:</u>

कार्य-निष्पादन की ग्रेडिंग के आधार पर, संबंधित विक्रेता के साथ मामले को उठाकर सुधारात्मक उपाय शुरू किए जाएंगे। आगे की कार्रवाई तय करने से पहले विक्रेता की प्रतिक्रिया पर विचार किया जाएगा।

iv) <u>सुधारात्मक उपायों का कार्यान्वयन:</u>

विक्रेता की प्रतिक्रिया के आधार पर, परियोजनाओं के लिए संबंधित प्रभारी अभियंता/क्रेता और/या ओएंडएम के मामले में ओआईसी ऐसे विक्रेता को गेल के व्यवसाय से बने रहने या हटाने की सिफारिश करेगा।

v) ओएंडएम के लिए मालिकाना/ओईएम आधार पर दिए गए आर्डरों/ संविदाओं का मूल्यांकन किया जाएगा और यदि आवश्यक हुआ तो भविष्य में सुधार के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

4.0 <u>बहिष्करण:</u>

निम्नलिखित को विक्रेताओं/ आपूर्तिकर्ताओं/ ठेकेदारों/ परामर्शदाताओं के कार्य-निष्पादन

के मूल्यांकन के दायरे से बाहर रखा जाएगा:

i) यदि विक्रेता/ आपूर्तिकर्ता/ ठेकेदार/ परामर्शदाता निगरानी सूची/ अवकाश सूची/ प्रतिबंधित सूची में नहीं है तो 50 लाख रुपए से कम का ऑर्डर/ संविदा।

ii) विविध/प्रशासनिक मदों/गैर-स्टॉक गैर-मूल्यवान मदों के लिए आदेश (9 के साथ समाप्त होने वाले सामग्री कोड के साथ पीओ)।

तथापि, संबंधित प्रभारी अभियंता/ओआईसी ऐसे मामलों की निगरानी करना जारी रखेंगे ताकि ऐसे सभी मामलों में विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/परामर्शदाताओं के गैर-निष्पादन के कारण परियोजनाओं/ ओएंडएम संयंत्रों पर प्रभाव को कम किया जा सके।

5.0 विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/परामर्शदाओं के निष्पादन के मूल्यांकन की प्रक्रिया

5.1 परियोजनाओं के लिए

i) परियोजनाओं के मामले में विक्रेता के निष्पादन का मूल्यांकन किसी भी परियोजना के चालू होने के तुरंत बाद किया जाएगा।

ii) किसी भी परियोजना के चालू होने पर, ईआईसी (प्रभारी अभियंता)/क्रेता के परियोजना प्रभारी सभी आर्डरों और संविदाओं के लिए एक पीआरडीएस (प्रारूप अनुलग्नक-1 पर) तैयार करेंगे।

iii) निष्पादन रेटिंग के आधार पर, प्रभारी अभियंता/परियोजना प्रभारी द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी:

क्र.सं.	**निष्पादन रेटिंग**	**गतिविधि**
1	खराब	खराब निष्पादन के लिए स्पष्टीकरण मांगें
2	संतोषजनक	निष्पक्ष निष्पादन के लिए स्पष्टीकरण मांगें
3	अच्छा	भविष्य में निष्पादन में सुधार के लिए संबंधितों को पत्र
4	बहुत अच्छा	कोई कार्रवाई नहीं

iv) संबंधित विक्रेता के उत्तर की जांच की जाएगी। संतोषजनक उत्तर के मामले में, भविष्य में

निष्पादन में सुधार के लिए संबंधित विक्रेता को पत्र के साथ पीआरडीएस को बंद कर दिया जाएगा।

v) जहां कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है या दर्शाए गए कारण असंतोषजनक हैं, तो निम्नलिखित कार्रवाई करने की जानी चाहिए:

क) <u>जहां प्रदर्शन रेटिंग "खराब" है (आर्डर/ संविदा के निष्पादन के बाद की गई निष्पादन रेटिंग के अनुसार तथा जहां निष्पादन रेटिंग को साझा करने सहित विक्रेता/आपूर्तिकर्ता/ ठेकेदार/परामर्शदाता से स्पष्टीकरण मांगे गए पत्र के संबंध में पार्टी से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है/ असंतोषजनक उत्तर प्राप्त होता है)।</u>

ऐसे चूककर्ता विक्रेता/आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार/परामर्शदाता की निम्नलिखित कार्रवाई के लिए सिफारिश करें:

1. गुणवत्ता के कारण खराब निष्पादन (यदि गुणवत्ता मानदंड के विरुद्ध प्राप्त अंक 20 से कम हैं):

(क)पहली बार: दो वर्ष के लिए अवकाश (लाल कार्ड)

(ख) ऐसे विक्रेता/आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार/परामर्शदाता पर अन्य चल रहे आर्डर(रों)/संविदा(ओं) या नए आर्डर(रों)/संविदा(ओं) में बाद के उदाहरण: तीन वर्ष के लिए अवकाश (लाल कार्ड)

2. गुणवत्ता के अलावा अन्य कारणों से खराब निष्पादन (यदि गुणवत्ता मानदंड के विरुद्ध प्राप्त अंक 20 से अधिक हैं):

(क)ऐसा पहली बार : परामर्शदाता नोटिस (पीला कार्ड) जारी किया जाएगा और विक्रेता/आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार/परामर्शदाता को तीन (3) वर्षों की अवधि के लिए निगरानी सूची में रखा जाएगा।

(ख) **<u>अन्य वर्तमान आर्डर(रों)/संविदा(ओं) या नए आर्डर(रों)/संविदा(ओं) में ऐसे विक्रेता/आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार/परामर्शदाता</u>** का दूसरा ऐसा उदाहरण: एक वर्ष की अवधि के लिए अवकाश पर रखना (लाल कार्ड)।

(ग)<u>ऐसे विक्रेता/आपूर्तिकर्ता/ ठेकेदार/परामर्शदाता पर अन्य वर्तमान</u>

<u>**आर्डर(रों)/संविदा(ओं) या नए आर्डर(रों)/संविदा(ओं) में बाद के उदाहरण (दो से अधिक)**</u>: तीन वर्ष की अवधि के लिए अवकाश पर रखना (लाल कार्ड)।

ख) <u>जहां खराब/गैर-निष्पादन के कारण संविदा की समाप्ति या संविदा की ऑफलोडिंग हो रही हो जो विक्रेता/आपूर्तिकर्ता/ ठेकेदार/परामर्शदाता के खराब निष्पादन के कारण हो</u>

(क) **पहली बार: परामर्शदाता नोटिस (पीला कार्ड)** जारी किया जाएगा और विक्रेता/आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार/परामर्शदाता को तीन (3) वर्षों की अवधि के लिए निगरानी सूची में रखा जाएगा।

इसके अलावा, ऐसे विक्रेता को उस स्थान की उसी आपूर्ति/कार्य/सेवाओं के लिए पुन: आमंत्रित निविदा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी जो समाप्त/रद्द की गई है। इसके अलावा, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संविदा के प्रावधान के अनुसार संविदा निष्पादन प्रतिभूति (सीपीएस) आदि की जब्ती सहित अन्य सभी कार्रवाई की जाती है।

तथापि, ऐसे विक्रेता को अन्य सभी निविदाओं में भाग लेने और अन्य चल रहे ऑर्डर/संविदा या नए संविदा/ऑर्डर को निष्पादित करने की अनुमति दी जाएगी।

पीला कार्ड तीन वर्ष की अवधि के बाद स्वत: रद्द हो जाएगा जब तक कि ऐसे विक्रेता/आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार/परामर्शदाता पर अन्य वर्तमान आर्डर(रों)/ संविदा(ओं) या नए आर्डर(रों)/संविदा(ओं) में खराब/गैर-निष्पादन के बाद के उदाहरणों के कारण इसे लाल कार्ड में परिवर्तित नहीं किया जाता है।

(ख) ऐसे विक्रेता/आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार/परामर्शदाता पर अन्य वर्तमान आर्डर(रों)/संविदा(ओं) या नए आर्डर(रों)/संविदा(ओं) में दूसरा उदाहरण: एक वर्ष की अवधि के लिए **अवकाश पर (लाल कार्ड)** और उन पर निलंबन के लिए भी विचार किया जा सकता है।

(ग) ऐसे विक्रेता/आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार/परामर्शदाता पर अन्य चल रहे आर्डर(रों)/संविदा(ओं) या नए आर्डर(रों)/संविदा(ओं) में बाद के उदाहरण (दो से अधिक): **तीन वर्ष की अवधि के लिए अवकाश पर (लाल कार्ड)** और

उन पर भी निलंबन के लिए विचार किया जाएगा।

(ग) जहां निष्पादन रेटिंग "संतोषजनक" है:
ऐसे चूककर्ता विक्रेता/आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार/परामर्शदाता को उनके निष्पादन में सुधार के करने लिए चेतावनी जारी करना।

5.2 परामर्शी कार्यों के लिए

परामर्शी कार्यों की निगरानी और मूल्यांकन उसी तरह किया जाएगा जैसे परियोजनाओं के लिए पैरा 5.1 में वर्णित है।

5.3 संचालन और रखरखाव के लिए

i) संचालन और रखरखाव के मामले में विक्रेता के निष्पादन का मूल्यांकन ऑर्डर/ संविदा के निष्पादन के तुरंत बाद किया जाएगा।

ii) ऑर्डरों के निष्पादन के बाद साइट सीएंडपी द्वारा क्रेता ऑर्डरों के लिए और संबंधित प्रभारी अभियंता द्वारा सेवाओं के लिए एक पीआरडीएस (प्रारूप अनुलग्नक-2 पर) तैयार किया जाएगा।

iii) निष्पादन रेटिंग के आधार पर, निम्नलिखित कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी:

क्र.सं.	निष्पादन मूल्यांकन	गतिविधि
1	**खराब**	खराब निष्पादन के लिए स्पष्टीकरण मांगें
2.	**संतोषजनक**	संतोषजनक निष्पादन के लिए स्पष्टीकरण मांगें
3	**अच्छा**	भविष्य में निष्पादन में सुधार के लिए संबंधित को पत्र लिखें।
4	**बहुत अच्छा**	कोई कार्रवाई नहीं

iv) संबंधित विक्रेता के उत्तर की जांच की जाएगी। संतोषजनक उत्तर प्राप्त होने पर, भविष्य

में निष्पादन में सुधार के लिए संबंधित को पत्र लिखने के साथ पीआरडीएस बंद कर दी जाएगी।

v) जब कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है या दर्शाए गए कारण असंतोषजनक हैं, तो निम्नलिखित कार्रवाई की जानी चाहिए:

क) जहां निष्पादन रेटिंग "खराब" है (आर्डर/संविदा के निष्पादन के बाद की गई निष्पादन रेटिंग के अनुसार और जहां निष्पादन रेटिंग सहित विक्रेता/आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार/परामर्शदाता से स्पष्टीकरण मांगने वाले पत्र के खिलाफ पार्टी से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है/ असंतोषजनक उत्तर प्राप्त होता है)

ऐसे चूककर्ता विक्रेता/आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार/परामर्शदाता की निम्नलिखित कार्रवाई के लिए सिफारिश की जाए:

1. गुणवत्ता के कारण खराब निष्पादन (यदि गुणवत्ता मानदंड के विरुद्ध प्राप्त अंक 20 से कम है):

(क)पहला उदाहरण: दो वर्ष के लिए अवकाश (लाल कार्ड) पर रखना।

(ख) ऐसे विक्रेता/आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार/परामर्शदाता पर अन्य वर्तमान आर्डर(रों)/संविदा(ओं) या नए आर्डर(रों)/संविदा(ओं) में बाद के उदाहरण: तीन वर्ष के लिए अवकाश (लाल कार्ड) पर रखना।

2. गुणवत्ता के अलावा अन्य कारणों से खराब निष्पादन (यदि गुणवत्ता मानदंड के विरुद्ध प्राप्त अंक 20 से अधिक हैं):

(क) **ऐसा पहला उदाहरण: परामर्शदाता नोटिस (पीला कार्ड)** जारी किया जाएगा और विक्रेता/आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार/परामर्शदाता को तीन (3) वर्षों की अवधि के लिए निगरानी सूची में रखा जाएगा।

(ख) **ऐसे विक्रेता/ आपूर्तिकर्ता/ ठेकेदार/ परामर्शदाता पर अन्य वर्तमान आर्डर(रों)/संविदा(ओं) या नए आर्डर(रों)/संविदा(ओं) में दूसरा ऐसा उदाहरण: एक वर्ष की अवधि के लिए अवकाश पर रखना (लाल कार्ड)**

(ग) **ऐसे विक्रेता/आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार/परामर्शदाता पर अन्य चल रहे**

<u>आदेश(शों)/संविदा(ओं) या नए आदेश(शों)/संपर्क(कों) में बाद के उदाहरण (दो से अधिक)</u>: तीन वर्ष की अवधि के लिए अवकाश (लाल कार्ड) पर रखना।

ख) <u>जहां खराब/गैर-निष्पादन के कारण संविदा की समाप्ति या संविदा की ऑफलोडिंग हो रही हो जो विक्रेता/आपूर्तिकर्ता/ ठेकेदार/परामर्शदाता के खराब निष्पादन के कारण हो</u>

क. **पहला उदाहरण: परामर्शदाता नोटिस (पीला कार्ड)** जारी किया जाएगा और विक्रेता/आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार/परामर्शदाता को तीन (3) वर्षों की अवधि के लिए निगरानी सूची में रखा जाएगा।

इसके अलावा, ऐसे विक्रेता को उस स्थान की उसी आपूर्ति/कार्य/सेवाओं की पुनः आमंत्रित निविदा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी जो समाप्त/ऑफलोड की गई है। इसके अलावा, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संविदा के प्रावधान के अनुसार संविदा निष्पादन प्रतिभूति (सीपीएस) आदि की जब्ती सहित अन्य सभी कार्रवाई की जाए।

तथापि, ऐसे विक्रेता को अन्य सभी निविदाओं में भाग लेने और अन्य वर्तमान आर्डर/संविदा या नई संविदा/आर्डर को निष्पादित करने की अनुमति दी जाएगी।

पीला कार्ड तीन वर्ष की अवधि के बाद स्वतः रद्द हो जाएगा जब तक कि ऐसे विक्रेता/आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार/परामर्शदाता पर अन्य वर्तमान आर्डर(रों)/संविदा(ओं) या नए आर्डर(रों)/संविदा(ओं) में खराब/गैर-निष्पादन के बाद के उदाहरणों के कारण इसे लाल कार्ड में परिवर्तित नहीं किया जाता है।

ख. ऐसे विक्रेता/आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार/परामर्शदाता पर अन्य वर्तमान आर्डर(रों)/संविदा(ओं) या नए आर्डर(रों)/संविदा(ओं) में **दूसरा उदाहरण**: एक वर्ष की अवधि के लिए **अवकाश (लाल कार्ड)** और उन पर निलंबन के लिए भी विचार किया जा सकता है।

ग. ऐसे विक्रेता/आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार/परामर्शदाता पर अन्य चल रहे आर्डर(रों)/संविदा(ओं) या नए आर्डर(रों)/संविदा(ओं) में बाद के उदाहरण (दो से अधिक): **तीन वर्ष की अवधि के लिए अवकाश (लाल कार्ड) और उन पर निलंबन के लिए भी विचार किया जाएगा।**

(ग) <u>जहां निष्पादन रेटिंग "संतोषजनक" है:</u>
ऐसे चूककर्ता विक्रेता/आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार/परामर्शदाता को उनके निष्पादन में सुधार के लिए चेतावनी जारी करना।

6.0 **<u>अवकाश पर रखे गए विक्रेता की समीक्षा और बहाली</u>**

6.1 एक निश्चित निर्दिष्ट अवधि के लिए पारित अवकाश के आदेश को उस निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर स्वचालित रूप से रद्द कर दिया गया माना जाएगा और निरसन का कोई विशिष्ट औपचारिक आदेश जारी करना आवश्यक नहीं होगा।

इसके अलावा, यदि गुणवत्ता के कारण विक्रेता को अवकाश पर रखा जाता है, और विक्रेता की बहाली के बाद बोलीदाता को नया आदेश दिया जाता है, तो संबंधित साइट द्वारा निष्पादन चरण के दौरान ऐसे आदेश की उचित निगरानी की जाएगी।

7.0 **<u>अवकाश का प्रभाव</u>**

7.1 यदि किसी विक्रेता को अवकाश पर रखा जाता है, तो ऐसे विक्रेता पर वर्तमान निविदाओं/ भावी निविदाओं में विचार नहीं किया जाएगा।

7.2 तथापि, यदि ऐसा विक्रेता पहले से ही किसी अन्य आर्डर/संविदा को निष्पादित कर रहा है और संगत संविदा के संदर्भ में उनका निष्पादन संतोषजनक है, तो संविदा में उल्लिखित मूल कार्यक्षेत्र की आकस्मिकता को छोड़कर, आगे बिना किसी वृद्धि के इसके पूरा होने तक जारी रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। ऐसे मामले में पीबीजी/सीपीएस जब्त नहीं किया जाएगा और संबंधित संविदा के प्रावधानों के अनुसार भुगतान किया जाएगा। तथापि, ऐसा संविदा की अन्य निबंधन एवं शर्तों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

7.3. अन्य वर्तमान निविदाओं पर प्रभाव:

7.3.1 पूछताछ/बोली/निविदा जारी करने के बाद, लेकिन तकनीकी बोली (बिना मूल्य की बोली) खोलने से पहले, विक्रेता द्वारा प्रस्तुत बोली को नज़रअंदाज किया जाएगा।

7.3.2 तकनीकी बोली खोलने के बाद, लेकिन मूल्य बोली खोलने से पहले, विक्रेता की मूल्य बोली नहीं

खोली जाएगी और विक्रेता द्वारा जमा की गई बीजी/ईएमडी पार्टी को वापस कर दी जाएगी।

7.3.3 मूल्य बोली खुलने के बाद, विक्रेता द्वारा दी गई बीजी/ईएमडी वापस कर दी जाएगी; विक्रेता के प्रस्ताव को नज़रअंदाज किया जाएगा और आगे मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यदि दोषी बोलीदाता/विक्रेता न्यूनतम (एल1) के रूप में उभरता है, तो ऐसी निविदा को भी रद्द कर दिया जाएगा और निविदा पुन: आमंत्रित की जाएगी।

8.0 प्रक्रिया के अनुसार विक्रेता को अवकाश पर रखते समय, धारिता कंपनी, सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम, सहयोगी संस्थाओं, दोषी विक्रेता के समूह विभाजन को अवकाश सूची में डालने पर विचार नहीं किया जाएगा।

किसी भी बोलीदाता/विक्रेता को अवकाश की अवधि के दौरान नई निविदा में परिसंघ के माध्यम से बोली लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

9.0 यदि कोई असफल बोलीदाता किसी भी खरीद में विलंब करने या उसे निरस्त करने या गेल या किसी अन्य बोलीदाता को नुकसान पहुंचाने के इरादे से निविदा प्रक्रिया के खिलाफ कोई अप्रिय, तुच्छ या दुर्भावनापूर्ण शिकायत करता है, तो ऐसे बोलीदाता को छह महीने की अवधि के लिए अवकाश पर रखा जाएगा, यदि उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद ऐसी शिकायत अप्रिय, तुच्छ या दुर्भावनापूर्ण साबित होती है।

10. **सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील:**

(क) पार्टी को अवकाश सूची में रखने के लिए सक्षम प्राधिकारी के आदेश के खिलाफ पार्टी अपील दायर कर सकती है। अपील अपीलीय प्राधिकारी को दायर की जाएगी। ऐसी अपील अवकाश आदेश प्राप्त होने के एक माह के भीतर की जाएगी।

(ख) अपीलीय प्राधिकारी अपील पर विचार करेगा और उचित आदेश पारित करेगा जो पार्टी के साथ-साथ सक्षम प्राधिकारी को भी सूचित किया जाएगा।

(ग) अपील की प्रक्रिया अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील दायर करने के 45 दिनों के भीतर पूरी की जा सकती है।

(घ) "अपीलीय प्राधिकारी" का अर्थ निदेशकों की समिति होगा जिसमें निदेशक (परियोजना) के तहत कार्य केंद्रों के लिए निदेशक (वित्त) और निदेशक (बीडी) शामिल होंगे। अन्य सभी मामलों के लिए निदेशकों की समिति में निदेशक (वित्त) और निदेशक (परियोजना) शामिल होंगे।

11. **दोषी बोलीदाता**

यदि मूल्य बोली खोलने के बाद सबसे कम मूल्यांकित बोलीदाता (एल 1) को बोली लगाने या बोली वापस लेने या बोली में संशोधन करने या उसके संबंध में किसी भी अवधि को बदलने के लिए उसके द्वारा की गई किसी भी गलती के लिए कार्य नहीं दिया जाता है, जिससे निविदा पुनः आमंत्रित करनी पड़ती है, यदि बोलीदाता द्वारा भुगतान किया जाता है तो गेल ईएमडी जब्त कर लेगा और ऐसे बोलीदाताओं को उसी कार्य(र्यों)/मद(दों) की पुनः निविदा आमंत्रित करने में भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा।

इसके अलावा, ऐसे बोलीदाता को नियत प्रक्रिया का पालन करने के बाद तीन वर्ष की अवधि के लिए निगरानी सूची (पीला कार्ड) पर रखा जाएगा। तथापि, निगरानी सूची की अवधि के दौरान ऐसे विक्रेता को अन्य सभी निविदाओं में भाग लेने और अन्य चालू ऑर्डर/संविदा या नई संविदा/ऑर्डर निष्पादित करने की अनुमति होगी।

•

उपर्युक्त निगरानी सूची अवधि के दौरान अन्य निविदाओं में चूक के मामले में, खंड सं. 5.1 (v) और 5.3 (v) के पैरा क के क्र.सं.2 के प्रावधान के अनुसार कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।

निर्दिष्ट अवधि के बाद पीला कार्ड स्वतः निरस्त हो जाएगा जब तक कि इसे लाल कार्ड में परिवर्तित नहीं किया जाता है।

12. यदि सीबीआईसी (केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)/कोई समकक्ष सरकारी एजेंसी गेल के संज्ञान में लाती है कि आपूर्तिकर्ता ने गेल से एकत्रित जीएसटी (सीजीएसटी और एसजीएसटी/यूटीजीएसटी या आईजीएसटी) की राशि को सरकारी खजाने में जमा नहीं कराया है, फिर, उस आपूर्तिकर्ता को निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न विक्रेताओं/ आपूर्तिकर्ताओं/ ठेकेदारों/ परामर्शदाताओं के निष्पादन के मूल्यांकन की प्रक्रिया में उल्लिखित छह महीने की अवधि के लिए गेल की अवकाश सूची के तहत रखा जाएगा।

अनुलग्नक-I

गेल (इंडिया) लिमिटेड

निष्पादन रेटिंग डेटा शीट

(परियोजनाओं/परामर्शी कार्यों के लिए)

i) परियोजना/कार्य केंद्र :

ii) आदेश/संविदा संख्या और तारीख :

iii) मदों कार्यों/कार्य का का संक्षिप्त विवरण :

iv) ऑडर/संविदा मूल्य (रु.) :

v) विक्रेता/आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार/परामर्शदाता का नाम :

vi) अनुबंधित डिलीवरी/ समापन अनुसूची :

vii) वास्तविक सुपुर्दगी/ समापन तिथि :

निष्पादन मापदंड	**डिलीवरी/ समापन निष्पादन**	**गुणवत्ता निष्पादन**	**विश्वसनीयता निष्पादन #**	**कुल**
अधिकतम अंक	40	40	20	100
आवंटित अंक				

टिप्पणी:

अभ्युक्ति (यदि कोई हो)

निष्पादन रेटिंग (**)

टिप्पणी:

(#) विक्रेता/आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार/परामर्शदाता जो बार-बार वित्तीय सहायता चाहते हैं या संविदा भुगतान अवधि से परे विचलन चाहते हैं या वित्तीय बाधाओं के कारण उप-विक्रेता/उप-ठेकेदार को सीधे भुगतान की मांग करते हैं, तो उन्हें विश्वसनीयता निष्पादन के लिए '0' अंक आवंटित किए जाने चाहिए।

(*) अंकों का आवंटन संलग्न निर्देशों के अनुसार होना चाहिए (**)
निष्पादन रेटिंग को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा:

क्र.सं.	रेंज (अंक)	रेटिंग
1.	60 और उससे कम	खराब

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर:

2.	61-75	संतोषजनक	नाम:
3.	76-90	अच्छा	
4.	90 से अधिक	बहुत अच्छा	पदनाम:

अंकों के आवंटन के लिए निर्देश

1. अंकों को निम्नानुसार आवंटित किया जाना चाहिए:

1.1 डिलीवरी/ समापन निष्पादन **40 अंक**

डिलीवरी अवधि/ समापन अनुसूची	सप्ताह में विलंब	अंक
क) 3 माह तक	सीडीडी से पहले	40
	4 सप्ताह तक का विलंब	35
	8 सप्ताह तक का विलंब	30
	10 सप्ताह तक का विलंब	25
	12 सप्ताह तक का विलंब	20
	16 सप्ताह तक का विलंब	15
	16 सप्ताह से अधिक का विलंब	0
ख) 3 माह से अधिक	सीडीडी से पहले	40
	4 सप्ताह तक का विलंब	35
	8 सप्ताह तक का विलंब	30
	10 सप्ताह तक का विलंब	25
	16 सप्ताह तक का विलंब	20
	20 सप्ताह तक का विलंब	15
	24 सप्ताह तक का विलंब	10
	24 सप्ताह से अधिक का विलंब	0

1.2 गुणवत्ता का निष्पादन		**40 अंक**
सामान्य मामलों के लिए: कोई दोष नहीं/ कोई विचलन नहीं/ कोई		10 अंक
i) अस्वीकृति/ दोष	सामान्य मामलों के लिए कुल मात्रा की तुलना में स्वीकार्य मात्रा हेतु आनुपातिक आधार पर अंक आवंटित किए जाएंगे	10 अंक
ii) जब गुणवत्ता विफलता से प्रणाली एकीकरण और उसकी सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता है	गंभीर प्रकृति की विफलता	0 अंक
	- मध्यम प्रकृति	5 अंक
	- कम गंभीर प्रकृति	10-25 अंक
iii) विचलन की संख्या	1. कोई विचलन नहीं	5 अंक
	2. विचलन की संख्या ≤2	2 अंक
	3. विचलन की संख्या >2	0 अंक

1.3 विश्वसनीयता निष्पादन **20 अंक**

क.	**कार्यों/ संविदाओं के लिए**	
i)	ऑर्डर स्वीकृति, समझौता, पीबीजी, ड्राइंग्स और अन्य दस्तावेज समय के भीतर प्रस्तुत करना	4 अंक
ii)	संविदा के अनुसार संसाधनों को समय पर जुटाना	4 अंक
iii)	जांच-सूची के बिंदुओं का परिसमापन	4 अंक
iv)	सांविधिक और एचएसएंडई आवश्यकताओं का अनुपालन या परामर्शी कार्यों के मामले में अनुमानों/डिजाइन/ड्राइंग आदि की विश्वसनीयता	4 अंक
v)	अतिरिक्त, प्रतिस्थापित और एएचआर मदों के लिए अनुमानों और अन्य दस्तावेजों को समय पर प्रस्तुत करना	4 अंक
ख.	**आपूर्ति के लिए**	
i)	ऑर्डर स्वीकृति, पीबीजी, ड्राइंग्स और अन्य दस्तावेज समय पर प्रस्तुत करना	5 अंक
ii)	बिक्री के बाद सेवा/वारंटी मरम्मत और/या पूछताछ/सलाह (मूल्यांकन अवधि तक) के लिए शिकायतों और अनुरोधों पर कार्रवाई करना।	5 अंक
iii)	विभिन्न पत्राचार का उत्तर और आईएसओ जैसे मानकों के अनुरूप होना	5 अंक
iv)	आपूर्ति के समय परीक्षण प्रमाण-पत्रों सहित सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करना	5 अंक

परिशिष्ट-III

"संविदा निष्पादन प्रतिभूति / प्रतिभूति जमा राशि" के लिए "बैंक गारंटी" का प्रोफार्मा
(उपयुक्त मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

सेवा में, मैसर्स गेल (इंडिया) लिमिटेड ______________________	**बैंक गारंटी सं.**	
	बीजी की तिथि	
	बीजी की वैधता (समाप्ति की तारीख)	
	दावा अवधि (बीजी की समाप्ति तिथि और दावा अवधि के बीच तीन महीने का अंतर होना चाहिए)	
	स्टाम्प क्र.सं./ ई-स्टाम्प प्रमाणपत्र सं.	

प्रिय महोदय,

मैसर्स____ जिसका पंजीकृत कार्यालय ______________________________ में है (इसके बाद "ठेकेदार/ आपूर्तिकर्ता" कहा गया है, जिसकी अभिव्यक्ति में जहां-कहीं भी संदर्भ की आवश्यकता होगी, में उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल होंगे) को गेल (इंडिया) लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 16, भीकाजी कामा प्लेस, आर.के. पुरम, नई दिल्ली में है (इसके बाद "गेल" कहा गया है, जहां-कहीं भी संदर्भ की आवश्यकता होगी, इसकी अभिव्यक्ति में इसके उत्तराधिकारी और समुनदेशिती शामिल होंगे) के लिए दिनांक__________के पीओ/एलओए/एफओए सं.________________द्वारा जॉब/कार्य प्रदान किया गया है।

संविदा की शर्तों में प्रावधान है कि आपूर्तिकर्ता/ ठेकेदार प्रपत्र में उल्लिखित अनुसार पूर्ण संविदा निष्पादन गारंटी के रूप में रु.[या संविदा की मुद्रा]__________(रुपए______________________________________) का भुगतान करेगा। संविदा निष्पादन गारंटी के भुगतान प्रारूप में राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा निष्पादित गारंटी शामिल है, जो चूक के मामले में गेल (इंडिया) लिमिटेड को क्षतिपूर्ति करने की पूरी जिम्मेदारी लेता है।

उक्त मैसर्स____________________________________ने हमसे संपर्क किया है और उनके अनुरोध पर और परिसर के विचार में हमारा कार्यालय____________________________________ यहां नीचे उल्लेख किए गए अनुसार ऐसी गारंटी देने के लिए सहमत हुआ है।

1. हम______________________________एतदद्वारा आपको अपरिवर्तनीय और बिना शर्त गारंटी देने का वचन देते हैं कि मैसर्स________________________________ द्वारा निविदा/आदेश/संविदा की किसी भी निबंधन एवं शर्त को पूरा करने में चूक करने पर या गेल (इंडिया) लिमिटेड को देय किसी भी धनराशि के भुगतान में हम पहली बार मांग करने पर भुगतान बिना किसी विरोध, प्रतिवाद, विरोध और/या बिना किसी साधन या ठेकेदार के संदर्भ के बिना गेल को इस तरह से और समय पर करेंगे, जैसा कि गेल______________________________रुपए की उक्त राशि या उसके किसी भाग जो उक्त राशि से अधिक न हो, के लिए निर्देश देगा जैसा कि आपको समय-समय पर आवश्यकता होगी।

2. आपको हमारे संदर्भ के बिना और इस गारंटी को प्रभावित किए बिना, उक्त मैसर्स___________________के साथ ऑर्डर/संविदा के तहत आपको प्रदान की गई शक्तियों और अधिकारों का प्रयोग करते हुए किसी भी समय इसे स्थगित करने या समय-समय पर प्रयोग करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी, तथा किसी भी शक्ति या अधिकार का समर्थन करने या उक्त मैसर्स ______________________ को दिए गए समय को लागू करने या नियंत्रित करने और ऐसे स्थगन को नियंत्रित करने का इस ऋण के तहत बैंक को उसके दायित्व से मुक्त करने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

3. ऊपर उल्लिखित तरीके से हमसे उक्त रु.__________ (__________________________________रुपए) की राशि की वसूली का आपका अधिकार पूर्ण और स्पष्ट है और यह इस तथ्य के कारण प्रभावित या निलंबित नहीं किया जाएगा कि उक्त मैसर्स_____________________________ द्वारा कोई विवाद उठाया गया है/उठाए गए हैं और/या कि कोई विवाद किसी अधिकारी, न्यायाधिकरण या अदालत या मध्यस्थ या किसी अन्य प्राधिकारीण/ मंच के समक्ष लंबित है और बैंक में आपके द्वारा की गई कोई भी मांग निर्णायक और बाध्यकारी होगी। बैंक इन स्थितियों के तहत अपने दायित्वों से मुक्त नहीं होगा, जो आपके द्वारा पूर्वोक्त मामले के संदर्भ में अपनी स्वतंत्रता के किसी भी प्रयोग या उनके किसी भी कारण से या आपकी ओर से भूल-चूक के किसी अन्य कारण या आपके द्वारा दिखाई गई किसी अन्य संलिप्तता से मुक्त नहीं होगा या किसी अन्य मामले से या जो कुछ भी कानून के तहत बदलेगा, लेकिन इस प्रावधान के लिए, बैंक को जारी करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

4. इसमें निहित गारंटी उक्त आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार के परिसमापन या समापन या विघटन या संविधान के परिवर्तन या दिवालिया होने या बैंक या गेल के कानूनी संविधान में किसी भी बदलाव से निर्धारित या प्रभावित नहीं होगी, लेकिन सभी तरह से और जब तक ऐसी देनदारियों के संबंध में आपको देय सभी

धनराशि का भुगतान नहीं कर दिया जाता है, तब तक सभी उद्देश्य बाध्यकारी और सक्रिय रहेंगे।

5. बैंक आपकी पूर्व सहमति के बिना इस गारंटी को इसके प्रचलन के दौरान रद्द नहीं करने का वचन देता है और आगे सहमति देता है कि जब तक गेल द्वारा लिखित रूप में इसे जारी नहीं किया जाता है, तब तक गारंटी लागू रहेगी। तथापि, यदि किसी कारण से, आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार आदेश/संविदा में निर्धारित अवधि के भीतर आपूर्ति/कार्य को पूरा करने में असमर्थ है और डिलीवरी/समापन की तिथि के विस्तार के परिणामस्वरूप दोष देयता अवधि/गारंटी अवधि के विस्तार के मामले में आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार आपूर्ति/कार्य को पूरी तरह से करने में विफल रहता है, बैंक इसके द्वारा आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार के कहने पर इस गारंटी को उस समय तक बढ़ाने के लिए सहमत है जब तक गेल द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। यदि इस गारंटी के किसी और विस्तार की आवश्यकता है, तो इसे मैसर्स___________________________(ठेकेदार) जिसकी ओर से यह गारंटी जारी की जाती है, से निर्देश प्राप्त करने पर ऐसी आवश्यक अवधि के लिए बढ़ाया जाएगा।

6. बैंक इस बात से भी सहमत है कि गेल अपने विकल्प पर आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही किए बिना और गेल आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार की देनदारियों के संबंध में किसी भी सुरक्षा या अन्य गारंटी के बावजूद, बैंक के खिलाफ (मुख्य देनदार के रूप में) इस गारंटी को लागू करने का पात्र होगा।

7. गेल द्वारा लिखित मांग करने पर बैंक गारंटी के तहत राशि बिना किसी विलंब के बैंक द्वारा देय है। उक्त बैंक गारंटी से उत्पन्न या उसके संबंध में कोई भी विवाद नई दिल्ली के न्यायालयों के विशिष्ट क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।

8. इसलिए, हम एतदद्वारा पुष्टि करते हैं कि हम गारंटर हैं और आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार की ओर से कुल _________________राशि (गारंटी की राशि शब्दों और आंकड़ों में) के लिए आपके प्रति जिम्मेदार हैं और हम आपको आपकी मांग या उसमें निर्दिष्ट राशि के लिए आधार या कारण साबित करने या दिखाने की आवश्यकता के बिना, आपकी पहली लिखित मांग पर, आर्डर/संविदा के तहत और बिना किसी चेतावनी या तर्क के, आपकी पहली लिखित मांग पर (गारंटी की राशि) सीमा के भीतर किसी भी राशि या रकम का ऊपर उल्लेख किए गए अनुसार भुगतान करने का वचन देते हैं।

9. हमारे पास संस्था की बहिर्नियमावली के तहत आपके पक्ष में इस गारंटी को जारी करने का अधिकार है और अधोहस्ताक्षरी के पास बैंक द्वारा उसे दिए गए दिनांक ____________ के मुख्तारनामे के तहत करने का पूरा अधिकार है।

10. इसमें निहित किसी बात के होते हुए:

क) इस गारंटी के तहत बैंक की देनदारी (मुद्रा आंकड़ों में) .... (मुद्रा केवल शब्दों में)................ से अधिक नहीं होगी।

ख) यह गारंटी________________ (यह तिथि दोष देयता अवधि/ संविदा की गारंटी अवधि की समाप्ति तिथि) और उसके किसी विस्तार तक लागू रहेगी; और

ग) बैंक को इस गारंटी के तहत सभी देयताओं से मुक्त और उन्मुक्त किया जाएगा जब तक कि एक लिखित

दावा या मांग बैंक को________________की आधी रात को या उससे पहले जारी की जाती है (दावा अवधि की समाप्ति की अवधि दर्शाएं जिसमें इस बैंक गारंटी की समाप्ति से न्यूनतम 03 महीने शामिल हों) और यदि अवधि बढ़ाई जाती है, तो इस गारंटी के अंतिम विस्तार की समाप्ति की तिथि बताई जाए। यदि उक्त तिथि के भीतर हमें कोई दावा प्राप्त होता है, तो इस गारंटी के तहत गेल के सभी अधिकार वैध होंगे और जब तक हम उस दावे को पूरा नहीं कर लेते हैं, तब तक ये समाप्त नहीं होंगे।

भवदीय,

अपने गठित अटॉर्नी द्वारा बैंक

बैंक की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए

विधिवत अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

प्रस्तुत करने के निर्देश

"बैंक गारंटी" द्वारा "संविदा निष्पादन प्रतिभूति / प्रतिभूति जमा"

1. सफल बोलीदाता(ओं) द्वारा बैंक गारंटी गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर लागू 'स्टाम्प शुल्क' के अनुसार दी जाएगी। गैर-न्यायिक स्टांप पेपर जारीकर्ता बैंक के नाम पर होना चाहिए। विदेशी बैंक के मामले में, भारत में उसके संबंधित बैंक द्वारा अपेक्षित गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर और बोली के स्थान पर दिल्ली में मानी जाने वाली उक्त बैंक गारंटी जारी की जाएगी।
2. बोलीदाताओं द्वारा बैंक गारंटी निविदा में निर्दिष्ट अनुसार बैंक से दी जाएगी।
3. अपेक्षित बैंक गारंटी के जारीकर्ता बैंक से पत्र द्वारा इस बात की पुष्टि की जानी चाहिए कि उक्त बैंक गारंटी और बैंक गारंटी से संबंधित सभी भावी संचार क्रेता को अग्रेषित किए जाएंगे।
4. यदि किसी वाणिज्यिक बैंक द्वारा बैंक गारंटी जारी की जाती है, तो क्रेता को एक पत्र और परामर्शदाता (यदि लागू हो) को प्रतिलिपि यह पुष्टि करते हुए दी जानी चाहिए कि दस्तावेजी साक्ष्य के साथ इसका निवल मूल्य 100,00,00,000.00 [एक सौ करोड़ रुपए] या इसके समकक्ष विदेशी मुद्रा में है।
5. यदि दावा अवधि का उल्लेख नहीं किया गया है या वैधता और दावा अवधि के विरुद्ध एक ही तिथि का उल्लेख किया गया है, तो बीजी की वैधता की तारीख ऐसी तिथि से तीन महीने पहले मानी जाएगी।
6. आपूर्तिकर्ता संविदा निष्पादन प्रतिभूति राशि जमा करते समय संलग्न आवरण-पत्र (अनुलग्नक) प्रस्तुत करेगा।

अनुलग्नक

बैंक गारंटी के साथ विक्रेता द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आवरण-पत्र में उल्लिखित विषय

1 बैंक गारंटी सं. :

2 क्रेता का नाम/ विक्रेता कोड :

नाम	
विक्रेता कोड	

3 बैंक गारंटी राशि :

4 क्रय ऑर्डर/ एलओए सं. :

5 बैंक गारंटी की प्रकृति :
(कृपया जहां लागू हो, सही का निशान (√) लगाएं)

निष्पादन बैंक गारंटी	प्रतिभूति जमा राशि	ईएमडी	अग्रिम

6 जारी बैंक गारंटी बैंक विवरण :

(क) ईमेल आईडी :
(ख) पता :
(ग) फोन नं./ मोबाइल नं. :